रजिस्ट्री सं० डी-(डी)--73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 1975 (ज्येष्ठ 3, 1897)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 1975 (JYAISTHA 3, 1897)*

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India

---

मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी का कार्यालय

पूर्ति/[illegible]नर्वास तथा खाद्य और कृषि मन्त्रालय

नई दिल[illegible] 110011, दिनांक 3 अप्रैल, 1975

सं० ए०-24013/II/74-75/एच० क्यू०/प्रशासन (समन्वय) 113—मुख्य [illegible] तथा लेखा अधिकारी, पुनर्वास विभाग, नई दिल्ली के स्थानापन्न [illegible]तन तथा लेखा अधिकारी श्री एस० डी० गुप्ता सेवा निवर्तन की आयु पर पहुंचने पर दिनांक 31 मार्च, 1975 से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

पी० पी० गंगाधरन,
मुख्य वेतन तथा लेखा अधिकारी

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन शाखा-6)

नई दि[illegible], दिनांक 29 मार्च, 1975

सं० प्र०/17011/(38)/72-प्र०-6—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के उत्तरी निरीक्षण मंडल के स्थायी भंडार निरीक्षक और स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) श्री आर० के० मिश्रा दिनांक 28-2-1975 के अपराह्न से निवर्तन आयु होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

दिनांक 9 अप्रैल, 1975

सं० ए०-17011/1/71-प्र०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा उत्तरी निरीक्षण मंडल में भंडार परीक्षक (वस्त्र) श्री आर० एम० रायचौधरी को दिनांक 25-3-75 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों के जारी होने तक निरीक्षण निदेशक, उत्तरी निरीक्षण मंडल, नई दिल्ली के कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 10 अप्रैल, 1975

सं० ए०-17011/87/75-प्र०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा पूर्ति तथा निपटान निदेशालय, बम्बई में सहायक निदेशक प्रगति (ग्रेड-II) श्री पी० एम० आर० नम्बूदिरी को दिनांक 1-3-75 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों के जारी होने तक कलकत्ता निरीक्षण मंडल में सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री नम्बूदिरी ने दिनांक 1-2-75 के पूर्वाह्न से पूर्ति तथा निपटान निदेशालय, बम्बई में सहायक निदेशक प्रगति (ग्रेड-II) का पदभार छोड़ दिया तथा दिनांक 1-3-75 के पूर्वाह्न से कलकत्ता निरीक्षण मंडल में सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) का पदभार सम्भाल लिया।

के० एल० कोहली,
उप निदेशक (प्रशासन)

इस्पात और खान मन्त्रालय

(खान विभाग)

भारतीय खनि विभाग

नागपुर, दिनांक 28 मार्च, 1975

सं० ए०-19011 (38)/70-सि० ए०—अफगानिस्तान सरकार के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात श्री बी० सी० मिश्रा भारतीय खनि विभाग में वापस आ गए हैं और दिनांक 24 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से उप-खान नियन्त्रक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

दिनांक 11 अप्रैल, 1975

सं० ए०-19011 (30)/75-सिब्बन्दी ए—श्री डी० बी० कुलकर्णी, स्थायी उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खनि विभाग ने पाइराइटस, फास्फेटस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में अयस्क प्रसाधन इंजीनियर के रूप में प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 31-3-1975 के अपराह्न से उप अयस्क प्रसाधान अधिकारी का पदभार त्याग दिया है।

ए० के० राघवाचारी,
वरिष्ट प्रसाधन अधिकारी,
कृते नियन्त्रक।

नागपुर, दिनांक 14 जनवरी 1975

सं० टी०-31013/3/सी० बी० एम०/72—भारत में खान मालिकों की सामान्य जानकारी के लिए मैं इसके द्वारा भारतीय खनि विभाग के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार निम्नरूपेण अधिसूचित करता हूं :—

I. कलकत्ता क्षेत्र

पता : क्षेत्रीय खान नियन्त्रक, भारतीय खनि विभाग, पी-21, मिशन रो एक्स्टेंशन कलकत्ता-13 (टेलीफोन नं० 235440)।

राज्य	जिला
मणिपुर .	सभी जिले
मिजोरम . .	,,
त्रिपुरा . .	,,
मेघालय . .	,,
नागालैण्ड . .	,,
अरुणाचल प्रदेश	,,
असम . .	,,
पश्चिम बंगाल .	,,
उड़ीसा .	,,
बिहार .	सिंघभूम

II. हजारीबाग क्षेत्र

पता : क्षेत्रीय खान नियन्त्रक, भारतीय खनि विभाग, जुलू पार्क, हजारीबाग, बिहार। (टेलीफोन नं० 491)

बिहार	सिंघभूम को छोड़कर शेष स जिले।

III. अजमेर क्षेत्र

पता : क्षेत्रीय खान नियन्त्रक, भारतीय खनि विभाग 158/X, सिविल लाइन्स, अजमेर, राजस्थान (टेलीफोन नं० 21074 और 20639)

राजस्थान	उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बंसवाड़ा जिलों को छोड़कर शेष सभी जिले।

IV. नागपुर क्षेत्र

पता : क्षेत्रीय खान नियन्त्रक, भारतीय खनि विभाग, 'पुष्पराज', रविशंकर मार्ग, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001, महाराष्ट्र। (टेलीफोन नं० 26496)

मध्य प्रदेश	बस्तर, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर दुर्ग, बालाघाट, सिवनी बेतूल, छिदवाड़ा होशंगाबाद रायसेन, विदिशा भोपाल राजगढ़, शहजापुर, मन्दसोर रतलाम उज्जैन, झबुआ धार, इन्दौर देवास खंडवा, खरगांव।
महाराष्ट्र	राजुरा, चन्द्रपुर, भण्डारा, नागपुर वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला परभणी, बुलढाणा, जलगांव, औरंगाबाद, बीड, अहमदनगर धुले, थाना, कोलाबा, नासिक।

V. हैदराबाद क्षेत्र

पता : क्षेत्रीय खान नियन्त्रक, भारतीय खनि विभाग, 3-6-170, हैदरगुडा, डा० [illegible] हिमायत नगर, हैदराबाद-500029। (टेलीफोन नं० 37004)

आन्ध्र प्रदेश	नेल्लूर, कडपा और चित्तूर, जिलों को छोड़कर सभी जिले।
महाराष्ट्र .	नान्देड उस्मानाबाद।
कर्नाटक . .	बिदार गुलबर्गा, रायचूर

VI. गोवा क्षेत्र

पता : क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खनि विभाग, फातिमा बिल्डिंग, बर्नार्डो द कोस्टा रोड, [illegible]पाओ, गोवा (टेलीफोन नं० 2559)

गोवा . .	सभी जिले।
महाराष्ट्र . .	रत्नागिरि, कोल्हापुर, सागली, शोलापुर, सातारा, पूना।
कर्नाटक . .	उत्तर कनारा, धारवाड, बेलगांव, बीजापुर।

VII. बंगलौर क्षेत्र

पता : क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खनि विभाग, 17, कुमार पार्क ईस्ट, विमल प्रभा, बंगलौर-560001 (टेलीफोन नं० 26176)

कर्नाटक . .	बेल्लारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, दक्षिण कनारा, चिकमगलूर, तुमकुर, हसन कूर्ग, मैसूर, बंगलौर, माण्डय, कोलार।
तमिलनाडु .	सभी जिले।
केरल . .	सभी जिले।

VIII. उदयपुर उप-क्षेत्र

पता : उप-खान नियंत्रक, भारतीय खनि विभाग, 10, पोलो ग्राउण्ड, नया फतेहपुरा, उदयपुर, राजस्थान।

राजस्थान . .	उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बंसवाड़ा।
गुजरात . .	सभी जिले।

IX. देहरादून उप-क्षेत्र

पता : उप खान नियंत्रक, भारतीय खनि विभाग, घर नं० 17डी, रेस कोर्स, देहरादून, उ० प्र०।

जम्मू एवं कश्मीर .	सभी जिले।
हिमाचल प्रदेश .	सभी जिले।
पंजाब . .	सभी जिले।
हरियाना . .	सभी जिले।,
दिल्ली . .	दिल्ली।
उत्तर प्रदेश . .	झांसी, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर को छोड़कर शेष सभी जिले।

X. नेल्लूर उप-क्षेत्र

पता : उप खान नियंत्रक, भारतीय खनि विभाग, 19/543, झण्डा स्ट्रीट, नेल्लूर-524001, आं० प्र०।

आन्ध्र प्रदेश .	नेल्लूर कडपा, चित्तूर।

XI. जबलपुर उप-क्षेत्र

पता : उप-खान नियंत्रक, भारतीय खनि विभाग, 735, नैपियर टाउन, जबलपुर, म० प्र०। (टेलीफोन नं० 3599)।

मध्यप्रदेश . .	माण्डला, शहडोल, सीधी, रीवा, सतना, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिण्ड, मोरेना, ग्वालियर।
उत्तर प्रदेश .	झांसी, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर।

ये आदेश तुरन्त लागू होंगे।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि भारतीय खनि विभाग के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के ये प्रादेशिक क्षेत्राधिकार खान मालिकों की सामान्य जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये जायें।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि भारतीय खनि विभाग के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार की एक प्रति इस विभाग के क्षेत्राधिकार के अधीन समस्त खान मालिकों को संचारित की जायें।

देवकी नन्दन भार्गव
नियंत्रक
भारतीय खनि विभाग

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-13, दिनांक 1 अप्रैल, 1975

सं० 2222 (ए० बी० एस०)/19 ए०—श्री अजय बिहारी श्रीवास्तवा को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में 650 रु० महावार के आरम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०—35-880-40-1000- द०-रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, अस्थाई क्षमता में, अन्य आदेश होने तक, 7-1-1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 2 अप्रैल, 1975

सं० 2222 (टी० पी० यू०)/19 ए०—डा० तारकेश्वर प्रसाद उपाध्याय को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक के रूप म 650 रु० महावार के आरम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में, अन्य आदेश होने तक, 9-12-1974 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 1975

सं० 2222 (पी० के०)/19 ए०—श्री प्रेम कुमार को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में 650 रु० महावार के आरम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान म अस्थाई क्षमता में, अन्य आदेश होने तक, 31-1-1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 1975

सं० 2222 (ए० के० एस०)/19 ए०—श्री अशोक कुमार सूद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में 650 रु० महावार के आरम्भिक वेतन पर 650-30 740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में अस्थाई क्षमता में, अन्य आदेश होने तक, 27-1-1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 3 अप्रैल 1975

सं० 2222 (बी० डी०)/19 ए०—श्री भावेश दत्त को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० माहवार के आरम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, अस्थाई क्षमता मे, अन्य आदेश होने तक, 1-2-1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है ।

दिनांक 7 अप्रैल 1975

सं० 2251 (जी० पी० एस०)/19-बी०—खनिज समन्वेषण निगम लि० (मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि०) से परावर्तन पर श्री जी० पी० शाह ने ड्रिलर के पद का कार्यभार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में उसी क्षमता में 11 नवम्बर 1974 के पूर्वाह्न से संभाल लिया है ।

दिनांक 10 अप्रैल 1975

सं० 2222 (जी० एस०)/19-ए०—श्री गौतम सरकार को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में 650 रु० माहवार के आरम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में अस्थाई क्षमता में, अन्य आदेश होने तक, 19-2-1975 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है ।

सी० करुणाकरन,
महा निदेशक

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 1975

निदेशक, भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण, श्री निणतला वैंकट कामेश्वर राव को 12 फरवरी 1975 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए इस सर्वेक्षण के मैसूर स्थित दक्षिण भारतीय स्टेशन में अस्थायी तौर पर सहायक मानव-विज्ञानी (सांस्कृतिक) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सी० टी० थोमस,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

राष्ट्रीय एटलस संस्था

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

कलकत्ता-19, दिनांक 9 अप्रैल 1975

सं० 29-12/75-स्था०—अधिसूचना संख्या 29-12/72-स्था० दिनांक 27-1-75 के क्रम में श्री एस० के० विश्वास की राष्ट्रीय एटलस संस्था में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पूर्णतया अस्थायी एवं तदर्थ नियुक्ति 16-4-75 से बढ़ाई जाती है जिसकी अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होगी ।

एस० पी० दासगुप्त
निदेशक

विस्फोटक विभाग

नागपुर, दिनांक 9 अप्रैल 1975

सं० ई०-II(7)—इस विभाग की अधिसूचना सं० ई०-II (7) दिनांक 11 जुलाई, 1969 में श्रेणी 2 के अधीन नाईट्रेट मिक्स्चर,

(1) "पी० आर० एम०-12" की प्रविष्टि में संख्या "1975" के स्थान पर संख्या "1976" प्रतिस्थापित की जाएगी ; और

(2) शब्द और संख्या "पी० आर० एम० 12 और पी० आर० एम०-21" के स्थान पर शब्द और संख्या "परमाफ्लो-1 और परमाफलो-3" प्रतिस्थापित की जाएगी ।

इंगुव नरसिंह मूर्ति
मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनाक 7 अप्रैल 1975

सं० ए०-30014/4/74-एस० छ:—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री आर० डी० मिश्रा, सहायक केन्द्र अभियंता उच्च शक्ति प्रेषित्र, किंग्जवे, दिल्ली को 13 अगस्त, 1968 से सहायक अभियंता के पद पर स्थायीवत् पद-क्षमता मे नियुक्त करते हैं ।

शान्ति लाल
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1975

सं० ए०-12023/2/74-सि० नि० ए०—महानिदेशक, आकाशवाणी, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नामो के आगे उल्लिखित तारीखों से अग्रेतर आदेशों तक आकाशवाणी के सिविल निर्माण स्कंध मे सहायक इंजीनियर (सिविल) के रूप मे स्थानापन्न पद क्षमता मे नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	जिस तिथि से नियुक्त	जिस कार्यालय में नियुक्त
1.	श्री आर० कृष्णस्वामी	18-3-75 (पूर्वाह्न)	उप-मंडलीय कार्यालय (सिविल) सिविल निर्माण स्कंध/आकाशवाणी जालंधर ।
2	श्री पी राधाकृष्णन	10-3-75 (पूर्वाह्न)	उप-मंडलीय कार्यालय (सिविल) सिविल निर्माण स्कंध/आकाशवाणी पटना ।

के० जी० कृष्णमूर्ति
मुख्य इंजीनियर के इंजीनियरी अधिकारी (सिविल)
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

फिल्म समारोह निदेशालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1975

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

सं० एफ० 1/2/75/एफ०एफ० डी० 1—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय के संकल्प संख्या 1/2/75/एफ० एफ० डी० 1 तारीख 5 मार्च, 1975 मे अधिसूचित फिल्मो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों संबंधी नियमावली के नियम 3 और 6 के अनुसार फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारार्थ प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती है । प्रविष्टियां 1974 के कलेंडर वर्ष में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित की गई निम्नलिखित श्रेणियो की भारतीय फिल्मों के संबंध में ही भेजी जा सकेगी:—

(1) फिल्म कला के रूप में

(1) वर्ष की सर्वोत्तम फीचर फिल्म ।

(2) राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म ।

(3) वर्ष की सर्वोत्तम बाल फिल्म ।

(2) फिल्म सूचना साधन के रूप में

(4) सर्वोत्तम सूचना फिल्म (डाकुमैन्ट्री) ।

(5) सर्वोत्तम शैक्षणिक फिल्म ।

(6) सर्वोत्तम सामाजिक फिल्म (जो समकालीन सामाजिक समस्याओं का चित्रण तथा उनका निष्पक्ष विश्लेषण करती हो) ।

(7) सर्वोत्तम व्यवसाय / प्रेरक फिल्म (विज्ञापन) ।

(8) सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म (अव्यावसायिक)

(3) विशेष प्रकार की छोटी फिल्में

(9) सर्वोत्तम प्रयोगात्मक फिल्म ।

(10) सर्वोत्तम कार्टून (एनीमेशन) फिल्म ।

2. उपरि उल्लिखित फीचर फिल्मों तथा अन्य श्रेणियों की फिल्मों के बारे में प्रविष्टियां निर्माता (निर्माताओं) या उस (उन) द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा 5 अप्रैल, 1975 तक भेजी जा सकती हैं । प्रविष्टियां उपरि निर्दिष्ट नियमावली से संलग्न परिशिष्ट में दिए गए फार्म में, दो प्रतियों मे, भेजनी चाहिए । 35 मि० मी० में 1000 मीटर और 16 मि० मी० में 400 मीटर से अधिक लम्बी फीचर फिल्मों और छोटी फिल्मों की प्रत्येक प्रविष्टि फार्म के साथ 100—रुपये की ओर इससे कम लम्बाई की फिल्मों की प्रत्येक प्रविष्टि फार्म के साथ 50 रुपये की ट्रैजरी रसीद भी भेजनी चाहिए । उक्त राशि केन्द्रीय सरकार के खाते में मुख्य शीर्ष 085—सूचना और पब्लिशिटी—रिशीट्स फरोम फिल्म्स के अन्तर्गत जमा करवानी चाहिए ।

3. विभिन्न श्रेणियो की फिल्मों के बारे में प्रविष्टियां निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, विज्ञान भवन एनेक्स (कमरा नं० 392), नई दिल्ली के पास भेजनी चाहिए । प्रिन्टें फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा बताए गए स्थानों पर भेजनी होंगी ।

4. सभी प्रविष्टियों के साथ प्रवेशक को अपने खर्चे पर कलाकारों की सूची सहित फिल्म प्रिन्ट के अतिरिक्त स्क्रिप्ट की 5 प्रतियो सहित फिल्म की भाषा में उसके कथासार 50 प्रतियां, जिनके साथ उनके अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद की 5 प्रतियां भी होंगी, तथा फिल्म की भाषा मे गीतो, यदि हों, की 30 प्रतिया जिनके साथ उनके अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद की 30 प्रतियां भी होंगी, तथा 6 फोटो और फिल्म से संबंधित प्रचार सामग्री भी भेजनी होगी । फिल्म के प्रिन्ट टेक्नीकल आफिसर, फिल्म प्रभाग, 1 महादेव रोड, नई दिल्ली के पास अधिक से अधिक 19 अप्रैल तक पहुंच जानी चाहिए ।

5. फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की नियमावली तथा प्रविष्टि फार्मों की प्रतियां निम्नलिखित से प्राप्त की जा सकती हैं :—

(1) फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान भवन एनेक्स, कमरा नं० 392, नई दिल्ली ।

(2) प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, 91-वालकेश्वर रोड, बम्बई-6.

(3) प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, 35, हेड्डोस रोड, नुगम-बक्कम, मद्रास-6.

(4) प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, 8, एसप्लेनैड ईसट, थर्ड फ्लोर, कलकत्ता-1.

6. पुरस्कारार्थ प्रविष्टि के लिए बाल फिल्म की अधिकतम लम्बाई 35 मि० मी० में 3,400 मीटर या 16 मि० मी० में 1360 मीटर होगी । सूचना फिल्म (डाकुमेंट्री) के मामले को छोड़कर, 'फिल्म सूचना साधन के रूप में' तथा' "विशेष प्रकार की छोटी फिल्मो" की श्रेणियों के अन्तर्गत प्रविष्ट होने वाली फिल्म की अधिकतम लम्बाई 35 मि० मी० में 1000 मीटर या 16 मि० मी० में 400 मीटर होगी । बाल फिल्म के रूप में प्रविष्ट फिल्म फीचर फिल्म के रूप मे और फीचर फिल्म के रूप में प्रविष्ट फिल्म बाल फिल्म के रूप में प्रविष्ट नहीं हो सकेगी ।

संकल्प

संख्या 1-2/75/एफ० एफ० डी०—1974 की फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखत नियम अधिसूचित किए जाते हैं:—

1. इन नियमों को फिल्मो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के नियम, 1974 कहा जाएगा ।

2. इन पुरस्कारों का उद्देश्य कलात्मक सौन्दर्य तथा तकनीकी दृष्टि से उच्च स्तर की तथा सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक महत्व की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना है ।

3. इन नियमों के अन्तर्गत पुरस्कारों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी:—

(ए) फिल्म कला के रूप में

(1) राष्ट्रीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म को पुरस्कार:
वर्ष की राष्ट्रीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक और इसके निर्माता को 40,000 रुपए नकद पुरस्कार तथा इसके निदेशक को 15,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक।

(2) द्वितीय राष्ट्रीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म को पुरस्कार:
इसके निर्माता को 15,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा इसके निदेशक को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक।

(3) राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म को विशेष पुरस्कार:

इसके निर्माता को 30,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा इसके निदेशक को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक।

(4) अधिक प्रभावशाली, पूर्णतया मनोरंजन तथा कलात्मक मूल्य की फीचर फिल्म के लिए विशेष पुरस्कार। इसके निर्माता को एक स्वर्ण पदक तथा निदेशक को एक रजत पदक।

(5) प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सर्वोत्तम फीचर फिल्म को पुरस्कार:

प्रत्येक प्रादेशिक भाषा अर्थात्:

—हिन्दी (उर्दू, हिन्दुस्तानी तथा भोजपुरी, राजस्थानी तथा मेथिली जैसी संबंधित बोलियों सहित), मराठी (कोंकण सहित), गुजराती पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी तथा अंग्रेजी
—बंगला, असमिया, उड़िया और मणिपुर:
—तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम।

की सर्वोत्तम फीचर फिल्म के निर्माता को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक और निदेशक को 5000 रुपए का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक।

(ख) निदेशक में उत्कृष्टता का पुरस्कार:
वर्ष के सर्वोत्तम निदेशक को 20,000 रुपए का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक।

(ग) सिनेमाटोग्राफी (ब्लैक एण्ड ब्हाइट) मे उत्कृष्टता का पुरस्कार:
सादी (ब्लैक एण्ड ब्हाइट) फिल्म के सर्वोत्तम कैमरामैन को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक एक रजत पदक।

(घ) सिनेमाटोग्राफी (रंगीन) में उत्कृष्टता का पुरस्कार:
रंगीन फिल्मों के सर्वोत्तम कैमरामैन को 5000 रुपए का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक।

(ङ) वर्ष के सर्वोत्तम अभिनेता का पुरस्कार:
सर्वोत्तम अभिनेता को छोटी मूर्ति के रूप में "भरत पुरस्कार"

(च) वर्ष की सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार:
सर्वोत्तम अभिनेत्री को छोटी मूर्ति के रूप में "उर्वशी पुरस्कार"।

(छ) वर्ष के सर्वोत्तम बाल अभिनेता / अभिनेत्री का पुरस्कार:

सर्वोत्तम बाल अभिनेता या अभिनत्री, जो 16 वर्ष से अधिक आयु का / की न हो, को एक रजत पदक।

(ज) वर्ष के सर्वोत्तम पार्श्व गायक का पुरस्कार:
सर्वोत्तम पार्श्व गायक को एक रजत पदक।

(झ) वर्ष की सर्वोत्तम पार्श्व गायिका का पुरस्कार:
सर्वोत्तम पार्श्वगायिका को एक रजत पदक।

(य) वर्ष के सर्वोत्तम संगीत निदेशक का पुरस्कार:
(यह पुरस्कार धुनों की मौलिकता के लिए दिया जायेगा।

सर्वोत्तम संगीत निदेशक को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पवक

(ट) वर्ष का सर्वोत्तम स्क्रीन प्ले पुरस्कार:
सर्वोत्तम स्क्रिप्ट लेखक को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक।

(ठ) वर्ष की सर्वोत्तम कहानी का पुरस्कार:
सर्वोत्तम कहानी लेखक को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक।

(ड) वर्ष के सर्वोत्तम गीत का पुरस्कार:
राष्ट्रीय एकता के विषय पर सर्वोत्तम फिल्म गीत के लेखक को 5000 रुपये का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक।

(ढ) वर्ष की सर्वोत्तम बाल फिल्म का पुरस्कार:
निर्माता को 15,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक स्वर्ण पदक तथा निदेशक को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक।

(2) फिल्म सूचना साधन के रूप में:

(क) सर्वोत्तम सूचना फिल्म (डाकुमैन्ट्री):
निर्माता को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा निदेशक को 4,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक।

(ख) सर्वोत्तम शैक्षणिक फिल्म :
निर्माता को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा निदेशक को 4,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक ।

(ग) सर्वोत्तम सामाजिक फिल्म (जो समकालीन सामाजिक समस्याओं को चित्रित करती हो और उनका निष्पक्ष विश्लेषण करती हो)
निर्माता को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा निदेशक को 4,000 रुपये का नकद पुरस्कार और और एक रजत पदक ।

(छ) सर्वोत्तम व्यवसाय प्रेरक फिल्म (विज्ञापन):
निर्माता और निदेशक को एक-एक रजत पदक ।

(ड) सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म (अव्यावसायकि) :
(राष्ट्रीय महत्व यथा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, सहयोग, बचत, कृषि कार्य सहित विकास की गति, आदि के विषयों पर सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म के लिए) निर्माता और निर्देशक को एक-एक रजत पदक ।

(3) विशेष प्रकार की छोटी फिल्में :

(क) सर्वोत्तम प्रयोगात्मक फिल्म :
निर्माता को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा निर्देशक को 4,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक ।

(ख) सर्वोत्तम कार्टून (एनीमेशन) फिल्म :
निर्माता को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा निर्देशक को 4,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक ।

(4) दादा साहेब फाल्के पुरस्कार :
(भारतीय सिनेमा के निमित्त विशिष्ट योगदान के लिए विशेष पुरस्कार) 20,000 रुपए का नकद पुरस्कार, एक स्वर्ण पदक और एक शाल ।

स्पष्टीकरण :

यहां पर 'निर्माता', 'निर्देशक,' 'कैमरामैन', 'अभिनेता', 'अभिनेत्री', 'बाल अभिनेता अभिनेत्री', 'पार्श्व गायक', 'संगीत निर्देशक', 'स्क्रीन प्ले लेखक', 'स्क्रिप्ट लेखक', 'कहानी लेखक' तथा 'गीत लेखक' शब्दों से अभिप्राय क्रमश: उस 'निर्माता', 'निर्देशक', 'कैमरामैन', अभिनेता', 'अभिनेत्री' 'बाल अभिनेता/अभिनेत्री', 'पार्श्व गायक', 'संगीत निर्देशक', 'स्क्रीन प्ले लेखक/स्क्रिप्ट लेखक', 'कहानी लेखक' और 'गीत लेखक' से होगा जिनके नामों का उल्लेख केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रतियोगिता में प्रविष्ट फिल्म के शीर्षकों में होगा ।

4. (क) जिस श्रेणी की फिल्म की प्रविष्टियां दो से कम प्राप्त होंगी, उस फिल्म के निर्माता या निर्देशक को कोई पुरस्कार नही दिया जाएगा ।

(ख) सरकार चाहे तो नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय बचत पत्र या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए इसी प्रकार के किसी अन्य पत्र के रूप में दे सकेगी ।

(ग) नियम 3 की श्रेणी I (क) के अन्तर्गत पुरस्कार जीतने वाली हिन्दीतर भाषा में निर्मित फीचर फिल्म के निर्माता को उसके उप शीर्षक हिन्दी के करवाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी ।

5. केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए पूर्वगामी क्लेंडर वर्ष में प्रमाणित हुई सभी भारतीय फिल्में प्रतियोगिता मे सम्मिलित हो सकेंगी । इस बात की घोषणा निर्माता या अन्य विधिवत अधिकृत व्यक्ति संलग्न परिशिष्ट में दिए गए फार्म में करेगा ।

पुरस्कार के लिए एक फिल्म नियम 3 के अन्तर्गत निर्दिष्ट श्रेणियो अर्थात् सर्वोत्तम फीचर फिल्म, राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फिल्म, सर्वोत्तम सामाजिक फिल्म, सर्वोत्तम बाल फिल्म, सर्वोत्तम सूचना फिल्म, सर्वोत्तम शैक्षणिक फिल्म, सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म, सर्वोत्तम प्रयोगात्मक फिल्म और सर्वोत्तम कार्टून फिल्म में से केवल एक ही श्रेणी मे प्रविष्ट हो सकेगी ।

6. (क) पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तिथि, जो भारत के राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी, तक आमंत्रित की जायेंगी ।

(ख) प्रत्येक प्रविष्टि इन नियमों के परिशिष्ट में दिये गए फार्म पर भेजी जाएगी और 35 मि० मी० में 1000 मीटर और 16 मि० मी० में 400 मीटर से अधिक लम्बी फिल्मों की प्रत्येक प्रविष्टि के साथ 100 रुपये और उससे कम लम्बाई की फिल्मों की प्रत्येक प्रविष्टि के साथ 50 रुपये की प्रविष्टि फीस भेजनी होगी । यह फीस वापिस नही की जायेगी ।

(ग) प्रत्येक प्रवेशक निर्देशक, फिल्म समारोह निदेशालय, विज्ञान भवन एनेक्स, कमरा नं० 392, नई दिल्ली या दूसरे उस प्राधिकारी को जिसे निश्चित किया जाए, निम्नलिखित चीजें अपने खर्चे पर भेजेगा :—

(1) इस प्रकार के प्राधिकारी द्वारा दिए गए समय और स्थान पर केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्म की एक प्रिंट,

(2) फिल्म की भाषा में उसके कथासार की 50 प्रतियां और स्क्रिप्ट की पांच-पांच प्रतियां तथा उनके अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद की 5 प्रतिया, तथा यदि गीत हों तो फिल्म की भाषा में उनकी 30 प्रतियां तथा उनके अंग्रेजी या हिन्दी में भावानुवाद की 30 प्रतियां, तथा संबंधित प्रचार सामग्री सहित 6 फोटो ।

(घ) कोई फिल्म, पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि पाने के योग्य हैं या नहीं और कोई फिल्म, फीचर फिल्म, राष्ट्रीय एकता संबंधी फिल्म, बाल फिल्म, सूचना फिल्म, शैक्षणिक फिल्म, प्रयोगात्मक फिल्म या सामाजिक फिल्म, प्रेरक फिल्म, कार्टून फिल्म है या नहीं, इस संबंध में भारत सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

(ङ) यदि कोई फिल्म किसी ऐसी फिल्म का डब किया हुआ रूप, रिटेक या रूपान्तर है, जो पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राजकीय/राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में प्रविष्ट हो चुकी हो, तो वह नियम 3.1 (क) (1) से (4) ; 3.1 (ट), (ठ) तथा (ढ) के अन्तर्गत किसी भी श्रेणी के लिए प्रविष्टि की पात्र नहीं होगी । परन्तु वह निर्देशन, सिनेमाटोग्राफी, अभिनय, पार्श्व गायन, संगीत निर्देशन तथा गीत में सर्वोत्तमता से संबंधित श्रेणियों अर्थात् 3.1 (ख) से (य) तक और (ङ) के लिए पात्र होगी ।

(च) यदि किसी फिल्म के कई भाषाओं में रूपान्तर हों तो पुरस्कार के लिए उस फिल्म का केवल एक ही भाषा का रूपान्तर प्रविष्ट हो सकेगा ।

(छ) पुरस्कारार्थ प्रविष्टि के लिए बाल फिल्मों की अधिकतम लम्बाई 35 मि० मी० में 3,400 मीटर या 16 मि० मी० में 1,360 मीटर होगी । नियम 3 की (2) और (3) श्रेणियों के अन्तर्गत प्रविष्ट होने वाली फिल्म की अधिकतम लम्बाई 35 मि० मी० में 1000 मीटर या 16 मि० मी० में 400 मीटर होगी । परन्तु यह शर्त सूचना फिल्म (डाकुमैन्ट्री) पर लागू नहीं होगी ।

(ज) प्रविष्टि की अन्तिम तिथि में विशेष मामलों में भारत सरकार की मर्जी पर छूट की जा सकेगी ।

(झ) ऐसी कोई भी फिल्म, जो राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रविष्ट नहीं की गई हो, इन पुरस्कारों की पात्र नहीं होगी ।

7. फिल्म और प्रचार सामग्री के लाने, ले जाने पर जो खर्च होगा वह सारा प्रवेशक को देना होगा ।

8. सभी फिल्में मालिक के जोखिम पर भेजी जाएंगी और यद्यपि सरकार उन सभी फिल्मों की समुचित संभाल करेगी, फिर भी उनके पास रखते समय किसी फिल्म के गुम हो जाने या खराब हो जाने की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं होगी ।

9. पुरस्कारों का निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी और लघु फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी की सिफारिशों पर किया जायेगा। ये ज्यूरियां सरकार को अपनी सिफारिशें देंगी।

10. फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी का गठन निम्नलिखित ढंग से होगा :—

(क) सरकार द्वारा नामजद एक अध्यक्ष; और

(ख) कलाओं, मानव प्रकृतियों तथा फिल्म क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त तथा प्रस्तुतीकरण, निर्देशन तथा तकनीकी मूल्यों सहित फिल्मों की विषय संबंधी तथा कलात्मक योग्यता को जांचने की योग्यता रखने वाले सरकार द्वारा नामजद अधिक से अधिक 24 व्यक्ति।

11. अध्यक्ष प्रत्येक भाषा की फिल्मों को जांच करने के लिए फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी के सदस्यों में से अधिक से अधिक तीन व्यक्तियों का एक पैनल गठित करेगा। यदि किसी विशिष्ट भाषा में प्रविष्टियों की संख्या तीन से कम होगी तो उस भाषा के लिए कोई अलग पैनल गठित नहीं किया जायेगा। उस दशा में, फिल्म (फिल्में) संबंधित प्रदेश को उस भाषा से मिलती-जुलती दूसरी भाषा के वर्ग में रखी जायेंगी।

12. प्रत्येक पैनल उपरिनिर्दिष्ट फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी की बिना श्रेष्ठता क्रम का उल्लेख किए पुरस्कारों के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली अधिक से अधिक 3 फीचर फिल्मों की सिफारिश करेगा। तथापि, यदि पैनल की राय में कोई विशिष्ट फिल्म उसके द्वारा जांची गई अन्य फिल्मों से नियम 3.1 (ख) से (ङ) तक के अन्तर्गत व्यक्तिगत सफलताओं के लिए नियत पुरस्कारो के लिए श्रेष्ठता रखती है, तो उस अवस्था में फिल्म के शीर्षक के साथ विशिष्ट श्रेणी भी निर्दिष्ट करनी होगी।

13. नियम 3.1 (ढ) के अन्तर्गत बाल फिल्मों के लिए प्रविष्ट फिल्मों की जांच के लिए अध्यक्ष द्वारा उपरिउल्लिखित फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी के सदस्यों में से अधिक से अधिक 5 सदस्यों का एक विशेष पैनल गठित किया जायेगा जो उक्त राष्ट्रीय ज्यूरी को बिना श्रेष्ठता क्रम का उल्लेख किये अधिक से अधिक तीन फिल्मों की सिफारिश करेगा।

14. तत्पश्चात् फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी विभिन्न भाषाई पैनलों और बाल फिल्मों संबंधी पैनल द्वारा सिफारिश की गई सभी फिल्मों को देखेगी और नियम 3.1 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए फिल्मों की सिफारिश करेगी।

15. छोटी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी :—

छोटी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी, जिसमें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होंगे, सरकार द्वारा गठित की जायेगी जो सूचना फिल्मों (डाकुमेंन्ट्री), शैक्षणिक फिल्मों, सामाजिक

फिल्मो, प्रेरक फिल्मो (व्यावसायिक और अव्यावसायिक), प्रयोगात्मक और कार्टून फिल्मों की श्रेणियो के अन्तर्गत प्रविष्टियों की जाच करेगी। ज्यूरी सरकार को अपनी सिफारिश सीधी करेगी।

16 नियम 10 और 15 के बावजूद सरकार दोनों राष्ट्रीय ज्यूरियों मे से किसी मे भी इतने अतिरिक्त सदस्यों को नामजद कर सकेगी, जितने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाए कि जिन-जिन भाषाओं की फिल्मो की जाच होनी है, उन प्रत्येक भाषा के जानने वाले या विशिष्ट ज्ञान रखने वाले सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। किन्तु ऐसे सदस्यों की सख्या पाच से अधिक नही होगी।

17. दोनो राष्ट्रीय ज्यूरिया फिल्मो की जाच करने के लिए अपनी-अपनी कार्यविधि स्वय निश्चित करेगी।

18 दोनो राष्ट्रीय ज्यूरियो का कोरम नामजद सदस्यो या उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों की सख्या के आधे से कम नही होगा।

19 दोनो राष्ट्रीय ज्यूरियो के सदस्य नियमो के अतर्गत स्वीकार्य यात्रा और दैनिक भत्ते के अलावा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता से सबधित बैठको मे उपस्थित होने/फिल्मो के प्रिव्यू के लिए 50 रुपये प्रति दिन की दर से परामर्श फीस पाने के हकदार होगे।

20 इस नियमावली के नियम 3 (4) के अन्तर्गत भारतीय सिनेमा के निमित विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जायेगा जो अन्तिम होगा।

21. इन नियमो म निहित कोई बात फीचर फिल्मो के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी और छोटी फिल्मो के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी के लिए यह सिफारिश करने मे बाधक नही होगी कि किसी विशिष्ट भाषा या श्रेणी की फिल्मो मे से कोई भी फिल्म या उनके द्वारा परखी गई फीचर फिल्मो का कोई भी स्क्रीन प्ले लेखक, कहानी लेखक, निर्देशक, कैमरामैन, अभिनेता, अभिनेत्री, बाल अभिनेता, पार्श्व गायक, सगीत निर्देशक और गीत लेखक पुरस्कार के लिए समुचित स्तर का नही है।

22 सरकार को यह अधिकार होगा कि वह पुरस्कारो के लिए प्रविष्ट उस फिल्म की एक प्रिन्ट को जिसे पुरस्कार मिला हो, अपने पास रख सके। उस प्रिन्ट की लागत अर्थात् कच्चे माल की लागत और विधायन प्रभारो की निर्माता की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति तभी की जायेगी जब प्रिंट बिल्कुल नई दी जायेगी।

23 यदि निर्देशन मे उत्कृष्टता का पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म या द्वितीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म या राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म और प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म का भी निर्देशक होगा तो वह केवल एक ही रूप मे अधिक नकद राशि वाला पुरस्कार ही प्राप्त करेगा।

24 यदि किसी पुरस्कृत फिल्म का निर्माता और निर्देशक एक ही व्यक्ति हो और वह दोनो रूपो मे पुरस्कार का पात्र हो तो उसको पुरस्कार या तो निर्माता के रूप मे मिलेगा या निर्देशक के रूप मे, दोनो के रूप मे नही।

25 पुरस्कार के लिए प्रविष्ट फिल्मो के निर्देशक को फिल्म की राष्ट्रीय ज्यूरियो या उनके किसी भी पैनल को सार्वजनिक शो मे या ऐसे किसी अन्य विशिष्ट शो मे जो सरकार द्वारा आयोजित किया जाए, दिखाने मे कोई आपत्ति नही होगी। यदि इससे कोई आय होगी तो वह सरकार के राजस्व मे जमा करवाई जायेगी।

26 दोनो राष्ट्रीय ज्यूरियो के सदस्य ज्यूरी की बैठको की कार्रवाई और सिफारिशो को गोपनीय समझेगे।

27 यदि किसी प्रविष्ट फिल्म के पक्ष मे किसी भी प्रकार की पैरवी होगी तो वह पुरस्कार के अयोग्य ठहरा दी जायेगी। यदि दोनो राष्ट्रीय ज्यूरियो का कोई भी सदस्य किसी विशिष्ट फिल्म के लिए पैरवी करता हुआ पाया गया तो वह ज्यूरी की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

28 पुरस्कारो और इन नियमो के सही मतलब का जहा तक सबध है, केन्द्रीय सरकार के निर्णय अन्तिम होगे और उनके विरुद्ध कोई अपील नही की जा सकेगी।

29. पुरस्कार, प्रतिवर्ष पुरस्कार वितरण समारोह मे दिये जायेगे जिस की तिथि और जगह सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

30 जो व्यक्ति इन नियमो के अतर्गत फिल्मो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारो मे भाग लेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने यह नियम मान लिए है।

फिल्मो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारो के नियमो का परिशिष्ट

सेवा मे,

निदेशक
फिल्म समारोह निदेशालय,
विज्ञान भवन अनैक्स (कमरा न० 392)
नई दिल्ली।

फिल्मो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारो के लिए प्रविष्टि

1 मै वर्ष 1974 के लिए फिल्मो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारार्थ निम्नलिखित फिल्म प्रविष्ट करना चाहता हू —

(1) फिल्म का नाम
(2) वर्गीकरण . फीचर/बाल चित्र/डाकुमैन्ट्री/ शैक्षणिक/ सामाजिक/प्रेरक (विज्ञापन)/प्रेरक (अव्यावसायिक/ प्रयोगात्मक/कार्टून फिल्म
(3) फिल्म की भाषा .
(4) फिल्म की लम्बाई, गेज और समय
(5) रीलो की सख्या
(6) सादी/रंगीन
(7) सेन्सर प्रमाण-पत्र मे फिल्म का वर्गीकरण 'ए' है या 'यू' :

(8) निर्माता का नाम और पूरा पता (यदि टेलीफोन नं० और तार का पता हो तो वह भी देवें):

(9) निर्देशक का नाम और पूरा पता :

(10) कहानी लेखक का नाम और पूरा पता :

(11) स्क्रीन प्ले लेखक/स्क्रिप्ट लेखक का नाम और पूरा पता :

(12) (क) नायक और नायिका के नाम और पूरे पते .

(ख) यदि 16 वर्ष से कम का कोई बाल अभिनेता हो तो उस का नाम और पूरा पता :

(13) पार्श्व गायक का नाम और पूरा पता :

(क) पार्श्व गायक :

(ख) पार्श्व गायिका :

(14) कैमरामैन का नाम और पूरा पता :

(15) संगीत निर्देशक का नाम और पूरा पता :

(16) गीतकार का नाम तथा पूरा पता :

(17) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रदर्शन-प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख :

(18) रिलीज होने की तारीख :

(19) यदि फिल्म किसी दूसरी फिल्म का डब किया हुआ रूप, रूपान्तर या रिटेक है, तो जिस फिल्म का वह डब किया हुआ, रूप, रूपान्तर या रिटेक है, उसका ब्यौरा :

2. मैंने इन पुरस्कारों संबंधी नियमों को पढ़ लिया है और मैं उनके पालन करने के लिए सहमत हूं ।

3. मैं घोषणा करता हूं कि मैं यह प्रविष्टि भेजने के लिए फिल्म के निर्माता द्वारा विधिवत अधिकृत हूं (यह घोषणा उस हालत में करनी है जब प्रविष्टि भेजने वाला व्यक्ति निर्माता न हो) ।

(4) मैं प्रमाणित करता हूं कि यह फिल्म किसी ऐसी फिल्म का डब किया हुआ रूप, रूपान्तर या रिटेक नहीं है जो पहले किसी राजकीय/राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रविष्टि हो चुकी हो, और प्रविष्टि के रूप में जो प्रिन्ट भेजी जा रही है, वह ठीक उसी रूप में है जिसमें वह केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित की हुई है ।

5. मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सच है ।

तारीख : हस्ताक्षर :

स्थान : पता :

नोट : जहां भी कोई सूचना देनी है, वह वही होनी चाहिए जो फिल्म के नामोल्लेख में हो । फिल्म का नाम और प्रोड्यूसरों निर्देशकों और तकनीशियनों, आदि के नाम अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में दिये जाने चाहिये ।

फिल्म प्रभाग

बम्बई-26 दिनांक 31-3-1975

सं० ए० 12026/2/73-सीबन्दी-I—श्री एन० एफ० दिवानी, लेखा अधिकारी, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व कार्यालय, नई दिल्ली, जो फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली में उपनियुक्ति पर थे, दिनांक 1-3-1975 के पूर्वान्ह से उनके अपने कार्यालय में प्रतिनियुक्त हुये । फिल्म प्रभाग से कार्यभाग छोड़ने के बाद उनको 1-3-1975 से 30-4-1975 तक 61 दिन की छुट्टी मंजूर की है ।

एम० के० जैन

सहायक प्रशासकीय अधिकारी

कृते प्रमुख-निर्माता

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च, 1975

सं० 9/53/60-स्थापना-1—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक ने इस निदेशालय में स्थायी कनिष्ठ कलाकार श्री बी० बी० बैनर्जी को एतद् द्वारा 17 मार्च, 1975 से अगले आदेश तक स्थानापन्न चीफ माडलर के रूप में तदर्थ आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है । पद नियुक्ति स्थानापन्न आर्ट एक्जीक्यूटिव (विजुअलाइजर) के पद पर नियुक्त किए गई श्री सी० बी० परगनिवा के स्थान पर की गई है ।

आर० एल० जैन,

उप निदेशक (प्रशासन)

कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल, 1975

सं० 10-4/75-एडमिन-1—राष्ट्रपति ने श्रीमती गीताश्री मुखर्जी को केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला में कण्टकनाश अवशेष विश्लेषण के लिए कनिष्ठ रसायनज्ञ के पद पर 18 जनवरी, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

दिनांक 4 अप्रैल 1975

सं० 1-21/73-एडमिन-1—राष्ट्रपति जी ने श्री एस० सुब्बा राव को 5 अक्तूबर, 1972 से अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन-स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता में पर्यावरणिक स्वच्छता के सह-प्रध्यापक के स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया है ।

दिनांक 7 अप्रैल 1975

सं० 1-8/72-एडमिन-1—अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता, के प्रशासन अधिकारी श्री जी० सी० बसु, अधिवार्षिकी वय की प्राप्ति पर 31 दिसम्बर 1974 के अपराह्न में सेवा से निवृत्त हो गए ।

सं० 11-3/74-एडमिन-1—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री जी० पंचापकेशन को 28 जनवरी, 1975 के पूर्वाह्न से 31 मार्च, 1975

के अपराह्न तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

राष्ट्रपति ने श्री जी० पद्मापकेशन को उपर्युक्त अवधि के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप-निदेशक (प्रशासन) के पद पर भी नियुक्त किया है।

दिनांक 11 अप्रैल 1975

सं० 1-6/74-एडमिन-1—राष्ट्रपति ने कुमारी वडलामणी सुभद्रा को 20 मार्च, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता, में धात्री परिचर्या के सहायक प्रोफेसर के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है।

दिनांक 14 अप्रैल 1975

सं० 1-17/69-एडमिन-1—अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता के जीव भौतिकी के प्रोफेसर डा० जी० सी० करमरकर, अधिवार्षिकी वय की प्राप्ति पर 31 जनवरी, 1975 के अपराह्न में सेवा से निवृत्त हो गए।

दिनांक 16 अप्रैल, 1975

सं० 33-4/75-एडमिन-1—राष्ट्रपति ने सेवा-निवृत्त अनुभाग अधिकारी श्री एन० एस० कालरा, को 3 मार्च, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली, में जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर अवैतनिक रूप से नियुक्त किया है।

सं० 17-7/75-एडमिन-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली, के वरिष्ठ विज्ञान सहायक श्री वी० आर० मैनकर को इसी निदेशालय में श्री के० सी० गगल के स्थान पर, जो 28 फरवरी, 1975 तक छुट्टी पर है, 1 जनवरी 1975 के पूर्वाह्न से तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

सूरज प्रकाश जिन्दल,
उप निदेशक प्रशासन,

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल, 1975

सं० 16-17/74-एस-1—मेडिकल स्टोर संगठन में उप सहायक महानिदेशक (मेडिकल स्टोर) श्री गुरमुख सिंह ने सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर 31 मार्च, 1975 के अपराह्न को अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया।

संगत सिंह,
उप निदेशक प्रशासन (स्टोर)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल, 1975

सं० 35-9/74-सी० एच० एस०-1—डा० (श्रीमती) मधुर गुप्ता ने अपने स्थानान्तरण पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत 12-2-1975 के अपराह्न को कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (तदर्थ आधार पर) के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा 13 फरवरी, 1975 (पूर्वाह्न) को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, में वर्तमान शर्तों पर ही कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

दिनांक 11 अप्रैल, 1975

सं० 13-2/75-सी०एच०एस०-1—केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी० डी० ओ० ग्रेड-1 के अधिकारी डा० ए० के० सरकार ने स्थानान्तरण पर 20 मार्च, 1975 के पूर्वाह्न को राजकुमारी अमृतकौर परिचर्या महाविद्यालय, नई दिल्ली, में चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा उसी दिन केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप-सहायक निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी० डी० ओ० ग्रेड-1 की अधिकारी डा० (श्रीमती) आर० चावला ने स्थानान्तरण पर 19 मार्च, 1975 के अपराह्न को ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, में चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा 20 मार्च, 1975 के पूर्वाह्न को राजकुमारी अमृतकौर परिचर्या महाविद्यालय एन्डरूज गंज, नई दिल्ली, में चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

सं० 34-46/74-सी०एच०एस०-1—अपने स्थानान्तरण के फलस्वरूप डा० रवी शंकर ने 25 नवम्बर, 1974 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली, के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा 25 नवम्बर, 1974 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में इसी पद का कार्यभार वर्तमान शर्तों पर ही ग्रहण कर लिया।

रवीन्द्र नाथ तिवारी,
उप निदेशक प्रशासन (सी०एच०एस०)

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय

कृषि विभाग

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 22 मार्च, 1975

सं० 5(4)/74-सिब्बदी (प्रथम)—विस्तार निदेशालय के डब्लू० सी० सी० एस० अनुभाग के प्रभारी अधिकारी श्री एस० पी० छिब्बर को आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन में नियंत्रक पद, द्वितीय श्रेणी (अकेन्द्रीय सचिवालय सेवा) पर चुन लिये जाने के परिणाम स्वरूप उन्होंने 10-3-75 के पूर्वाह्न से विस्तार निदेशालय में अपने पद का कार्य-भार छोड़ दिया है।

दिनांक 2 अप्रैल 1975

स० मि० न० 12(9)/79-सिब्बदी (प्रथम)—विस्तार निदेशालय के निम्नलिखित अधीक्षक (ग्रेड प्रथम) दिनांक 23 अगस्त, 1973 से रुपये 700-30-760-35-900 के वेतनमान

में सामान्य केन्द्रीय सेवा द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित) (लिपिक) वर्गीय स्थायी अधीक्षक (ग्रेड प्रथम) के पद पर मूल रूप से नियुक्त किए जाते है ।

1 श्री के० एल० इस्सर,

2. श्री के० पी० श्रीनिवासन

दिनाक 3 अप्रैल, 1975

न स० मि० 2(7)/70-सिब्बदी (प्रथम)—श्री हरि शकर गौतम रुपये 700-30-760-35-900 के वेतनमान मे दिनाक 28 फरवरी, 1975 से 31 मई, 1975 तक विस्तार निदेशालय, कृषि तथा सिचाई मत्रालय, (कृषि विभाग) मे अधीक्षक (प्रथम ग्रेड), श्रेणी द्वितीय, (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय) के पद पर स्थानापन्न तदर्थ रूप से कार्य करते रहेंगे ।

निर्मल कुमार दत्त,
प्रशासन निदेशक

(ग्रामीण विकास विभाग)

विपणन और निरीक्षण निदेशालय

(प्रधान शाखा कार्यालय)

नागपुर, दिनाक 2 अप्रैल, 1975

स० फा० 2/8/75-वि० II—स० 3 (टी०एल०)/2/65-वि० II, स० 3(44)/9/72-वि० II, स० 5/11/69-वि० II, स० 2/8/70-वि० II तथा भारत के राजपत्र भाग III खण्ड 1 दिनाक 21-7-73 (पृष्ठ 1840 से 1843) को प्रकाशित अधिसूचना के आशिक रूपान्तरण मे श्री एस० के० साभरवाल, सहायक विपणन अधिकारी के नाम को, उक्त अधिसूचना मे जहा कही भी आया हो, रद्द समझा जाए ।

स० फा० 2/8/75-वि० II—भारत के राजपत्र मे प्रकाशित और स० 125, 126, 127 दि० 15-9-1962, स० 1131, 1132 दि० 7-8-1965, स० 448 दि० 14-3-1964, स० 1133, 1134, 1135 दि० 7-8-1965 भारत सरकार के वित्त मत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना के लिए मै एतद्द्वारा श्री के० सूर्यानारायन, सहायक विपणन अधिकारी को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से काली मिर्च, इलायची, मिर्च, अदरक, हल्दी, खाने के आलू, प्याज, लहसुन और दालो के सम्बन्ध मे जिनका श्रेणीकरण कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्न) अधिनियम 1937 (1937 का 1) के खण्ड 3 के अधीन सूत्रीकृत सबद्ध पण्यो के श्रेणीकरण और चिह्नन नियमो के उपबन्धो के अनुसार किया जा चुका है, श्रेणीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करता हू ।

स० फा० 2/8/75-वि० II—भारत के राजपत्र मे प्रकाशित और स० 125, 126, 127 दि० 15-9-1962, स० 1131, 1132 दि० 7-8-1965 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना के लिए मै एतद्द्वारा श्री ई० एस० पाउलोस, सहायक विपणन अधिकारी को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से काली मिर्च, इलायची, मिर्च, अदरक और हल्दी के सम्बन्ध मे, जिनका श्रेणीकरण कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के खण्ड 3 के अधीन सूत्रीकृत सबद्ध पण्यो के श्रेणीकरण और चिह्नन नियमो के उपबन्धो के अनुसार किया जा चुका है, श्रेणीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करता हू ।

स० फा० 5/11/69-वि० II—जी० एस० आर० 1133, 1134, 1135 दि० 7-8-1965, जी० एस० आर०-448 दि० 14-3-1964, स० 124 दि० 15-9-1962, जी० एस० आर० 1421 दि० 1 8-1963, स० 12 दि० 9-6-1945, स० 1 कैम्प दि० 5-1-1946, स० 6 दि० 5-2-1949, स० 64 दि० 17-6-1961, स० 1130 दि० 7-8-1965 और भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओ के लिए मै एतद्द्वारा श्री बी० एस० भारद्वाज, सहायक विपणन अधिकारी को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से प्याज, लहसुन, दाले, खाने के आलू हड, तम्बाकू और तेन्दू के पत्ते के सम्बन्ध मे, जिनका श्रेणीकरण कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के खण्ड 3 के अधीन सूत्रीकृत और समय समय पर यथासशोधित प्याज, लहसुन, दाले, खाने के आलू, हड, तम्बाकू और तेन्दू के पत्ते के श्रेणीकरण और चिह्नन नियमो के उपबन्धो के अनुसार किया जा चुका है, श्रेणीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करता हू ।

फरीदाबाद, दिनाक 11 अप्रैल, 1975

स० फा० 4-6(84)/75 प्रशा० I—सघ लोक सेवा आयोग की सस्तुतियो के अनुसार श्री एन० बी० वर्दे, को विपणन एव निरीक्षण निदेशालय मे नागपुर मे दिनाक 25 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक, स्थानापन्न आधार पर सहायक विपणन अधिकारी वर्ग-तृतीय, नियुक्त किया गया है ।

एन० के० मुरालीधरा राव,
कृषि विपणन सलाहकार

परमाणु उर्जा विभाग

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद, 500040 दिनाक 4 अप्रैल, 1975

स० नाईस/प्रशा०/22/12/422—नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के विशेष-कार्य-अधिकारी, श्री अनन्त बन्धु गुहा को 15 फरवरी, 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद, मे अस्थायी रूप से, स्टेशन अधिकारी नियुक्त करते है ।

एस० पी० म्हात्रे,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक मार्च, 1975

सं० ए०-38013/1/74 ई० सी०—प्रभारी अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, भावनगर के कार्यालय के श्री ए० डी० एच० कारवेलो सहायक सचार अधिकारी ने मूल नियम 56(ट) के अधीन सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर 27-1-75 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

एतद्द्वारा इस विभाग की 26-2-74 की अधिसूचना संख्या ए०-38013/1/74 ई० सी० रद्द की जाती है।

स० ए०-32013/9/73 ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियो को उनके नामो के सामने दी गई तारीखों से अगले आदेश जारी होने तक नागर विमानन विभाग मे उनके नामो के सामने दिए गए पदो पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है

क्रम स०	नाम और पदनाम	पद जिस पर नियुक्त की गई	नियुक्ति की तारीख	तैनाती स्टेशन
1.	श्री के० रामलिगन, तकनीकी अधिकारी।	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	20-1-75	वैमानिक संचार स्टेशन कलकत्ता
2.	श्री एस० के० गुप्ता, संचार अधिकारी	वरिष्ठ संचार अधिकारी	2-5-74	वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता
3.	श्री आर० पी० शर्मा, संचार अधिकारी।	वरिष्ठ संचार अधिकारी	7-5-74	वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता

सं० ए० 12025/1/74-ई० एस०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सहायक विमानन निरीक्षकों को उनके नामों के सामने दी गई तारीखो से अगले आदेश जारी होने तक विमान निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है.

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती स्टेशन
1.	श्री यू० पी सतपथी	12-2-75	नियंत्रक वैमानिक निरीक्षण कलकत्ता का कार्यालय।
2.	श्री जे० आई एस० वेर्दी	15-2-75	नियंत्रक वैमानिक निरीक्षण, नई दिल्ली का कार्यालय

सं० ए०-38013/1/75 ई० सी०—संचार नियंत्रक, वैमानिक सचार स्टेशन, कलकत्ता के कार्यालय के श्री आई० लाल रौरा, सहायक संचार अधिकारी ने निर्वतन आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाने पर 31 जनवरी 1975 (अपराह्न) मे अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दिनाक अप्रैल 1975

सं० ए० 38012/1/75-ई० सी०—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित अधिकारी 28 फरवरी, 1975 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए है।

क्रम सं० नाम, पदनाम और तैनाती स्टेशन

1. श्री ए० के० मित्रा, नियंत्रक संचार, कलकत्ता एयरपोर्ट, दम दम-52।
2. श्री बी० डी० राव, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, रेडियो निर्माण एव विकास, एकक, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली।

दिनाक 5 अप्रैल 1975

स० ए० 32014-1/74-ई० सी० :—राष्ट्रपति ने नागर विमानन विभाग के निम्नलिखित तकनीकी सहायकों को उनके नामों के सामने दी गई तारीखो से अगले आदेश जारी होने तक अस्थायी रूप में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती का वैमानिक संचार स्टेशन
	सर्वश्री		
1.	मुख्तियार सिह	1-3-75	वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता
2.	एम० के० चटर्जी	10-1-75	वैमानिक संचार स्टेशन, इंफाल
3.	प्यारा सिह	3-1-75	वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता
4	सी० एन० महादेव	14-3-75	वमानिक सचार स्टेशन, पालम
5.	टी० आर० मेनन	4-1-75	वैमानिक संचार स्टेशन कलकत्ता
6.	एम० डी० रगानाथन	2-1-75	वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास
7.	वाई० पी० भाटिया	22-1-75	वैमानिक सचार स्टेशन बारापानी शिलांग
8.	बी० आर० राव	10-1-75	वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई
9.	एम० अप्पा राव	7-1-75	वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास

हरबन्स लाल कोहली,
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 1975

सं ए०-32013/1/7 ई० सी०—राष्ट्रपति ने श्री आर० एस० गोयला वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी को 29 मई 1974 से अगले आदेश जारी होने तक नागर विमानन विभाग (मुख्यालय) नई दिल्ली में स्थानापन्न रूप से सहायक निदेशक संचार के पद पर नियुक्त किया।

दिनांक 25 मार्च 1975

सं० ए०-32013/1/74-ई० सी०—राष्ट्रपति ने श्री वी० एस० आयर, सहायक संचार अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास को स्थानापन्न रूप से 19-9-1974 (पूर्वाह्न) से, श्री एन० सुन्दरम, संचार अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन त्रिवेंद्रम, जिनकी छुट्‌टी स्वीकृत की गई के स्थान पर, वैमानिक संचार स्टेशन, त्रिवेंद्रम में तदर्थ आधार पर संचार अधिकारी के पद पर नियुक्त किया ।

सं ए०-32013/1/74 ई० सी०—राष्ट्रपति ने श्री डी० एस० श्रीवास्तव, सहायक तकनीकी अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन नई दिल्ली को स्थानापन्न रूप से 12 दिसम्बर, 1974 से श्री के० पी० बी० नायर तकनीकी अधिकारी, जिनकी छुट्टी स्वीकृत की गई, के स्थान पर केन्द्रीय रेडियो स्टोरज डिपो, नई दिल्ली में तदर्थ आधार पर तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया ।

सं० ए०-32013/1/74 ई० सी०—राष्ट्रपति ने श्री एन० सी० नाथ, सहायक निदेशक संचार स्थानापन्न रूप से 17 मई 1974 (पूर्वाह्न) से श्री वी० चन्द्रशेखरन, उप निदेशक संचार जिन की छुट्टी स्वीकृत की गई, के स्थान पर नागर विमानन विभाग (मुख्यालय) नई दिल्ली में तदर्थ आधार पर उप निदेशक संचार के पद पर नियुक्त किया।

सं ए०-32013/1/74-ई० सी०—राष्ट्रपति ने श्री एल० पी० सामुल, सहायक तकनीकी अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई को स्थानापन्न रूप से 30 सितम्बर, 1974 (पूर्वाह्न) से श्री एम० एन अधुर, तकनीकी अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई, जिनको छुट्टी स्वीकृत की गई, के स्थान पर उसी स्टेशन पर तकनीकी अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया।

दिनांक 4 अप्रैल 1975

(शुद्धि-पत्र)

सं० ए०-32013/5/73-ई० सी०—नागर विमानन महानिदेशालय के 27 फरवरी, 1975 की अधिसूचना सं ए० ए० 32013/5/73 ई० सी० में "श्री एस० के स्वामी आय्यर" का नाम संशोधित रूप में "श्री एस० कृष्णास्वामी" पढ़ा जाए।

हरबंस लाल कोहली
उप निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 29 मार्च 1975

सं० ई०(1) 06562—वेधशालाओं के महानिदेशक एतद् द्वारा वेधशालाओं के उप महानिदेशक (उपकरण), नई दिल्ली के कार्यालय के व्यवसायिक सहायक श्री एस० एन० कथूरिया को पहली मार्च, 1975 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ नियुक्त करते हैं।

स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ श्री एस० एन० कथूरिया, वेधशालाओं के उप महानिदेशक (उपकरण), नई दिल्ली के कार्यालय में ही तैनात रहेंगे।

सं० ई० (1) 05102—वेधशालाओं के महानिदेशक एतद् द्वारा व्यवसायिक सहायक श्री जी० वर्धराजन की जो कि अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुख्य कार्यालय, जेनेवा में तकनीकी अधिकारी के प में प्रतिनियुक्त है, 9 दिसम्बर, 1974 से और आगामी आदेशो तक इस विभाग में भारतीय मौसम सेवा, श्रेणी-II (केंद्रीय सेवा, श्रेणी दो) में सहायक मौसम विशेषज्ञ के पद पर प्रपत्र पदोन्नति का अनुमोदन करते हैं।

नूतन दास,
मौसम विशेषज्ञ,
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 7 अप्रैल 1975

सं० 1/251/75-स्था० :—श्री एम० एम० शर्मा, स्थायी सहायक पर्यवेक्षक, नई दिल्ली शाखा को 13 मार्च 1975 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक कलकत्ता शाखा में स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है।

पु० ग० दामले,
महानिदेशक।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय

बड़ौदा, दिनांक 20 जनवरी 1975

स० 1/75 श्री एम० एम० अन्ताणी, स्थायी मुख्य लेखा अधिकारी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, वर्ग-II बड़ौदा 30-9-1974 के अपराह्न से निवर्तन पेंशन पर सेवा निवृत्त हो गये हैं, उनकी जन्म तिथि 6-9-1916 है।

न० बे० मंजाना
समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बड़ौदा

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अप्रल 1975

निदेश नं० अमृतसर/पी एच जी/ए पी-10/75-76—यतः मुझे वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी संख्या धरती है तथा जो खलवाड़ा रोड फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पुर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मनोहर लाल सुपुत्र सन्त लाल जनरल अटार्नी आफ श्री कृष्ण लाल उर्फ किशन लाल सुपुत्र सन्त लाल मार्फत कलकत्ता मैटिंग हाउस लोहा मण्डी रोड, फगवाड़ा (अन्तरक)

(2) श्री हरभजन सिंह पुत्र श्री साधु सिंह पुत्र श्री दसौन्दा सिंह निवासी गांव मानक तहसील फगवाड़ा (अन्तरिती)

(3) जैसा नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1094 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है।

वी० आर० सागर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 10-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 10 अप्रैल 1975

निदेश नं० अमृतसर /टी टी एन/ए पी-11/75-76—यत: मुझे वी० आर० सागर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सम्पत्ति है तथा जो 1/61 एम सी 168/237 198/274 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, के कार्यालय, तरनतारन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त तथा नवम्बर, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की उक्त धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री धर्म सिंह सपुत्र आत्मा सिंह सुपुत्र लाभ सिंह, करतार सिंह सुपुत्र आत्मा सिंह, नेहरु गेट, अमृतसर रोड तरनतारन अब 206 सैक्टर 15-, चण्डीगढ़। (अन्तरक)

(2) श्री परमजीत सिंह आहुजा सुपुत्र सुन्दर सिंह मार्फत मैसर्ज सुन्दर सिंह, इन्द्र सिंह, आटा चक्की वाला अमृतसर रोड, तरनतारन। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है तथा सम्पत्ति मे रहने वाले आदमी (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3504 अगस्त 1974 तथा 4266 नवम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तरनतारन में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 10-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
कार्यालय भोपाल

तारीख 11-4-75

निर्देश नं० एस० आर० / इन्दौर / 30-8-74— अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी स० मुनिस्पल मकान है, जो पिंजराबाखल मे स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर मे रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 30-8-74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती देवकरन बाई पति श्री बृजलाल 65, हरीगंज खण्डवा (अन्तरक)

(2) श्रीमती सूरजबाई पति श्री बाबू लाल राठौर रमेश चन्द्र राठौर इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मुनिश्पल मकान नं० 90 पिंजरा बाखल इन्दौर

एम० एफ० मुन्शी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक 11 अप्रैल 1975

निदेश नं० एस० आर० / रीवा/ 5-8-74 —अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है । की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं 1560 / 0.05 है, जो रीवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पुर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कायलिय, रीवा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 5-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए सुकर बनाना ;

अतः अब उक्त अधिनयिम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनयिम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

1. श्री बान्धवेश महाराजा साहब बहादुर मार्तण्ड सिंह जूदेव तनय भूतपूर्व महाराजा गुलाब सिंह निवास- किला रीवा तह० हुजूर जिला रीवा (2) श्री अच्युदानन्द मिश्रा उर्फ स्वामी जी तनय सूरज दीन मिश्रा ग्रामाहिया रीवा तह० हुजूर जिला रीवा । (अन्तरक)

2. श्री रामनदास तनय चौथराम (2) जवाहर लाल तनय रामनदास निवास-धोधर रीवा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 1560 / 0.05 एलोगथिथ बिल्डिंग गजरथ खाना नं० 10/326 रीवा तह० हुजूर ।

एम० एफ० मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल दिनांक 11 अप्रैल 1975

निदेश सं० एस० आर० / उज्जैन / 26-8-74—अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)।
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति; जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो कालीदास मार्ग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 26-8-74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर आधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती रा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री चम्पालाल पुत्र व छाजी गोराना ठेकेदार निवास कालीदास मार्ग उज्जैन (अन्तरक)

(2) जानकी लाल पुत्र छगन लाल त्रिवेद्वी चीफ वैल फेअर आफीसर गवालियर रेयन सिल्क मिल्स बिरला नगर नागदा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पार्ट मकान बियरिंग एम० नम्बर 6/15 कालीदास मार्ग माधव नगर- उज्जैन

एम० एफ० मुंशी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-74

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

भोपाल

दिनांक 11 अप्रैल 1975

निदेश सं० एस० आर० / मुरैना / 28-8-74 — अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान और दुकान है, जो जीवाजीगंज में स्थित है (और इसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुरैना मे रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 27-8-74 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है -

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में लिए सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ठाकुर दास पुत्र जयसरन खत्री पंजाबी निवास-दत्तपुरा मुरैना काशीराम वर्मा पुत्र ठाकुर दास मुरैना (अन्तरक)

(2) श्री लालजीत सिंह रामदयाल सिंह पुत्र मेघा सिंह राजपूत निवास - गांव खण्डौली (अन्तरिती)
तह० जौरा -जिला मुरैना निवास- ब्लाक नं० 76 एम० मकान नं० 47/ 4 जीवाजी गंज मुरैना

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान और दुकान मण्डी कमेटी ब्लाक नं० 76 एम मकान नं० 47 / 4 जीवाजी गंज मुरैना।

एम० एफ० मन्शी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल

तारीख : 11-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) भोपाल

दिनांक 11-अप्रैल 1975

निदेश सं० एस० आर० / रायपुर / 8-8-74— अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है, जो टेकरापारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर मे रजिस्ट्रीकृत अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 8-8-74 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कृशन प्रकाश पुजारी पुत्र श्री गोपाल पुजारी निवास- सदर बाजार रायपुर (अन्तरक)

(2) श्री मानिक लाल चन्दूलाल भौमानी रायपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नम्बर 276 पोर्शन ऐरिया 1.15 गांव टेकरापारा रायपुर।

एम० एफ० मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

भोपाल

दिनांक 11- 4- 75

निदेश सं० एस० आर० / बुरहानपुर / 22-8-74: — अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और

जिसकी सं० भूमि है, जो शाहपुरगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुरहानपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 22- 8- 74 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री किशन फकिरा चौधरी निवास- गांव रावेर तालुका रावेर (अन्तरक)

(2) श्री प्यारे लाल अथराम गावेर निवास गांव शाहपुर - बुरहानपुर वेस्टनिमाड़ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि बनी हुई गांवशाहपुर तहबुरहानपुर एरिया - 6.13 एकड़।

एम० एफ० मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11- 4- 75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, तारीख 11-4-75

निदेश सं० एस० आर० / ग्वालियर / 30-8-74 —अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)। की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० एगरीकं चन भूमि है, जो महलगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ग्वालियर में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 30-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री अमरसर कारपिट और रेक्स मन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लश्कर ग्वालियर (अन्तरक)

(2) मैसर्ज श्री हरी ओम् ट्रेडिंग कम्पनी इन्द्रगंज लश्कर ग्वालियर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एगरीकंचन भूमि बनी हुई महलगांव ग्वालियर

एम० एफ० मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, तारीख 11-4-75

निदेश सं० एस० आर० / भोपाल / 12-8-74:—अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है। की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट है, जो लिल्ली टाकीज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकर्ता अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 12-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त आय-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने म सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मती निर्मिला गुप्ता पति श्री विनोद चन्द्र गुप्ता निवास सुल्तानिया रोड, भोपाल (अन्तरक)

(2) श्री शान्त निरंनकारी मंडल दिल्ली-8 द्वारा रामसरन दास

पुत्र सरदार निहाल सिंह सैक्ट्री शान्त निरंनकारी मदनलाल दिल्ली 8 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आधा भाग पश्चिम की तरफ प्लाट बना हुआ जवाबित लाइन पास में लिल्ली टाकीज, भोपाल

एम0 एफ0 मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्ष)
अर्जन रेंज भोपाल

तारीख : 11 4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल तारीख 11-4-75

निदेश सं० एस० आर० / बिलासपुर / 23-8-74 :— यत., मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनयम, कहा गया है।) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 5/9 है, जो मसान गंज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बिलासपुर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 23-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल, के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है यहकि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री अशोक राव पुत्र राघवेन्द्र राव, निवास गोड़पारा बिलास पुर (अन्तरक)

(2) श्री बन्द्रीसिंह पुत्र छविलाल सिंह ठाकुर पारा (2) बलराम सिंह निवास - पार बिलासपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सीट नं० 24 प्लाट नं० 5/9 बना हुआ मसान गंज बिलास पुर

एम० एफ० मुन्शी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

कार्यालय भोपाल

तारीख 11-4-75

निदेश सं एस० आर० / उज्जैन / 5-8-74 — अत:, मुझे, एम एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम, कहा गया है।

की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान न० 145 है, जो फुव्वारा चौक मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन मे रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 5-8-74 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान

प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती विमला बेन विधवा मणीलाल शाह (2) श्री विपन कुमार (3) नरेश कुमार (4) प्रफुल कुमार पुत्रगण श्री मणीलाल शाह (5) अरुणबेन पुत्री मणीलाल शाह निवास बहादुर गज उज्जैन (6) प्रमिलाबेन पुत्री मणीलाल शाह निवास अहमदाबाद (अन्तरक)

(2) श्री जगदीश राम पुत्र मथुरादास जी जुनेजा निवास फुव्वारा चौक, उज्जैन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान न० 145 फुव्वारा चौक उज्जैन

एम० एफ० मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), कार्यालय भोपाल

तारीख 11-4-75

निदेश सं० एस० आर० / इन्दौर / 26-8-74:—अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० मकान न० 5 है, जो बड़ा सराफा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर मे भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 26-8-74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री प्यारेलाल पुत्र बद्रीनारायण (2) नत्थू लाल पुत्र केवल राम कपेल (3) बालमुकुन्द, हरीनारायण चित्तौड़ा सागली देवास (अन्तरक)

(2) श्रीमती लीलाबाई पति सूरज मल जैन निवास 21/1 रेस कोर्स रोड, इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान न० 15 बड़ा सराफा, इन्दौर एरिया 1057 स्क्वायर फीट

एम० एफ० मन्शी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 11-4-75

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) कार्यालय भोपाल

तारीख 11-4-75

निदेश सं॰ एस॰ आर॰ नरसिहपुर / 6-8-74—अतः, मुझे, एम॰ एफ॰ मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है और जिसकी सं॰ भूमि है, जो करपगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नरसिहपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 1908 का 16) के अधीन, 7-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए प्र तय पाया गया तिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री छमरलाल (2) उमांशंकर (3) अम्बिका सरन करप गांव गाडरवारा, जि नरसिंहपुर (अन्तरक)

(2) श्रीमती हलकी बाई पत्नी श्री शंकर सिह राजपूत रोड करपगांव गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

टोटल भूमि एरिया 17.08 गांव करप गांव गाडरवारा नरसिंहपुर

एम॰ एफ॰ मुन्शी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 1975

निदेश सं० एस० आर० /इन्दौर / 28-8- 74 ——अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है।) की धारा 260 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो वेनकटेंस मार्किट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 28-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुलाब चन्द पुत्र रामचरन निवास 122 पालसी कर कालोनी इन्दौर (अन्तरक)

(2) श्री मिलोचा पुत्र श्री कान्तीलाल रावल निवास नयापारा न० 1 मकान न० 4 इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, यथा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान कन्सट्रेक्सेन प्लाट नं० 26 वेनकटेस मार्किट इन्दौर

एम० एफ० मन्शी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 1975

निदेश सं० एस० आर० / सतना / 8-8-74 —यतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है,
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी स० मकान है, जो कोतवाली रोड, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सतना में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 8-8-74 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री बालमुकुन्द पुत्र बलदेव साव (2) श्रीमति देवरथी पत्नी बल्देव प्रसाद (3) श्रीमती मुन्नी बाई पुत्री बल्देव प्रसाद सतना (अन्तरक)

2. (1) श्री माधव दास पुत्र भरतमल (2) श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी श्री धर्मदास (3) श्री हीरानन्द पुत्र श्री शोभराज पंजवानी निवास वार्ड नं० 15, सतना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान पक्का और कच्चा नं० 903/1031 नं० 4 और 16 नया-मकान नं० 48/1031 कोतवाली रोड सतना

एम० एफ० मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 1957

निदेश सं० एम० आर० / उज्जैन 30-8-75 :— अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो जवाहर मार्ग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 30-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हीरा लाल पिता प्रताप चन्द नादेचा जवाहर मार्ग खाचरोद (अन्तरक)

(2) श्री सुरेश कुमार नादेचा पिता हीरा लाल नादेचा जवाहर मार्ग खाचरोद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान म्युनिसिपल नं० 18 (पुराना नं० 317) जवाहर मार्ग खाचरोद जिला उज्जैन

एम० एफ० मुंशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 1975

निर्देश सं० एस० आर० / जबलपुर / 8-8-74—अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्रोपर्टीज है, जो गोली बाजार वार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 18 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

(1) श्रीमती खिलौना बाई पति भगवान दास जैन द्वारा भूपेन्द्र कुमार जैन पुत्र ऋषभदास दास जैन गोलबाजार वार्ड सतन बिल्डिंग जबलपुर (अन्तरक)

(2) (1) श्री अनिल कुमार (2) सुनील कुमार (3) अजय कुमार (अन्तरिती)

पुत्र श्री राजाराम सिघई द्वारा माता श्रीमती बनारसी बाई आजाद रानी सिघई पति राजाराम सिघई निवास-664, सराफा वार्ड जबलपुर

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रोपर्टीज विपरिंग नं० 317 और 318 गोली बाजार वार्ड जबलपुर ।

एफ० एम० मुंशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 1975

निर्देश सं० एस० आर० / गुना/ 2- 8- 74 — अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो अशोकनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुना में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 1- 8- 74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सुरेश चन्द (2) नरेश चन्द (3) चन्देश कुमार पुत्र डालचन्द जैन निवास दिदरई अशोक नगर जिला गुना (अन्तरक)

(2) श्री प्रदीप कुमार पुत्र सुमेर चन्द नाबालक गुरेदीन पिता सुमेर चन्द अशोक नगर गुना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान बना हुआ वार्ड नं० 4 अशोक नगर जिला गुना

एम[redacted]ुशी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11- 4 - 75

मोहर :

प्ररूप० आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11-4-75

निदेश सं० एस० आर० / इन्दौर / 8-8-75—अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो सिन्धी कैंट कालौनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 8-8-74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

[redacted] आय या किसी धन या अन्य आस्तियों [redacted]न्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनयिम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नन्दकिशोर पुत्र कौमराम शर्मा निवास रावजी बाजार मैन रोड म० नं० 53 इन्दौर (अन्तरक)

(2) श्री विसन दास पुत्र दौलत राम (2) दौलत राम पुत्र धर्मदास निवास 12 जैल रोड इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिल मकान प्लाट नं० 12 जय श्री सिन्धी कैंट कालौनी इन्दौर

एम० एफ० मुन्शी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11-4-75

निदेश सं० एस० आर० / इन्दौर / 28-8-74 —अत:, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है जिसकी सं० प्लाट नं० 8/6 है, जो महेश नगर कालौनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 29-8-74 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री हरिहर नाथ शर्मा 40 राजमोहल्ला इन्दौर (अन्तरक)

(2) श्री जमनादार महता (2) बृजवल्ला वेहदार महता महता (3) हरीदार महता (4) नारायनदर महता पुत्र गढ़ श्री किशन चन्द महता 11/3 नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 8/6 महेश नगर कालौनी इन्दौर

एम० एफ० मुन्शी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 75

निदेश सं० एस० आर. / उज्जैन / 5-8-75 —यत:, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान का हिस्सा जो सखी पुरा मार्ग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का16) के अधीन, 5-8-74 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान के प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुभाष चन्द पुत्र कैलाश चन्द महाजन (2) संतोष चन्द्र (3) अतुल कुमार - पुत्र गढ़माता अजाद कुमारी लक्ष्मी बाई मार्ग- उज्जैन (अन्तरक)

(2) श्रीमती बिमला बाई पति राजेन्द्र कुमार जैन लखेरावेडी बम्बा खाना उज्जैन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान का हिस्सा मुनिश्पल नं० 2.989 बना हुआ अम्बा प्रसाद तिवारी मार्ग सखीपुरा मार्ग उज्जैन

एम० एफ० मुन्शी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 75

निदेश सं० एस० आर० / भोपाल / 8- 8- 74 ——यतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो टी० टी० नगर में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकृत अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 8-8-74

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनयिम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनयिम, की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती शीला गुप्ता विधवा श्री मुकुट लाल गुप्ता निवास - 49 टी० टी० नगर भोपाल (अन्तरक)

(2) श्रीमती कपूरी देवी गुप्ता पत्नि श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता निवास टी० टी० नगर भोपाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान और प्लाट नं० 49 टी० टी० नगर सोदिंग सेन्टरी - भोपाल

एम० एफ० मुन्शी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल

तारीख : 11- 4- 75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 23 अप्रैल 75

निदेश नं ए / 1974-75 / जालन्धर —— यत: मुझे, रविन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और

जिसकी सं० है तथा जो में स्थित इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्री तारा सिंह पुत्र गणेश सिंह
गांव सतोवाल
(अन्तरक)

(2) श्री तेजा सिंह, बन्ता सिंह, बलदेव सिंह पुत्र खुदरायें सिंह गुरबख्श सिंह पुत्र मगर सिंह (अन्तरिती)

(3) जैसे कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजि० डीड 5548, अगस्त, 1974 रजि० आफिसर जालन्धर में लिखाई है ।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 23-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रल 1975

निदेश सं० एस आर० / रायपुर / 12-8 74 —अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम,' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट र, जो भाटापारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 12-8 74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनयिम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनयिम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1, श्री रणछोड़ भाई वृज भाई गुजराती फर्म रण छोड़ भाई द्वारा गुजारती राइस मिल्स रायपुर (अन्तरक)

2, श्री लखीराम पुत्र केदारनाथ अग्रवाल फर्म सुरेश चन्द संतोष कुमार रायपुर भाटापारा (2) श्रीमति रामकली बाई पति हरकेशदास अग्रवाल भाटापारा (3) श्रीमति गीता देवी पति सत्यनारायण अग्रवाल (4) श्रीमति मनभावती देवी पति मदन लाल अग्रवाल (5) श्रीमति संतोष बाई पति ज्ञानीराम अग्रवाल निवास विद्या उपनगर बिलासपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, इबाके के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट राइस मिल्स भाटापारा बड़ौदा बाजार रायपुर

एम० एफ० मुंशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 75

निदेश सं एस० आर / रायपुर / 12-8-74 —अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० प्लाट, जो भाटापारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, 12-8-74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रण छोड़ भाई पुत्र वृज भाई गुजराती राइस मिल्स भाटापारा (अन्तरक)

(2) लखीराम पुत्र केदारनाथ अग्रवाल फर्म सुरेशचन्द भाटापारा (2) श्रीमति रामकली बाई पति हरकिशन दास अग्रवाल भाटापारा (3) श्रीमति गीतादेवी पति सत्यनारायण अग्रवाल (3) श्रीमति मनभावती देवी पति मदनलाल अग्रवाल (5) श्रीमति संतोष बाई पति झानीराम अग्रवाल सभी निवास विद्या उपनगर बिलासपुर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट राइस मिल्स भाटापारा बलौदा बाजार जयपुर

एम० एफ० मुंशी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 1975

निदेश सं० एस० आर० / भाटापारा / 12-8 74—अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी 'आयकर अधिनियम', 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है)।

की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्रोपर्टीज है, जो भाटापारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 12-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का, 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रणछोड़ भाई पुत्र बृज भाई गुजराती, फर्म रणछोड़ भाई गुजराती राइस मिल्स रायपुर (अन्तरक)

(2) श्री लखेराम पुत्र कैदार नाथ अग्रवाल फर्म सुरेश चन्द संतोष कुमार-भाटापारा तह० बड़ौदा बाजार (2) श्रीमति रामकली बाई पति हरकिशन दास अग्रवाल भाटापारा (3) श्रीमति गीतादेवी पति सत्यनारायण अग्रवाल (4) श्रीमति मनभावती देवी पति मदनलाल अग्रवाल (5) श्रीमति संतोषी बाई पति ज्ञानी राम, राइस मिल्स रायपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट और सुपर स्ट्रक्टर आफ राइस मिल्स (गुजरात राइस मिल्स) भाटापारा बड़ौदा बाजार रायपुर।

एम० एफ० मुंशी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 75

निर्देश सं० एस० आर० / इन्दौर / 26-9-74—यतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है)
की धारा 269-ष के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और और जिसकी स० प्रोपर्टीज है, जो मैन रोड इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 26-9-74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रमेश पुत्र दतरिया दिगे सी- 6 यशवन्त सोसाइटी ए० मी० रोड गाट कोपर बम्बई-66 (अन्तरक)

(2) श्री रमेश चन्द्रा पुत्र बाबू लाल बहीटी 68 नरसिंह बाजार इन्दौर (अन्तरिती)

(3) श्री दौलत राम शर्मा 23 पलासिया मैन रोड इन्दौर (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

2. श्री सरद पुत्र दत्तारियदिगे 36 सत्ता पारवती हाउसिंग कौपरेटिव सोसाईटी कालडोंगरी लाइम अन्धेरीं ईस्ट -बम्बई

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पार्ट और प्रोपर्टीज बनी हुई 23 प्लासिया मैन रोड इन्दौर ऐरिया—8960 सक्वायर फीट

एम० एफ० मुंशी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 1975

निदेश सं० एस० आर० / इन्दौर / 26-8-74— यत:, मुझे, एम० एफ० मुन्शी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० प्रोपर्टीज है, जो मैन रोड, प्लासिया में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 26-8-74
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनयिम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री रमेश पुत्र दत्तरया दिगही सी-6 श्री यशवंत सोसाईटी एम० जी० रोड गाटकोपर बम्बई (2) सरद पुत्र दत्तरया दिगही 36 सत्यपारवती हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाईटी कौलडोंबारी लाइन अन्धेरी इस्ट बम्बई। (अन्तरक)

(2) श्री रमेश चन्द्रा पुत्र बाबू लाल बहुनी 68 नरसिंह बाजार इन्दौर (अन्तरिती)

(3) श्री दौलत राम शर्मा 23 प्लासी मैन रोड इन्दौर (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पार्ट प्रोपर्टीज बनी हुई 23 लासिया मैन रोड इन्दौर। एरिया 7900 सक्वायर फीट

एम० एफ० मुन्शी
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 1975

निदेश सं० एस० आर० / उज्जैन / 30-8-74—अतः, मुझे, एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 का (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियिम कहा गया है)।
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० म्युनिपसिल है, जो दौलतराम गंज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-8-74 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ कीउपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राधाकिशन पुत्र कन्हैया लाल (2) रमेश चन्द (3) बृजेस पुत्र राधा किशन निवासी दौलत गंज उज्जैन (अन्तरक)

(2) श्री अशोक कुमार पुत्र सुगम चन्द निवासी बड़ा नगर उज्जैन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

म्युनिसिपल मकान नं० 2, 1026 दौलत गंज उज्जैन ।

एम० एफ० मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 1975

निदेश सं० एस० आर०/इन्दौर/30-8-74—अतः, मुझे एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० म्युनिसिपल ह, जो नन्दलाल पुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 30-8-74

को पूर्वोक्त सम्पति के

उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) श्री मागीलाल पुत्र बाबूलाल निवासी 6 नन्दलाल पुरा इन्दौर (अन्तरक)

(2) जमुनाबाई पति मायाराम निवास 38 यशवंत रोड इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

म्युनिसिपल मकान नं० 6 तीन मंजिला सब्जी मण्डी नन्दलाल पुरा, इन्दौर।

एम० एफ० मुन्शी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, KAKINADA

Kakinada, the 15th March 1975

Acq. File No. 177/I. No. I(102)/VSP/74-75.—यत: मुझे, K. Subbarao आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० Block No. 7 Asst. No. 22492 Waltair uplands है जो Visakhapatnam में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, Visakhapatnam में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-8-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत said Act के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या said Act या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग of the said Act के अनुसरण में, मैं, said Act की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) D. N. Dhody, Project Manager, Humphreys & Glasgow Consultants (P) Ltd., Gammon House, Savankar Marg, Prabhadevi, Bombay-400025.

(अन्तरक)

(2) Goda Rukmini
G-18, Sector-2, RURKELA-6 (Orissa).

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो said Act 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

Visakhapatnam District—Visakhapatnam Sub-Registrar—Visakhapatnm Municipality—Asst. No. 22492—Layout plot No. 30—Block No. 7—Waltair ward—600 Sq. Yds.

BOUNDARIES

East : 30 ft Road as per layout plan
South : Plot No. 29 as per layout plan
West : Compound wall of Virginia House
North : Plot No. 31 of the layout plan.

K. SUBBARAO,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, Kakinada

दिनांक : 15-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, KAKINADA

Kakinada, the 14th March 1975

Acq. File No. 176/I. No I(109 & 110) VSP/74-75.—यत: मुझे K. Subbarao आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 28-10-75 Suryabagh, Visakhapatnam है जो Visakhapatnam में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, Visakhapatnam में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-8-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) B. Chinayya, Contractor, Visakhapatnam
(Transferor)

(2) 1. Kolluru Sitaram Being minor by guardian father Kolluru Krishnamurthy, Vizag-2.

2. Kolluru Gopal being minor by guardian father K. Bulli Nobbaiahsetty Vizag-4.
(Transferee)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकें ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

Visakhapatnam District—Visakhapatnam Sub-Registrar—Visakhapatnam Municipality—Allipuram ward—Suryabagh—Block No. 47—T. S. No. 1678—Plot No. 28—Door No. 28-10-7—A.C. Sheets house—169 Sq. Yds. extent.

BOUNDARIES

East : Compound wall of this property & House of Neelam setty's family

South : Compound wall of state of God

West : Road

North : Property belongs to this door number.

K. SUBBARAO
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, Kakinada

तारीख : 14—3—75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——–

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, KAKINADA

Kakinada, the 14th March 1975

Acq. File No. 175/J. No. I(99)/VSP/74-75—यतः मुझे K. Subbarao आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम,' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 43-8-5 Subbalaxminagar है, जो Subbalaxminagar में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय Visakhapatnam में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 15-8-74 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) Shri Vankayala NookarajU Opposite to C.B.M. High School, Visakhapatnam (Transferor)

(2) Shri Puvvada Chendxamauli, General and fancy stores, Visakhapatnam (Transferee)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

Visakhapatnam District—Visakhapatnam Sub-Registrar—Visakhapatnam Municipality—Visakhapatnam town—Allipuram ward—Subbalaxminagar—Block No. 20-21—T.S. No. 321—322 and 323—Plot No. 121—Door No. 43-8-5—Building with site 600 Sq. Yds.

BOUNDRIES

East: Tiled house of Uppada Tata
South: Site of Bodda Applanarasaish
West: Municipal road
North: Daba house of Sri Satyanarayan

K. SUBBARAO
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, Kakinada

दिनांक : 14-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 14 मार्च 1975

Acq. File No. 174/J. No.I(230)/KR/74-75—

यतः मुझे, K. Subba Rao

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 11-24-74 Bhavannarayana Street, है, जो Vijayawada में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय Vijayawada में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-8-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए सुकर बनाना;

अतः, अब, धारा 269-ग का उक्त अधिनियम के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

S/shri

(1) 1. Anisetty Madavarao, Agent, Andhra Bank, Amaravati.

2. A. Saibaba, S/o A—Madvarao, Andhra Bank, Amravati.

3. A. Eswara Chendra Vidya Sagar S/o Madavarao, Amaravati.

4. A. Anjaneyulu, Dy. Superintendent of Police, Narasapur.

5. A. Bhavani Prasad being minor by guardian father Anjaneyulu.

6. A. Swarajyam, W/o Late Venkateswararao, Begumpeta, Hyderabad.

7. Anisetty Usha.

8. Anisetty Geeta.

9. Anisetty Kanaka Durga 7,8,9 being minors by guardian mother Swarajyam.

10. A. Satyanarayanarao, S.B. Asst. A.O.B., Sakeen Hyderabad.

11. A Sivarao alias Naguriah, Provident fund dept. C/o Sawaswati Talkies, Baburajendraprasad road, Vijayawada.

12. A. Chandramouli, I.T. Dept. Nizamabad.

13. A. Girija Prasad.

14. A. Yasodar 13 & 14 minors represented by father Chendramouli.

(Transferors)

1. Jonnalagadda Venkateswarlu, Vijayawada.

2. J. Srinivasa Kumar, Being represented by father Venkateswarlu.

(Transferee)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

THE SCHEDULE

Krishan District—Vijayawada Sub-Registrar—Vijayawada Municipality—Vijayawad Town—Rev. Ward No. 7—Block No. 1—N.T.S. No. 4—Municipal ward No. 11—Door No. 11-24-74—Bhavannarayana Street—Vijayawada.

Boundaries

East: Bhavannrayan Street 10.6 ft.
South: Building of Gondesi family 60 ft.
West: Site of K. Radhakrishna murthy 30.6 ft.
North Building of K. Bhavannarayana 60 ft.

K. SUBBARAO,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, Kakinada

दिनांक : 14-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, KAKINADA

Kakinada, the 22nd March 1975

Acq. File No. 181/J. No. I(359)/KR/74-75—
अतः, मुझे, K. Subbarao
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० Door No. 11-4-30 Rajavari Thota है जो, Guntur में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, Guntur में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-8-1974 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) 1. Sri Pillari Govindaraj S/o Kannaiah Naidu
2. P.G. Prabhakar, S/o Govindaraj, Madras-17.
(Transferor)

(2) Shri Syed Salahuddin, S/o Mohiyuddin, Guntur.
(Transferee)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

Guntur District—Guntur Taluk—Guntur Town—Kothapeta Station Road—Municipal Old ward 5—New ward No. 20—Block No. 8—Old T. S. No. 649—New T. S. No. 1300 —Asst. No. 9255—Door No. 11-4-30, 4182-6-0 Sq. Yds. building situated in it.

BOUNDARIES

East : Railway Station Road
South : Kusuma Haranath Timber depot site
West : Municipal Road; and
North : Municipal Road and properties of Narla Penchalaiah & Madasu Rangaiah.

K. SUBBARAO,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, Kakinada

तारीख : 22-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निर्देश सं० ए० पी० फिलौर / 74-75—यतः मुझे रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि. स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नम्बर 6004 अगस्त 1974 को लिखा है तथा रुरका खुरद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान के प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लछमन सिंह गुरबचन सिंह सपुत्र श्री बन्ता सिंह उर्फ जोगिन्द्र सिंह, गांव रुरका खुरद तहसील फिलौर (अन्तरक)

(2) श्रीमती प्रकाश कौर मार्फत नाभाराम मसन्दपुर, बड़ा पिंड , तहसील फिलौर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर दो उपरोक्त में लिखा है, (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उपरोक्त सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनसूची

भूमि एक कनाल जो रुरका खुरवा में स्थित है जैसा कि पंजीकृत अधिकारी फिलौर के पंजीकृत नम्बर, 6004 जो अगस्त, 1974 में पंजीकृत हुई ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निर्देश सं० ए० पी० फिलौर / 74-75 —, यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि पंजीकृत संख्या 6005 जो अगस्त 1974 को लिखा गया है तथा रुरका खुरद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई
है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री लछमण सिंह गुरवचन सिंह सपुत्र श्री बन्ता सिंह, उर्फ जोगिन्द्र सिंह, गांव रुरका खुरद, तहसील फिलौर (अन्तरिती)

(2) श्री रामप्रताप सपुत्र नाभाराम, मसन्दपुर, बड़ा पिंड, तहसील फिलौर (अन्तरिती)

(3) जैसा नं० 2 उपरोक्त में लिखा है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उपरोक्त सम्पत्ति में रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कनाल भूमि का टुकड़ा, जो गांव रुरका खुरद में स्थित है जैसा पंजीकृत संख्या 6005, अगस्त, 74 जो पंजीकृत अधिकारी फिलौर के कार्यालय में पंजीकृत कराई गई।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 31-375
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निदेश सं० ए पी / नवांशहर / 74-75— यत: मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत संख्या 2550 अगस्त, 74 को लिखा गया है तथा जो नवांशहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवांशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सतलुज लैण्ड फाईनैन्स प्रा० लि० जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री चरणी सिंह कशमीर सिंह सपुत्र श्री श्रीराम, नवांशहर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 उपरोक्त में लिखा है । (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है)

(4) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उपरोक्त सम्पत्ति में रूचि रखता हो ।(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक कनाल भूमि का टुकड़ा जो नवांशहर में स्थित है और पंजीकृत संख्या 2550 अगस्त 1974 को पंजीकृत कार्यालय, नवांशहर के कार्यालय में पंजीकृत कराया गया है ।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निदेश सं० ए पी / नवांशहर / 74-75—यत: मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)। की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि पंजीकृत संख्या 2543 अगस्त, 74 का लिखा गया है तथा को स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवांशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दर्शन सिंह सपुत्र नानक चन्द इत्यादि नवांशहर तहसील बंगा (अन्तरक)

(2) दर्शन सिंह सपुत्र ईशर सिंह नौरावली तहसील गढ़शंकर (अन्तरिती)

(3) जैसा संख्या दो उपरोक्त में लिखा है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दस मरले भूमि का टुकड़ा जो अगस्त 74 को संख्या 2543 को पंजीकृत कार्यालय नवांशहर में पंजीकृत हुई।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निदेश सं० ए पी / जालन्धर / 74-75—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि पंजीकृत संख्या 5719 अगस्त, 1974 को लिखा गया है तथा को किंगरा जालन्धर में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री त्रिलोक सिंह सच्चर, 481 एल, माडल टाउन, जालन्धर (अन्तरक)

(2) चौधरी हौसिंग ऑर्गेनाईजिंग जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा संख्या 2 उपरोक्त में लिखा है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

4 कनाल 14 मरले भूमि का टुकड़ा जो अगस्त 74 को संख्या 5719 को पंजीकृत कार्यालय, जालन्धर में पंजीकृत हुआ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निदेश सं० ए पी/जालन्धर/74-75—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या जैसा कि पंजीकृत संख्या 5718 अगस्त 74 को लिखा गया है तथा को किंगरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरभजन सिंह, सपुत्र त्रिलोक सिंह, जालन्धर (अन्तरक)
(2) चौधरी हाऊसिंग आर्गेनाईजिंग, जालन्धर (अन्तरिती)
(3) जैसा कि संख्या 2 उपरोक्त में लिखा है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

6 कनाल 8 मरले भूमि का टुकड़ा जैसा कि विलेख संख्या 5718 अगस्त, 1974 को पंजीकृत अधिकारी कार्यालय जालन्धर में पंजीकृत हुआ।

रवींद्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण,)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निदेश सं० ए पी / जालन्धर / 74-75 --यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि विलेख संख्या 5720 अगस्त, 1974 है तथा किंगरा खुरद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम,
या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

8-76GI/75

(1) श्री गुरचरन सिंह सपुत्र तिलोक सिंह 481 एल माडल टाउन जालन्धर (अन्तरक)

(2) चौधरी हाउसिंग आर्गेनाईजिंग जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि संख्या 2 में लिखा है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

6 मरला भूमि का टुकड़ा जैसा विलेख नम्बर, 5720 अगस्त 74 को पंजीकृत अधिकारी कार्यालय जालन्धर में पंजीकृत हुआ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज जालन्धर।

तारीख 31-3-74
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निदेश सं० ए पी / जालन्धर / 74-75—यतः मुझे, रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नं० 5733 अगस्त 1974 को लिखा है तथा गांव रेट टाऊ रोड जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) कुमारी स्वर्ण लता पत्नि बनारसी दास जालन्धर (अन्तरक)

(2) आर० डी० स्टील इन्डस्ट्रीज टाडा रोड, जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

4 कनाल 15 मरले जो कि गांव रेट में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के विलेख नं० 5733 अगस्त 1974 को दर्ज है ।

रविन्द्र कुमार,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 31-3-75

निदेश नं० ए पी/ जालन्धर/74-75— यतः मुझे, रविन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नम्बर, 5665 अगस्त 1974 को लिखा है तथा को सैशन कोर्ट रोड जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था छिपाने में सुविधा के लिए,

अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:–

(1) रूप लाल अग्रवाल सपुत्र चरन दास जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री करान्ती कुमार (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के संबन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के विलेख नं० 5665 अगस्त 1974 में दर्ज है।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख 31- 3- 75

निदेश नं० ए पी/ जालन्धर / 74- 75— यतः मुझे, रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नम्बर, 5664 अगस्त 1974 को लिखा है तथा को बस्ती शेख जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त , 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री महिन्द्र सिंह सपुत्र बेला सिंह सपुत्र नरायण सिंह बस्ती दानिशमन्दा जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री मेहर सिंह सपुत्र दीवान सिंह सपुत्र रामसिंह बस्ती शेख जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 5 कनाल 11 मरले जो बस्ती शेख जालन्धर में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के विलेख नं० 5664 अगस्त , 1974 में दर्ज है ।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख : 31- 3- 75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(घ) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज जालन्धर

तारीख 31-3-75

निदेश नं० ए पी/जालन्धर/74-75—यतः मुझे, रविन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है
ग्रौर जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नम्बर, 5600 ग्रगस्त, 1974 को लिखा है तथा नकोदर रोड जालन्धर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के के ग्रधीन, तारीख ग्रगस्त, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री रघुबीर सिंह सपुत्र ज्वाला सिंह फैन्सी वाच कम्पनी रैनक बाजार जालन्धर (ग्रन्तरक)

(2) संतोष कुमारी पत्नि ग्ररुकरण लाल मकान नं० 9 न्यू सुराजगंज जालन्धर (ग्रन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति, है)

(4) जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में ग्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 10 मरले जैसा कि नकोदर रोड जालन्धर में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी जालन्धर विलेख नं० 5600 ग्रगस्त 1974 में दर्ज है।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण),
ग्रर्जन रेंज जालन्धर ।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालंधर

तारीख 31-3-75

निदेश नं० ए पी / जालन्धर/ 74- 75— यत: मुझे, रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है और जिसकी स० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नं० 5582 अगस्त 1974 को लिखा है तथा को सैशन कोर्ट रोड जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त , 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रुपलाल अग्रवाल सपुत्र चरण दास 471 मोता सिंह नगर, जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री करान्ती कुमार 176 बावा विल्डिग, जी० टी० रोड जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के विलेख नम्बर, 5582 अगस्त 1974 में दर्ज है ।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निदेश सं० ए० पी० / जालन्धर / 74-75—यतः मुझे, रविन्द्र कुमार आयकरअधिनियम, (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नम्बर, 5575 अगस्त, 1974 को लिखा है तथा बस्ती शेख जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल, से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप में से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री महिन्द्र सिंह सपुत्र बेला सिंह सपुत्र नरायण सिंह दानिशमन जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री विजय इंजीनियरिंग वर्क्स बस्ती शेख जालन्धर कवल जीत सिंह के द्वारा (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप, :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 8 कनाल 7 मरले जो कि बस्ती शेख जालन्धर में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के विलेख नं० 5575 अगस्त 1974 में दर्ज है।

रविन्दर कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज जालन्धर।

तारीख : 31-3-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 31- 3 75

निदेश सं० ए० पी० जालन्धर / 74- 75 —यतः मुझे, रविन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/–रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नम्बर 5572 अगस्त 1974 को लिखा है तथा को चक हुसैन लमो पिंड जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:–

(1) श्रीमती तारा पत्नि राज सपुत्र सुन्दर चक हुसैना लमां पिंड जालन्धर (अन्तरक)

(2) पवन कुमार गुप्ता सपुत्र अमरनाथ 77, अर्जन नगर जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि 1 कनाल 6½ मरले जो कि चक हुसैनालमा पिंड जालन्धर में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर विलेख न 5572 अगस्त 1974 में दर्ज है ।

रविन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख : 31- 3- 75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख 31- 3- 75

निदेश स० ए पी / जालन्धर / 74-75— यत: मुझे, रविन्द्र कुमार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० रजिस्ट्रीकृत नम्बर, 5571 अगस्त, 1974 को लिखा है तथा को चक हुसैन लमा पिण्ड जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती तारा पत्नि राज सपुत्र सुन्दर चक हुसना लमा पिंड जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री अविनाश कुमार सपुत्र अमरनाथ सपुत्र पूर्ण चन्द 227, अर्जन नगर जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 1 कनाल 6 1/2 मरले जो कि चक हुसैना लमा पिंड जालन्धर में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर के विलेख नम्बर, 5571 अगस्त, 1974 में दर्ज है।

रविन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 31- 3- 75
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर कार्यालय

तारीख 31-3-75

यतः मुझे रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं0 जसा कि रजिस्ट्रीकत नंम्बर 5402 अगस्त 1974 को लिखा है तथा को अमर गार्डन वाई पास जालन्धर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) शाम कुमार सपुत्र सतपाल जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री धर्मचन्द भण्डारी सपुत्र देसराज श्रीमति ललित भण्डारी इलाहाबाद बर्क सिविल लाईन जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 1 कनाल 17 मरले 198 फुट जोकि अमर गार्डन वाईपास जालन्धर मे स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के विलेख नम्बर, 5402 अगस्त 1974 में दर्ज है ।

रविन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 31-3-75

निदेश नं० ए पी / जालन्धर /74-75—यत: मुझे, रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नम्बर, 5395 अगस्त, 1974 को लिखा है तथा को लाजपतनगर जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुरचरन सिंह जोहल, 342 लाजपत नगर जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री हरविन्द्र कुमार सपुत्र हरभगवान दास सपुत्र संत लाल, राम स्वरुप एण्ड कम्पनी मण्डी फेन्टनगंज जालन्धर (अन्तरिती

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है)

4. जो व्यक्ति सम्पति में रूचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोस्हताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त-अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5395 अगस्त, 1974 को दर्ज है।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्रधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 31-3-75

निदेश नं० ए पी/जालन्धर/74-75—यत: मुझे, रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नम्बर, 5382 अगस्त 1974 में लिखा है तथा को अर्जन नगर जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति बिमला देवी उर्फ विमलवती पत्नि रामप्रसाद सपुत्र सुरजलाल जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री मंगत राम सपुत्र अमरनाथ जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क म परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 11 मरले जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के विलेख नम्बर, 5382 अगस्त, 1974 में दर्ज है।

रविन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज जालन्धर।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निदेश नं० ए पी / जालन्धर / 74-75—यतः मुझे, रविन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नम्बर, 5293 अगस्त, 1974 को लिखा है तथा को महल रोड नजदीक रेडियो स्टेशन जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री किरपाल सिंह जन्द्र सपुत्र मेला सिंह नूर महल तहसील फिलौर (अन्तरक)

(2) श्रीमति कनजीत कौर सपुत्री बन्ता सिंह गसीतपुरा तहसील तरन तारन जिला अमृतसर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 16 मरले 48 फुट जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के विलेख नम्बर, 5293 अगस्त, 1974 में दर्ज है।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-जालन्धर

जालन्धर, दिनाँक 31 मार्च 1975

निदेश नं० ए० पी० / जालन्धर / 74-75—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नम्बर 5062 अगस्त 1974 को लिखा है तथा को 270, सैन्ट्रल टाउन में स्थित है, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :

(1) श्रीमति कान्ता अग्रवाल पत्नी श्री रुपलाल अग्रवाल 270, सैन्ट्रल टाऊन जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री कान्ती कुमार संतोष कुमार 176, बस्ती बावा खेल जी० टी० रोड जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा उपर 2 में लिखा है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उपरोक्त सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट जो कि पंजीकृत अधिकार जालन्धर के पंजीकृत नम्बर, 5062 पर अगस्त, 1974 में पंजीकृत हुआ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निदेश नं० ए० पी० / जालन्धर/74-75 — यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नं० 5192 अगस्त, 1974 को लिखा है तथा जो दिलकुश बाजार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यारय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री करम सिंह मोची पुत्र श्री बसन्तसिंह जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री गुरदेव सिंह पुत्र दौलत सिंह आर० ओ० सकाद पिंड जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में दर्ज है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो भी व्यक्ति, जो ऊपर लिखी सम्पत्ति खरीदना चाहता है वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 10 की भूमि का 1/3 हिस्सा, दिलकुशा बाजार में पूजीकृत नं० 5192 पर पूजीकृत अधिकारी जालन्धर द्वारा पूजीकृत हुआ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निदेश नं० ए० पी०/जालन्धर —यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्रीकृत नं० 5024, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के कार्यालय है तथा को सिविल लाईन जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रजिस्ट्रीकृत अधिकारी जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1975 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में लिए सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री स्वर्ण सिंह सपुत्र लाभसिंह सिविल लाईन जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री गुरदयाल सिंह सपुत्र गुरदेव सिंह कूका पिंड तहसील जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में स्थित है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

1/3 भाग दुकान का जो कि दिलकुशा मार्कीट जालन्धर में दर्ज है ।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर तारीख 31- 3 -75

निदेश नं० ए पी न०/जालन्धर यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री न० 5001 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर मे दर्ज है तथा को मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने म सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए सुकर बनाना।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) श्री कृष्ण लाल सपुत्र श्री भगवान दास बीखत दास सपुत्र श्री चौधरी राम राष्ट्रीय बर्तन भण्डार चांक सूदा जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री गोबिन्द राम सपुत्र भगवान दास जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि न० 2 में स्थित है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ।)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरु करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया हैं।

अनुसूची

धरती का टुकडा, जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5001 अगस्त 1974 जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के कार्यालय मे दर्ज है

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज जालन्धर ।

तारीख : 31- 3- 75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर तारीख 31-3-75

निदेश नं० ए० पी० नं०/74-75— यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं० 5027 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में दर्ज है तथा को में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) अधीन, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती सरस्वती बेवा श्री राम लाल जालन्धर (अन्तरक)

(2) भाटिया कापरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाईटी जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में दर्ज है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो भी व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत अधिकारी जालन्धर के विलेख नं० 5027 जालन्धर में दर्ज है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख : 31-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, तारीख 31-3-75

निदेश सं० ए पी/ जालन्धर / 74-75 —— यतः मुझे रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

जिसकी स० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नम्बर 5021 अगस्त 1974 को लिखा है तथा सिविल लाइन जालन्धर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कान्ता अग्रवाल पत्नी श्री रूपलाल 270 सैन्ट्रल टाऊन जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री कान्ती कुमार सन्तोष कुमार 176 बाबा बिल्डिंग जी टी रोड जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नम्बर 2 में लिखा है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो भी व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5021 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में दर्ज है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, तारीख 31-3-75

निदेश स० ए पी / जालन्धर /'74-75 —यत: मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है

जिसकी स० पंजीकृत नम्बर 5175 अगस्त, 1974 को लिखा है तथा को जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री मुकश्वर सिंह बलवीर सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह बस्ती बाबा खेल जालन्धर (अन्तरक)

(2) वेद प्रकाश पुत्र श्री देसराज जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि उपर 2 में लिखा है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी आदमी जो ऊपर की सम्पत्ति में रुचि रखता है । (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

7 कनाल 5 मरला भूमि जो कि पूंजीकृत नम्बर, 5175 अगस्त, 1974 को पूँजीकृत अधिकारी जालन्धर द्वारा पंजीकृत हुई ।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर ।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, तारीख 31-3-75

निदेश नं० ए पी / जालन्धर / 74-75 — यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है और

जिसकी स० रजिस्ट्रीकृत नं० 5162 अगस्त, 1974 को लिखा है तथा को में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ-अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) गिआनी शंकर सिंह पुत्र श्री बाल सिंह जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नी गुरदेव सिंह कुकड़ पिंड जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी आदमी जो ऊपर की सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना किसी तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 10 का 1/3 हिस्सा दिलकुशा, बाजार जालन्धर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत नं० 5162 रजिस्ट्रीकृत अधिकारी जालन्धर के दफ्तर में दर्ज है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर।

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर (आयुक्त) निरीक्षण

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, तारीख 31-3-75

निदेश न० ए पी / जालन्धर / 74-75 — यत: मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

जिसकी स० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत न० 5074 अगस्त, 1974 को लिखा है तथा को बस्ती बाबा खेल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मुख्तयार सिंह बस्ती बाबा खेल जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री मनोहर लाल सपुत्र श्री नन्द लाल बस्ती बाबा खेल जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि न० 2 उपरोक्त में लिखा है । (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत न० 5074 अगस्त 1974 में दर्ज है रजिस्ट्रीकृत अधिकारी जालन्धर

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 31-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1975

निदेश सं० ए० पी० नं० ——यत: मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं० 5312 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी है तथा को जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रघबीर सिंह, सुखचैन सिंह सपुत्र श्री उद्यम-सिंह गांव दकोहा जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्रीमती करतार कौर पत्नी बचन सिंह गांव दकोहा खुरद जिला जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में दर्ज है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जो कि इण्डिया मैटल वर्क्स होशयारपुर रोड जालन्धर में दर्ज है रजिस्ट्री नं० 5312 अगस्त, 1974 जालन्धर में दर्ज है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 31-3-75

मोहर :

प्ररूप आई टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालंधर, तारीख 31 मार्च 1975

निदेश सं० ए पी० जालन्धर—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं० 5216 अगस्त 1974 मे लिखी है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रघुवीर सिह सपुत्र श्री उधम सिह गांव दकोहा, जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री महिन्द्र सिह सपुत्र श्री मगल सिह मार्फत इण्डिया वुड एण्ड मैटल वर्कस जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती काट्कड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5216 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के कार्यालय में दर्ज है ।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्रधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख : 31 मार्च, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालंधर, तारीख 31 मार्च 1975

निदेश नं० ए पी ० जालन्धर— यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जालन्धर रजिस्ट्री नं० 5039 मे दर्ज है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) रामप्रकाश सपुत्र श्री रामलाल जालन्धर (अन्तरक)

(2) भाटिया कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाईटी जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5039 जालन्धर मे दर्ज है;

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख : 31 मार्च 1975
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, तारीख 31 मार्च, 1975

निदेश नं० ए० पी० /जालन्धर —यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं० 5126 जालन्धर अगस्त 1974 में दर्ज है तथा (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री लखबीर सिंह सपुत्र श्री कपूर सिंह 186 सैशन कोर्ट रोड जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री मनजीत सिंह रंधावा सपुत्र हरबन्स सिंह रंधावा गांव रफाता कपूरथला (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती का टुकडा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5126 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के कार्यालय में दर्ज है ।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 31 मार्च, 75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, तारीख 31 मार्च 1975

निदेश नं ए० पी० नं०/जालन्धर——यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं 5125 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में दर्ज है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सखवीर सिंह सपुत्र कपूर सिंह 286 सैशन कोर्ट रोड जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री अजीत सिंह सपुत्र हरबन्स सिंह रफतार्ं जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में दर्ज है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं 5125 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के कार्यालय मे दर्ज है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 31 मार्च 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालंधर तारीख 31 मार्च, 1975

निदेश सं० ए पी / जालन्धर —यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं० 5109 (अगस्त, 1974) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के कार्यालय में दर्ज है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) अमरसिंह सपुत्र श्री घुटो गांव गोपालपुर तहसील और जिला जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री रणधीर मुन्जी सपुत्र श्री रामनारायण 393 न्यू जवाहर नगर जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5109 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में दर्ज है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालंधर

तारीख : 31 मार्च 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज/जालन्धर

जालंधर, तारीख 31 मार्च 1975

निदेश सं० /जालन्धर—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं 5117 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के कार्यालय में दर्ज है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री अमर सिंह सपुत्र दिलदार गांव गोपालपुर अलियास विधिपुर तहसील जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री आर० के० महाजन एण्ड कम्पनी बाती रोड जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में दर्ज है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के ० अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5117 अगस्त, 1974 जालन्धर के कार्यालय में दर्ज है

रवीन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 31 मार्च 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०.............

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर तारीख 31 मार्च 1975

निदेश सं ए पी / जालन्धर यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं 5118 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में दर्ज है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अमर सिंह गांव गोपालपुर जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्रीमति सरोज महाजन पत्नी चन्द्र महाजन 19 शक्ति नगर जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं0 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5118 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के कार्यालय में दर्ज है।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 31-3-1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर तारीख 31 मार्च, 1975

निदेश नं० ए पी /जालन्धर——यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं० 5120 अगस्त, 1974 जालन्धर के कार्यालय में दर्ज है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री उमर सिंह गांव गोपालपुर अलियास विधिपुर तहसील जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्रीमती आशा महाजन पत्नी आर० के० महाजन 21 शक्ति नगर जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में दर्ज है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5120 अगस्त, 1974 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर है में दर्ज है

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख 31 मार्च, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज जालन्धर

जालंधर, तारीख 21 अप्रैल, 1975

निदेश सं० ए पी ०/जालंधर—

यत: मुझे, रवीन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और

जिसकी सं० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2378, अगस्त, 1974 में लिखी है तथा जो सुतेहरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अत: अब उक्त अधिनियम की, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री राजिन्द्र सिंह कोठी नं० 78 सैक्टर 5 चण्डीगढ़ (अन्तरक)

(2) श्री गोपाल सिंह पुत्र काशीराम वासी सलीम पुर तहसील होशियारपुर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि के बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सुतेहरी में 10 कनाल जमीन जिसका पूर्ण रूप रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी होशियारपुर के अगस्त, 1974 के वसीका नं० 2378 में दिया है।

रवीन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 21 अप्रैल, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, तारीख 21 अप्रैल 1975

निदेश नं०—

अतः मुझे, रवीन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2395 अगस्त, 1974 में लिखी है तथा जो मुतेहुरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री राजिन्दर सिंह पुत्र अवतार सिंह कोठी नं० 78 सैक्टर-5, चण्डीगढ़ (अन्तरक)

(2) कुमारी स्वरन कौर पुत्री हाकू राम वासी उरमर टांडा । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप, :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मुतेहुरी में 10 कनाल 1 मरला जमीन जिसका पूर्ण रूप रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी होशियारपुर के अगस्त, 1974 के वसीका नं० 2395 में दर्ज है ।

रवीन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 21 अप्रैल 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निर्देश सं० ए०पी०
यत: मुझे, रविन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और
जिसकी सं० विलेख रजिस्ट्रीकृत नं० 2448 अगस्त, 1974 को लिखा है तथा जो गढ़ी फतह खान में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवाशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, या छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री दलीप सिंह पुत्र शमशेर सिंह वासी गढ़ी फतह खान । (अन्तरक)

(2) श्री हरी सिंह पूरन सिंह पुत्र तेजा सिंह वासी मरागपुर (अन्तरिती)

(3) जैसा नं० 2 पर (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)

(4) कोई और व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गढ़ी फतह खान में 42 कनाल 8 मरले भूमि जिसका पूर्ण रूप रजिस्ट्रीकर्ता नवांशहर के अगस्त 74 के वसीयत नं० 2448 में दर्ज है ।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० ए पी /

यत: मुझे, रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जिसका विलेख रजिस्ट्रीकृत नं० 2060 अगस्त, 74 को लिखा है तथा को होशियारपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री मनोहर लाल पुत्र गोकल चन्द वासी डब्बी बाजार होशियारपुर। (अन्तरक)

(2) मैं० जैकिसन कोल्ड स्टोर ऐड फ्रूट प्रविजन इन्डस्ट्रीज नालीईयां होशियारपुर में (अन्तरिती)

(3) जैसा नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

8 कनाल का प्लाट जो होशियारपुर में है जिसका पूर्ण रूप अगस्त, 1974 के रजिस्ट्रीकर्ता होशियारपुर के वसीका नं० 2060 में दर्ज है।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 21-4-74

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निर्देश/सं०/ए०/पी०

यत: मुझे, रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० विलेख रजिस्ट्रीकृत नं० 2424 अगस्त, 1974 को लिखा है तथा गडी फतह खान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवांशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, अगस्त, 1974 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दलीपसिंह पुत्र समशेर सिंह वासी गडी फतह खान। (अन्तरक)

(2) श्री हरी सिंह, पूरन सिंह तेजा सिंह वासी गडी फतह खान। (अन्तरिती)

(3) जैसा नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है।)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गडी फतह खान में 48 कनाल भूमि जिसका पूर्ण रूप रजिस्ट्रीकर्ता नवांशहर के अगस्त, 1974 के वसीका नं० 2424 में दर्ज है।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी:
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 21-4-74
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक अप्रैल 1975

निर्देश ए० पी० —

यत: मुझे, रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० विलेख रजिस्ट्रीकृत नं० 2752 अगस्त, 1974 को लिखा है तथा जो गडी फतह खान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवांशहर में रजिस्ट्रीकृत अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की उक्त आयकर अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री दलीप सिंह पुत्र शमशेर सिंह वासी गडी फतह-खान । (अन्तरक)

(2) श्री हरभजन सिंह गुरबचन सिंह बलदेव सिंह पुत्र दलीप सिंह गडी फतह खान । (अन्तरिती)

(3) जैसा नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)

(4) कोई व्यक्ति, जो सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गाव गडी फतह खान में 67 कनाल 10 मरले जमीन जिसका रूप रजिस्ट्रीकर्ता नवांशहर के अगस्त 74 के वसीका नं० 2752 में दर्ज है ।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 21 4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक अप्रैल 1975

निदेश नं० ए० पी० /
यत: मुझे, रविन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जिसका विलेख रजिस्ट्री कृत नं० 1313, अगस्त, 1974 को लिखा है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नकोदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती प्रकाशवती पत्नी हरी चन्द वासी सेहम तहसील नकोदर । (अन्तरक)

(2) श्री जोगासिंह बेहल सिंह पुत्र दिदार सिंह वासी सेहम । (अन्तरिती)

(3) जैसा नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

सिधपुर डोमा में 37 कनाल 3 मरले भूमि जिसका पूर्ण रूप रजिस्ट्रीकर्त्ता नकोदर के अगस्त, 1974 के वसीका नं० 1290 में दिया है ।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 21- 4- 75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निर्देश सं० ए० पी०/ —— यत: मुझे, रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० विलेख रजिस्ट्रीकृत नं० 2733 अगस्त, 1974 को लिखा हैं तथा को गड़ी फतहखान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवांशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए :

अत: अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री दलीप सिंह पुत्र समशेर सिंह वासी फतह खान (अन्तरक)

(2) श्री हरभजन सिंह गुरबचन सिंह बलदेव सिंह पुत्र दलीप सिंह वासी गड़ी फतह खान। (अन्तरिती)

(3) जैसा नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

67 कनाल 10 मरले भूमि जिसका पूर्ण रूप रजिस्ट्री-कर्ता नवांशहर के अगस्त, 74 के वसीका में दर्ज है।

रविन्दर कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 24 मार्च 1975

निदेश नं० ए पी /—

अतः मुझे, रविन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सका विलेख रजिस्ट्रीकृत नं० 4914 अगस्त, 74 को लिखा है तथा जो बूट गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त, अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) किशन सिंह विठन सिंह पुत्र लाभ सिंह वासी बूट जिला जालन्धर। (अन्तरक)

(2) श्रीमति पारो पत्नी जगत राम गांव मुध तहसील नकोदर। (अन्तरिती)

(3) जैसा नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

3 कनाल 13 मरले का प्लाट जो कि गांव बूट में है और जिसका पूर्ण रूप रजिस्ट्रीकर्ता जालन्धर के अगस्त 1974 के वसीका नं० 4914 में है दिया है।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालंधर, दिनांक 31 मार्च 1975

निदेश ए० पी
यत: मुझे, रविन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जिसका विलेख रजिस्ट्रीकृत नं० 5258 अगस्त, 1974 को लिखा है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ उपधारा (1)के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:——

(1) श्री सुखबीर सिंह पुत्र कपूर सिंह 186-सेसन रोड, जालन्धर । (अन्तरक)

(2) श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी हरबंस सिंह वासी रणधावा । (अन्तरिती)

(3) जैसा नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई और व्यक्ति, जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्त के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पुलिस लाईन जालन्धर में 7 मरले का प्लाट जिसका पूर्ण रूप रजिस्ट्रीकर्ता जालंधर के अगस्त 1974 के वसीका नं० 5258 में दर्ज है।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 31-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निर्देश सं० ए पी —

यतः मुझे, रविन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जिसका विलेख रजिस्ट्रीकृत नं० 1290, अगस्त, 1974 को लिखा है तथा को नकोदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नकोदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रकाश वती पत्नी हरीचन्द वासी सेहम तहसील नकोदर। (अन्तरक)

(2) श्री जोगा सिंह, बहल सिंह पुत्र दिदार सिंह वासी सेहम। (अन्तरिती)

(3) जैसा नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

37 कनाल 3 मरले जमीन जिसका पूर्ण रूप रजिस्ट्रीकृत नकोदर के अगस्त, 1974 के वसीका नं० 1290 में दिया है।

रविन्द्र कुमार,
(सक्षम अधिकारी),
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश सं० ए० पी ——

यतः मुझे, रविन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार, मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्रीकृत नं० 2348/5048 रजिस्ट्रीकृत अधिकारी जालन्धर के कार्यालय मे है तथा जो गांव तलवन जिला जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जगत सिंह सुपुत्र करतार सिंह गांव तलवन तहसील फिलौर जिला जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री हमक सिंह, हरबैल सिंह सुपुत्र श्री महगा सिंह गांव तलवन तहसील फिलौर जिला जालन्धर (अन्तरिती)

(जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 2348/5048 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलौर के कार्यालय में दर्ज है।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---- –

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश सं० ए० पी० नं०/74-75 — यतः मुझे, रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्रीकृत नं० 2232/4032 तथा जो फिलौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जगत सिंह सुपुत्र श्री करतार सिंह सलवे तहसील फिलौर जिला जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री हसक सिंह, हावेलसिंह सपुत्र मंहगा सिंह गांव तलवन मुहल्ला झीटा तहसील फिलौर जिला जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :–

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि अगस्त 1974 रजिस्ट्री नं० 2232/4032 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलौर के कार्यालय में दर्ज है।

रविन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० ए० पी० नं० —

यत: मुझे, रविन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं० 2103/3003 है तथा जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलौर के कार्यालय में दर्ज है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या अन्य या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगत सिंह सुपुत्र श्री करतार सिंह गांव तलवन तहसील फिलौर जिला जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री हरनेक सिंह, हरवेल सिंह सुपुत्र महगां सिंह गांव तलवन मुहल्ला झीटा तहसील फिलौर जिला जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में स्थित है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 2103/3003 अगस्त 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलौर के कार्यालय में दर्ज है ।

रविन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर

तारीख: 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 75

निदेश सं० टी० आर० 204 /सी- 203/ कल० -1 74-75 —अत: मुझे, एस० के० चक्रवर्ती आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 85 है तथा जो मेटकाफ स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गर्वनमेन्ट प्लेस नार्थ, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख, 22-8-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री पुलिन कृष्ण राय स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (अन्तरक)
2. (1) श्रीमति प्रीतम कौर (2) हरभजन सिंह (अन्तरिती)
3 श्री मनीराम यादव (2) जनाब मोहम्मद जौहित (वह व्यक्ति, जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि, बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

85, मेटकाफ स्ट्रीट, कलकत्ता में नीचे कमरे का ईंट का बना रहने का मकान साथ में 2 कट्ठा 8 छटांक 33 वर्ग फीट जमीन ।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 1, कलकत्ता
54, रफीअहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1975

निदेश सं० टी० आर० - 289 /सी - 262/ कल० -1/ 74-75—अतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 11 है तथा जो महेन्द्र चटर्जी लेन, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेन्ट प्लेस नार्थ, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री प्रफुल्ल कुमार राय (अन्तरक)

(2) जीत ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विभाजित उत्तरी भाग 11, महेन्द्र चटर्जी लेन, कलकत्ता-46 का जिसमें एक तल्ला मकान (बंगला) जमीन के साथ जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा, 14 कट्ठा 35 वर्ग फुट है।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, कलकत्ता
54, रफीअहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता -16

तारीख : 18-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1975

निदेश सं० टी० आर०-198/सी०-207/कल-1/74-75—अत: मुझे, एस० के० चक्रवर्ती आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 42 बी (फ्लैट नं० 72 कार खड़ी करने की जगह के साथ है तथा जो शेक्सपीयर सरनी, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेन्ट प्लेस नार्थ, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टोपेन दास जी० मीरापुरी (अन्तरक)

(2) श्री जोगेन्द्र कुमार सेठ तथा अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 72 कार की जगह के साथ शालीमार अपार्टमेन्ट 42 बी० शेक्सपीयर सरनी, कलकत्ता में।

एस० के० चक्रवर्
सक्षम प्राधिकार
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण
अर्जन रेंज-I, कलकत्
54, रफीअहमद किदवाई रो
कलकत्ता-

तारीख : 18-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1975

निदेश सं० टी० आर० - 177/सी-184/ कल० -1/74-75—अतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 83 है तथा जो मेटकाफ स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेन्ट प्लेस, नार्थ, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. पुलिन कृष्ण राय स्टेट प्राइवेट लिमिटेड (अन्तरक)

2. (1) श्री मोहन सिंह (2) श्री हरजीत सिंह (अन्तरिती)

3. (1) श्री मनेश सिंह (2) सन मिश्राश्रो कम्पनी (3) जीनत बीबी (4) मटियार रहमान (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

83, मेटकाफ स्ट्रीट कलकत्ता में नीचे कमरे के ईंट के बने रहने का मकान और भूमि का एक भग जिसका क्षेत्रफल करीब-करीब 2 कट्टा 8 छटांक 22 वर्गफीट है ।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, कलकत्ता
54, रफीअहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता - 16

तारीख : 18-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1975

निदेश स० टी० आर०-188/सी-187/कल-1/74-75—अतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० 32 है तथा जो एजरा स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेन्ट प्रेस नार्थ, कलकत्ता मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) टोडी प्रापर्टीज लिमिटेड (अन्तरक)

(2) श्री रामपाल टोडी तथा अन्य ट्रस्टीज भारत चैरिटी ट्रस्ट के। (अन्तरिती)

(3) श्री गोपाल दास भीमानी एण्ड कम्पनी अन्य (वह व्यक्ति, अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कमरा नं० 9, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 38, 43, 53 और 56, जिनका क्षेत्रफल 999.05 वर्गफीट है और मेजेनीन तल्ले के साथ जो कि 32, एजरा स्ट्रीट कलकत्ता के सबसे नीचे के तल्ले में है।

एस० के० चक्रवर्ती,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता
54, रफी अहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-75

मोहर :

प्रारूप आई०टी०एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1975

निदेश सं० टी० आर० 196/सी -208/कल० 1-/74-75 —अतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और और जिसकी सं० 19सी है तथा जो रिपन स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गर्वनमेन्ट प्लेस नार्थ, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-8-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) दी क्रिश्चियन कोआपरेटिव क्रेडिट यूनियन लिमिटेड (अन्तरक)

(2) क्रेडिट यूनियन कोआपरेटिव हाउसिंग लिमिटेड (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1 कट्टा 12 छटांक 28 वर्गफुट क्षेत्रफल की भूमि।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 1, कलकत्ता,
54, रफीअहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता- 16

दिनांक : 18-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1975

निदेश सं० टी०आर०-207/सी-200/ कल-1/ 74-75— अतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 32 है तथा जो एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गर्वनमेंट प्लेस नार्थ, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20- 8- 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :–

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. टोडी प्रापर्टीज लिमिटेड (अन्तरक)

2. (1) श्रीमति सरस्वती साव (2) श्रीमती सावित्री साव (3) श्रीमती श्यामा साव (4) श्रीमती गीता साव (अन्तरक)

3. श्रीमती श्यामा देवी (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है

2. श्री वरुण कुमार श्री राकेश कुमार पुत्रगण लाला रघुवन्श कुमार व श्रीमती प्रतिभारानी पत्नी श्री अरूण कुमार नि० 138 ता 140 राइट गंज, गाजियाबाद, जि० मेरठ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

32, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता में कमरा नं० 5 और 6, नीचे के तल्ले में जिसका क्षेत्रफल 278.50 वर्गफीट है साथ में मेजेनाइन और जमीन के नीचे की जगह।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण,)
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता
54, रफीअहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-75
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

आई० ए० सि० अर्जन रेंज

4, कल०

कलकत्ता, दिनांक 14 अप्रैल 1975

निदेश सं० ए० सि० - 212/आर-4 /कल० / 75-76 अतः मुझे, एस० वट्टाचार्या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं 243/ए है तथा जो आचार्य प्रफुल चन्द्र रोड, मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता, मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 12-8-74 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) महाराज कुमार सीमेन्द्र चन्द्र नन्दी और महारानी नेलिमा नन्दी (अन्तरक)

(2) श्रीमती रेनुका साधुखान (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील म 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5 कट्टा 2 छटांक 25 स्क्वेयर बस्ती जमीन जो 243/ए आचार्या प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता-6 का अंश और उस पर मकान।

एस० भट्टाचार्या,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-IV
54, रफी अहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 14-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

आई० ए० सि० अर्जन रेंज IV

कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 अप्रैल 1975

निदेश सं० ए० सि० - 211 /आर० -Iv /कल०/75-76— यत: मुझे, एस० भट्टाचार्या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 65/1 सि० है तथा जो बाग बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-8-1974 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने से सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती निर्मला बाला घोष (अन्तरक)

(2) सर्वश्री शंकर प्रसाद केशरी, भोला प्रसाद केशरी, समझ प्रसाद केशरी, विजय प्रसाद केशरी गोपाल-दास शाह (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

3 कट्ठा 10 छटांक 35 स्कोयार फिट जमीन और उसपर मकान, 65/1 सि० बाग बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-3।

एस० भट्टाचार्या
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज IV
54, रफी अहमद किदवाई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 14-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, KAKINADA.

Kakinada, the 22nd March 1975

Acq. File No. 180/J. No. I(312)/EG/74-75

अतः, मुझे, K. Subbarao आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी, को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 47-2-6 Gandhipuram No. 1, Rajahmundry में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, Rajahmundry में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 15-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. Dangoli Laxmanarao & Others (2) Nararyanakumar (3) Manikumar (4) Nage Ramesh-2 to 4 being minors represented by father Laxanarao, Rajahmundry.

(अन्तरक)

2. Uppaluri Venkatarao, Korruru, W.G. Dt.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

East Godavari District—Rajahmundry Municipality—Gandhipuram No. 1 Municipal Ward No. 24—Door No. 47-2-6—Daba House

BOUNDARIES

East : Rahaveedhi 105 ft.
South : Compound wall of Dandanudi Venkataramarao
West : Compound wall and site of E. Gapalarao
North . Govt. Drainage and Road.

K. Subbarao,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, KAKINADA.

तारीख : 22-3-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, KAKINADA.

KAKINADA, दिनांक 22 मार्च 1975

Acq. File No. 179/J. No. I(201 & 231)/KR/74-75

अतः, मुझे, K. Subbarao आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 14-1-109, Smbamurty Road Hanumanpeta, Vijayawada में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, Vijayawada में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 15-8-74 & 31-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. Shri P. Bushaiah, Vijayawada

(अन्तरक)

2. 1. Sri Sethu Narayanarao Minor by guardian Smt. Kannam Narayanamma w/o Venkaiah 2. Smt. Muppa Ankamma W/o Naraiah, Hanumanpeta, Vijayawada.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

Krishna District—Vijayawada Sub-Registran—Vijayawada Town—Municipal ward No. 18—Present ward No. 17—Revenue ward No. 8—Block No. 31—M.T.S. No. 932—Old Asst. No. 8437—New Asst No. 2816—Door No. 14-1-109.

BOUNDARIES

East : Compound wall of Smt. Makani Banumathamma.
South : Property of Smt. Muppa Akkamma
West : Road and
North : Compound wall of Batchu Sreeramulu.

K. SUBBARAO,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, KAKINADA.

तारीख : 22-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 14 अप्रैल 1974

निदेश सं० सि० आर० 62/2828/74-75—यत: मुझे, आर० क्रिष्णमूर्ति

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जमीन सर्वे नं० 30 है, जो गविपुरम, डिविजन 31, बंगलूर सिटी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवन गुडि, बैंगलूर दस्तावेज नं० 2037/74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) एम० कथप्पा (2) जी० एम० वेमन्ना (3) जी० एम० गोविन्दराजुलु (4) जी० एम० श्रीनिवास नं० 1884, IV 'T' ब्लाक जयनगर, बंगलूर-11 (अन्तरक)

2. मनजुनाथ हौज बिल्डिंग को-आपरेटिव सोसायटी, नं० 1020, 16 मैन रोड हनुमन्तनगर बंगलूर-19 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं० 30 गविपुरम गांव, डिविजन 31, बंगलर सिटी - 2 एकड़ 34 गुनटे । दस्तावेज नं० 2037/74-75 ता० 1-8-74 ।

आर० क्रिष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 14-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 14 अप्रैल 1975

निदेश सं० सि० आर० 62/2829/74-75 —यत: मुझे, आर० क्रिष्णमूर्ति आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम,' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है जिसकी सं० जमीन सर्वे नं० 30 है, जो गोविपुरम, डिविजन नं० 31, 2 एकड़ 20 गुनटे बंगलूर सिटी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवनगुडि, बंगलूर दस्तावेज नं० 2038/74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-8-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री एम० कन्नप्पा (2) जी० एम० वेमन्ना (3) जी० एम० गोवन्दा (4) जी० एम० श्रीनिवास, 1884, 4 'टी' ब्लाक, जयनगर, बंगलूर-11 (अन्तरक)

(2) मनजुनाथ हौज बिल्डिंग को-आपेरेटिव सोसाईटी, 1020, XVI मैन रोड, हनुमन्तनगर, बंगलूर-19। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं० 30, गविपुरम, डिविजन नं० 31, बंगलूर सिटी 2 एकड़ 20 गुनटे।

दस्तावेज नं० 2038/74-75 ता० 1-8-74।

आर० क्रिष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 14-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, तारीख 25 अप्रैल 75

निर्देश नं० ए/ जालन्धर / 1974-75—यत: मुझे, रविन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं० 5044 जालन्धर के कार्यालय मे दर्ज है तथा जो जालन्धर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अगस्त, 1974 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री अमर सिंह सपुत्र बतन सिंह गांव कुकर पिन्ड जिला जालन्धर (अन्तरक)

(2) सन्त बाबा गयान सिंह चेला बाबा बसन्त चेला बाबा हरनाम सिंह निर्मल कुटिया गांव जोहल जिला जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; या

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5044 अगस्त, 1974 में दर्ज है रजिस्ट्रीकृत अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालधर

तारीख : 25 अप्रैल 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, तारीख 23 अप्रैल 1975

निर्देश नं० ए पी/जालन्धर — यतः मुझे, रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया) है की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं० 5557 अगस्त 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचनेमें सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण मे, मैं अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री तारा सिंह सपुत्र गणेषा सिंह गांव सतोवली जिला जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री तेजा सिंह सपुत्र बंता सिंह, बलदेव सिंह गांव घुगरी, जिला जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं 2 में दर्ज है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं :—

उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में कोई भी आक्षेप:,—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5557 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के कार्यालय में दर्ज है ।

रविन्द कुमार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर ।

तारीख : 23-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, तारीख 21 अप्रैल 75

निदेश सं० ए / जालन्धर / 1974-75—यतः मुझे, रविन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो के० एम० श्रीं० के पीछे में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री फकीर सिंह गुरबक्स सिंह पुत्र श्री शिव सिंह निवासी आदमपुर (अन्तरक)

(2) श्रीमती दलीप कौर पत्नी नरन्जन सिंह भेट त० कपूरथला (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी दिलचस्पी रखने वाला व्यहिक (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसे कि प्लाट रजि० नं० 5692 अगस्त, 1974 में रजि० दफतर के जालन्धर में लिखी गई ।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर ।

तारीख : 21 अप्रैल 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 23 अप्रैल 1975

निदेश नं० ए०/ जालन्धर / 1974- 75 --यत: मुझे, रविन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम,
1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० है तथा
जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम; या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण, में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) श्री तारा सिंह पुत्र गनेश सिंह गांव सत्तोवाली तहसील जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री तेजा सिंह पुत्र बन्ता सिंह पुत्र खुदराये सिंह जोगिन्द्र कौर पत्नी गुरबक्स सिंह (अन्तरिती)

(3) जैसे कि नं० में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जो रजि० नं० 5686 अगस्त 1974 रजि० दफ्तर जालन्धर में दी गई है ।

रविन्द्र कुमार
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 23-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 23 अप्रैल 1975

निदेश सं० ए/ जालन्धर / 74-75— यतः मुझे, रविन्द्र कुमार

आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं०—है तथा जो—में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री तारा सिंह पुत्र गनेशा सिंह गांव सत्तोवाली जालन्धर। (अन्तरक)

(2) श्री तेजा सिंह पुत्र बन्ता सिंह गांव दुगड़ी तह० जालन्धर बलदेव सिंह पुत्र खुदराये सिंह और जोगिन्द्र कौर पत्नी गुरबक्स सिंह। (अन्तरिती)

(3) जैसे नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अभिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई भी रुचि रखने वाला व्यक्ति (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जो रजि० नं० 5577 अगस्त, 1974 के रजि० दफ्तर में दर्ज है।

रविन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 23-4-75
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, तारीख 23 अप्रैल 1975

निर्देश सं० ए पी नं० / 74-75 — यतः मुझे, रविन्द्र कुमार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री नं० 5437 हैं जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री हजूर सिंह सपुत्र श्री बालसिंह नंगल मनोहर तहसील जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री सरदार दर्शन सिंह सपुत्र दयाल सिंह नंगल मनोहर तहसील जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(1) धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5437 जालन्धर के कार्यालय में दर्ज है

रविन्द्र कुमार
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 23-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनाँक 23 अप्रैल 1975

निदेश नं० ए पी नं० / जालन्धर —यत. मुझे, रविन्द्र कुमार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनयिम कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० रजिस्ट्री न० 5605 अगस्त, 1974 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के कार्यालय मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री तारासिंह सपुत्र श्री गणेश सिंह गाव सतोवाल जिला जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री तेजासिंह सपुत्र बतासिंह गांव घुगडी जालन्धर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होनी हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 5605 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर अगस्त, 1974 के कार्यालय मे दर्ज है

रविन्द्र कुमार,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर।

तारीख : 23-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० ए एस आर/एम एल टी/ ए पी-12/ 75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो पन्नीवाला फट्टा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए प्र तय पाया गया तिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री गुलजार सिंह सपुत्र हीरा सिंह सपुत्र भोला सिंह गांव दौलतपुरा तहसील गंगानगर। (अन्तरक)

(2) श्री जसविन्द्र सिंह, सुखजीत सिंह, गुरजीत सिंह सपुत्रान कर्मसिंह सपुत्र नत्था सिंह रणपिन्द्र सिंह, भोपन्द्र सिंह सपुत्रान गुरपिन्द्र सिंह सपुत्र कर्मसिंह वासी पन्नीवाला फट्टा तहसील मुक्तसर। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि न० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1575 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में है।

(वी० आर० सगर)
सक्षम अधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर तारीख 21-4-75

निदेश नं० ए एस आर/एम एल टी/ए पी-13/75-76— यतः मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है।) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो पन्नीवाला फट्टा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दारा सिंह सपुत्र हीरा सिंह सपुत्र भोला सिह गांव दौलतपुरा तहसील गंगानगर। (अन्तरक)

(2) श्री जसविन्द्र सिंह, सुखजीत सिंह, गुरजीत सिंह सपुत्रान कर्मसिंह सपुत्र नत्था सिह तथा रणपिन्द्रसिंह, सपुत्रान गुरपिन्द्र सिह सपुत्र कर्म सिंह गांव पन्नीवाला फट्टा तहसील मुक्तसर। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, यथा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1573 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में है।

(वी० आर० सगर)
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० ए एस आर/एम एल टी/ ए पी- 14/ 75-76— यतः मुझे, वी० आर० सगर ए आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो पन्नीवाला फटटा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलोट, मे रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत मे अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण मे हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, जब उक्त अधिनियम की उक्त धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री दुल्ला सिह सपुत्र फाला सिह सपुत्र रुलिया सिह गाव दौलतपुरा तहसील गंगानगर। (अन्तरक)

(2) श्री जसविन्द्र सिह, सुखजीत सिह, गुरजीत सिह सपुत्रान कर्मसिह सपुत्र नत्था सिह, तथा रणपिन्द्र-सिहं पपिन्द्र सिहं, सपुत्रान गुरपिन्द्र सिह, सपुत्र कर्मसिह गांव पन्नीवाला फट्टा तहसील मुक्तसर। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि न० 2 मे है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1574 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट मे है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 10-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० ए एस आर/बी टी एल/ए पी-15/75-76—यत: मुझे, वी० आर० सगर, आयकर आधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनयम, कहा गया है।) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो गांव भागोवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बटाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है यहकि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री सखन सिंह सपुत्र दर्शन सिंह गांव भागोवाल तहसील बटाला। (अन्तरक)

(2) श्री अजायब सिंह, सावन सिंह तथा दूसरे सपुत्रान सुन्दर सिंह गांव भागोवाल तहसील बटाला। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3535 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकृत अधिकारी बटाला में है :

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० अमृतसर / मोगा /ए० पी०-16 /75-76—यत: मुझे, बी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० दुकान है तथा जो मोगा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में मे और पूर्ण रूप में वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री शोभा सिंह सपुत्र पंजाब सिंह सपुत्र खजान सिंह मोगा मैहला सिंह । (अन्तरक)

(2) श्री रामतीर्थ , सतपाल तथा जोगिन्द्र पाल सपुत्रान श्री मेहर चन्द मार्फत मैसर्ज मेहर चन्द एण्ड सन्ज, मोगा । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है । (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति, जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दुकान जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4652 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में है ।

बी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश सं० ए एस आर/जी डी बी/ए पी-17/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं० मकान है तथा जो गिदड़बाहा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रुप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गिदड़बाहा में रजिस्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री छज्जू राम, चमन लाल पवन कुमार सपुत्रान श्री सरुप चन्द सुरिन्द्र कांता, रक्षा रानी सपुत्रिया सरुप चन्द, विद्या देवी पत्नी श्री सरुपचन्द, श्रीगंगानगर। (अन्तरक)

(2) श्रीमती बचन देवी पत्नी पवन कुमार सपुत्र प्रिथीचन्द गिदड़बाहा। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 505 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गिदड़बाहा में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० ए एस आर/जी डी बी/ए पी - 18/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है)

की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी स० भूमि है तथा जो गांव भट्टीवाला मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गिदड़बाहा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हाकम सिह सपुत्र फुम्मन सिह वासी भट्टीवाला तहसील मुक्तसर। (अन्तरक)

(2) श्री हरनेक सिह, बिन्द्र सिह वासी गांव भट्टीवाला तहसील मुक्तसर। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि न० 2 मे है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 515 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गिदड़बाहा में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख : 21-4-74
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(घ) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, तारीख 21 अप्रैल, 1975

निदेश नं० अमृतसर/अबोहर/ए.पी-19/75-76—यत: मुझे, वी० आर० सगर
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो गांव भंगाला मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अबोहर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

17—76GI/75

(1) श्रीमती बीबी, उदय कौर मपुत्रियां भाग सिंह वासी गांव भंगाला। (अन्तरक)

(2) श्री मिठूसिंह, पिलासिंह, बलविन्द्र सिंह, प्रीतम सिंह सपुत्रान भग सिंह, गांव भंगाला।

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1405 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, तारीख : 21 अप्रैल, 1975

निदेश सं० अमृतसर/मोगा/ एपी-20 /75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो बाघा पुराना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री गुरबचन सिंह सपुत्र करतार सिंह वासी बाघा पुराना । (अन्तरक)

(2) श्रीमती मलकीत कौर पत्नी मुकन्द सिंह वासी केसर सिंह वाला तहसील रामपुर फूल तथा अमरजीत कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4647 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में है ।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, तारीख 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० अमृतसर/मानसा/ए पी -21/75-76—यत: मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 1/2 दुकान नं० 827 है तथा जो ब्लाक नं० 7 गली नं० 19 मानसा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मानसा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अत: अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री बनारसी दास सपुत्र खेता मल, हंसराज सपुत्र बनारसी दास, मानसा। (अन्तरक)

(2) डा० सन्तोख सिंह सपुत्र मनी सिंह, मानसा। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/2 दुकान जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3192 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानसा में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० ए० एस० आर०/एम०एनएस०/ए०पी०-22/75-76_ यत मुझे, वी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1/2 दुकान नं० 827 है तथा जो ब्लाक नं० 7 गली नं० 19 मानसा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मानसा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने मे सुविधा के लिये।

अत. अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्.—

(1) श्री बनारसी दास सपुत्र ... नामल, ... सराज सपुत्र बनारसी दास, मानसा। (अन्तरिती)

(2) श्री सन्तोख सिंह सपुत्र मनी सिंह मानसा (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 मे है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी ... जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

1/2 दुकान जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3193 अगस्त 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानसा मे है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख 21-4-75
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश स० अमृतसर / भटिंडा/ए०पी०- 23 / 75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि का प्लाट है तथा जो नजदीक भानामल धर्मशाला भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) सेठ भानामल धर्मशाला ट्रस्ट भटिंडा द्वारा श्री-केशो राम प्रधान तथा श्री सोहन लाल उप-प्रधान सपुत्रान श्री भानामल । (अन्तरक)

(2) श्री रमेश चन्द्र, धर्मवीर, पवन कुमार, सुन्दरलाल तथा मनोहर लाल गुप्ता तथा आत्मा राम मार्फत भानामल धर्मशाला भटिंडा (अन्तरिती)

(3) जैसा कि न० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखाता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि का प्लाट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत न० विलेख 3536 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में है ।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० ए०एस०आर०/बी०टी०डी०/ए०पी०24/75-76—यत: मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो नजदीक बीबीवाला रोड भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रुप मे वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :–

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में लिए सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :–

(1) श्री बनारसी दास सपुत्न सुरजस राम सपुत्न सीरियां मल, भटिंडा । (अन्तरक)

(2) उजागर सिंह सपुत्न मोहन सिंह सपुत्न श्री ककड़ा सिंह । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि न० 2 मे है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3494 अगस्त 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में है ।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० अमृतसर/भटिंडा/ए० पी० -25/75-76— यत: मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनयिम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो नजदीक बीबीवाला रोड, भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर आधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री बनारसी दास सपुत्र सुरजस राम सपुत्र सीरियां मल, भटिंडा। (अन्तरक)

(2) श्रीमती कमलेश रानी पत्नी श्री रमेश चन्द सपुत्र लाला हुक्म चन्द, भटिंडा। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3493 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा मे है।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० ए० एस० आर०/एम० जी० ए०/ए०पी० 26/75-76—यत: मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि का प्लाट है तथा जो शांति नगर सिविल लाईन्स मोगा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त आय-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री मोहन सिंह सपुत्र श्री सुन्दर सिंह सपुत्र श्री काकू सिंह, 1155 अहाता बदाम सिंह, मोगा। (अन्तरक)

(2) श्री सुरजीत सिंह सपुत्र आत्मा सिंह, सिविल लाईन्स मोगा द्वारा श्री चेत सिंह सपुत्र श्री गुरबचन सिंह सिविल लाईन्स, मोगा। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि का प्लाट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4573 अगस्त, 1974 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० अमृतसर /अबोहर/ ए० पी० -27/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो गांव गदान डोब में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती भगवान कौर माता श्री राम सिंह विधवा नौनिहाल सिंह गांव व डाकखाना गदान डोब। (अन्तरक)

(2) श्रीमती महिन्द्र कौर विधवा श्याम सिंह सपुत्र नौनिहाल सिंह डाकखाना गदान डोब। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1384 अगस्त, 1974 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश सं० अमृतसर / भटिंडा / ए०पी० 28/75-76—यत: मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, या छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री अमर नाथ सपुत्र मुन्शी राम वासी भटिंडा (अन्तरक)

(2) श्री गण्डा सिंह सपुत्र हरी सिंह, रंजीत सिंह सपुत्र अजमेर सिंह वासी जोधपुर रामाना। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3586 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख 21-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० ए० एस० आर०बी०टी० डी० /ए० पी० 29/75-76— यतः मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रुप में वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सतपाल सपुत्र जगन नाथ वासी भटिंडा । (अन्तरक)

(2) श्री रंजीत सिंह सपुत्र अजमेर सिंह, गण्डा सिंह सपुत्र हरी सिंह तथा श्रीमती बलबीर कौर पत्नी गण्डा सिंह वासी जोधपुर रमाना : (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3585 अगस्त 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में है ।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख : 21-4-74
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० अमृतसर/ भटिंडा/ए० पी० -30/ 75-76— यत: मुझे, वी० आर० सगर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिंडा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तरीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रामनाथ सपुत्र मुन्शी राम वासी भटिंडा (अन्तरक)

(2) श्री रंजीत सिंह सपुत्र अजमेर सिंह, श्रीमती बलबीर कौर पत्नी गण्डा सिंह वासी जोधपुर रमाना । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3587 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकरी भटिंडा में है ।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जनरेंज, अमृतसर

तारीख : 21- 4- 75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश सं० अमृतसर / गिदड़बाहा / ए० पी०- 31/ 75-76– यतः मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है जो गांव भोटी वाला तहसील मुक्तसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गिदड़बाहा में रजिष्ट्रीकरण अधिनयिम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री हाकम चन्द सपुत्र श्री फुम्मन सिंह भोटीवाला तहसील मुक्तसर । (अन्तरक)

(2) श्री सन्त सिंह सपुत्र फुम्मन सिंह, बलजिन्द्र-सिंह सपुत्र हरनेक सिंह वासी भोटीवाला तहसील मुक्तसर । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है । (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 514 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गिदड़बाहा में है ।

वी० आर० सगर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर दिनांक 21 अप्रैल 75

निदेश नं० ए० एस० आर०/एफ० डी० के० ए०पी०-32 75-76 यतः मुझे, वी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो कोट कपूरा में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रुप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री महिन्द्र सिंह, जोगिन्द्र सिंह, बरजिन्द्र सिंह सपुत्रान मंगल सिंह कोटकपूरा सुरगापुरी नजदीक रेलवे स्टेशन । (अन्तरक)

(2) श्री गुरदेव सिंह तथा दर्शन सिंह सपुत्र राम सिंह कोटकपूरा नजदीक न्यू सिनेमा । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2147 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में है ।

वी० आर० सगर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख :21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 75

निदेश नं० अमृतसर/ अबोहर/ए०पी०-33/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो गांव खुबां मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती विद्यावती सपुत्री लदू राम मसुत्र घनैया राम पत्नी ओमप्रकाश सपुत्र महताब राए वासी मोरजान्दा, तहसील हनुमानगढ़ ।

(2) श्री ओमप्रकाश, रमेश कुमार सपुत्रान लदू राम वासी हनुमानगढ़ (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 मे है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1387 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में है ।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, तारीख 21-4-75

निदेश नं० ASR / अबोहर/ ए पी-34 /75-76—यत: मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जो गांव खुबां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित ह), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती प्रकाश देवी सपुत्री लदू राम सपुत्र घनैया राम पत्नी दीवान चन्द सपुत्र ईशर दास वासी टाहलीवाला । (अन्तरक)

(2) श्री ओम प्रकाश, रमेश कुमार सपुत्रान लदू राम सपुत्र घनैया राम वासी हनुमानगढ़ टाउन जिला गगांनगर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1386 अगस्त 1974 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में है ।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश सं० ASR / अबोहर /ए० पी०-35/ 75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो गांव खुबां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्णरूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती सरोज कुमारी सपुत्री लदू राम सपुत्र घनैया राम तथा पत्नी बाबू लाल सपुत्र लक्खू राम वासी मण्डी अबोहर तहसील फाजिल्का (अन्तरक)

(2) श्री ओम प्रकाश, रमेश कुमार कुमार सपुत्रान लदू राम सपुत्र घनैया राम, हनुमानगढ़ टाउन जिला गंगानगर । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप, :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1385 अगस्त, 1974 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में है ।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21- 4- 75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, तारीख 21-4-75

निदेश नं० ASR/FDK/ए पी-36/75-76—यतः, मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और

जिसकी सं० सम्पत्ति है. तथा जो बस्ती मनजीत इन्द्र पुरा फरीदकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1975 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में लिए सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रीतम कौर विधवा गुरकिरपाल सिंह फरीदकोट (अन्तरक)

(2) श्रीमती तेज कौर पत्नी श्री प्रतापसिंह गांव सेदा पी० ओ० जेतु मण्डी त० जिला फरीदकोट (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 मे है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2110 अगस्त, 1974 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर तारीख 21-4-75

निदेश नं० ASR/FDK /ए पी- 37/75-76— यत: मुझ, वी० आर० सगर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सम्पत्ति है तथा बस्ती मनजीत इन्द्र पुरा फरीदकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रुप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रीतम कौर विधवा भाई गुरकिरपाल सिंह वासी फरीदकोट (अन्तरक)

(2) श्रीमती हरजीत कौर विधवा श्री इकबाल सिंह कोठी नं० 12, ब्लाक, नं० 12, हरिंदर नगर, कोट कपूरा रोड, फरीदकोट (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त-अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2109 अगस्त 1974 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है ।

वी० आर० सगर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21- 4- 75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, तारीख 21-4-75

निदेश नं० ASR/FDK/ए पी- 38/75-76— यत: मुझे, वी० आर० सगर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी स० सम्पत्ति है तथा जो बस्ती मनजीत इन्द्रपुरा फरीकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रीतम कौर विधवा भाई गुरकिरपाल सिंह वासी फरीदकोट (अन्तरक)

(2) श्री सुरिन्द्र इकबाल सिंह पुत्र श्री इकबाल सिंह वासी फरीदकोट (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2108 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है ।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० ASR/FZR/एपी-39/75-76—यतः, मुझे, वी० आर० सगर
आयकर अधिनियम 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु० से अधिक है और जिसकी सं० जमीन है तथा जो गांव चौगाता वाला मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रुप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिरोजपुर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख , अगस्त, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आत्मा राम पुत्र श्री पन्ना लाल मार्फत श्री मंगत राम हकीकत राय, जी ए वासी गाव चौगाता वाला त० जिला फिरोजपुर (अन्तरक)

(2) श्री रमेश कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द 6, माल रोड, फिरोजपुर शहर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे रुचि रखता है , (वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 2450 अगस्त, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, तारीख 21 अप्रैल 1975

निदेश नं० अमृतसर/ फिरोजपुर/ एपी- 40/75-76—यत: मुझे, वी० आर० सगर आयकरअधिनियम, (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जमीन है था जो गांव चौगटे वाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल, से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप में से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम,या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आत्मा राम पुत्र श्री पन्ना माल मार्फत श्री मंगत राम हकीदत रायजी ए वासी गांव चौगाता वाला त० जिला फिरोजपुर (अन्तरक)

(2) श्री मूल चन्द पुत्र श्री बिहारी लाल मार्फत राजा टाकीज , फिरोजपुर शहर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे रुचि रखता हो) (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप, :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2449 अगस्त, 1974 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर मे लिखा है ।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 21-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलर

बंगलूर, तारीख 3-4-1975

निर्देश सं० सि० आर० 62/ 2830/ 74-75-- यत: मुझे, आर० क्रिष्णमूर्ति आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 16/1 (उत्तरी भाग) IV क्रास, न्यू कलासिपाल्यम ले औट, बैंगलूर सिटी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवनगुडि, बंगलूर दस्तावेज नं० 2078/74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 3-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री सि० एन० रुद्रमूर्ति 40, हासपिटल रोड, बैंगलूर-1 (अन्तरक)

(2) श्री एम० मोहम्मद असलम एस०/ओ०एम०ए० सत्तार 22, न्यू बम्बू बाजार बंगलूर-2 (अन्तरिती)

(3) गोयल रोड वेज (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

स्थावर सम्पत्ति नं० 16/1 का उत्तरी भाग जो IV क्रास, न्यू कलासिपालयम ले औट, बैंगलूर सिटी में स्थित है (डिविजन नं० 39)

क्षेत्रफल : पू० प० 40' उ० द० 20'=800 वर्ग फीट

सीमा :

पू: इमारत नं० 88

प० : क्रास

उ० : गोडौन नं० 77

द० : सैयद हुसेन को बेचा गया भाग

दस्तावेज नं० 2078/74-75 ता० 3-8-1974

आर० क्रिष्णमूर्ति,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बैंगलूर

तारीख : 3-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बैंगलूर

बैंगलूर ता० 3 अप्रैल 1975

निर्देश सं० सी० आर० 62/ 2831/ 74-75—यत: मुझे, आर० क्रिष्णमूर्ति, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 16/1 (दक्षिणी भाग) है, जो IV क्रास, न्यू कलासिपालयम ले आऊट, बैंगलूर (सिटी) म स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बसवनगुडि बैंगलूर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 3- 8- 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री सी० एन० रुद्रमूर्ति 40 हास्पिटल रोड बैंगलूर-1 (अन्तरक)

(2) श्री सैयद हुसेन सपुत्र श्री बी० सैयद अजमतुल्ला अवस्यक द्वारा समरक्षक श्रीमती शाकिरा बेगम, 21 न्यू बम्बू बाजार बैंगलूर -2 (अन्तरिती

(3) गोयल रोडवेज (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्थावर सम्पत्ति नं० 16/1 (दक्षिण भाग) , IV क्रास, न्यू कलासिपालयम ले आऊट, बैंगलूर सिटी (डिविजन नं० 39)

क्षेत्रफल पू० प० 40' उ० द० 20'—800 वर्ग फीट

सीमा :

पू : इमारत नं० 88

प० : IV क्रास

उ० : एस० मोहम्मद असलम को बिका हुआ भाग

द० : प्रमिला बाई की सम्पत्ति

दस्तावेज नं० 2080/ 74- 75 ता० 3- 8- 74

आर० क्रिष्णमूर्ति,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बैंगलूर

तारीख : 3-4-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, तारीख 18-4-1975

निदेश नं० सि० आर० 62/2853/74-75—यत: मुझे, आर० क्रिष्णमूर्ति आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० 5/17 (पुराना नं० 91 डङ्गिगुनटा) मिलटन स्ट्रीट, कूक टौन, बेंगलूर-5 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर, बंगलूर दस्तावेज नं० 1540/74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-8-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

20—76GI/75

(1) दी मद्रास डैसन ट्रस्ट असोसिएशन द्वारा जे० मुलिन्स, मद्रास (अन्तरक)

(2) श्री एस० वेट्टुथ, जे० पी० वेट्टुथ और एलिजबथ ईपेन, 8, हेन्स रोड, क्रास, बेंगलूर-25

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परि-भाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रिक्त भूमि नं० 5/17 (पुराना नं० 91, डङ्गिगुनटे), मिलटन स्ट्रीट, कूक टौन, बेंगलूर-5
क्षेत्रफल 12340 वर्गफीट
दस्तावेज नं० 1540/74-75 ता० 8-8-74

आर० क्रिष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख: 18-4-75
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की **धारा 269-घ** (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 14-4-75

निदेश न० सि० आर 62/ 2856/ 74-75— यत: मुझे, आर० क्रिष्णमूर्ति

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और

जिसकी स० सर्वे नं० 8/2 बी है, जो मादनाथकनहल्ली, दासनापुरा होब्ली, 1 एकड़ 37 गुनटे नेलमनगला तालुक बैंगलूर जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नेलमनगला दस्तावेज नं 1799/74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-8-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269- घ की उपधारा (1) के अधीन, 'निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री धन राज सपुत्र फतेहचन्द बोलाराम, हैदराबाद ए पी (अन्तरक)

(2) श्री इकबाल सिन्ग खीर सपुत्र जसवन्त सिन्ग खीर, 206, काजी सैयद स्ट्रीट, बम्बई-3 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे न० 7/3 बी और 8/3 बी, मादनाथ कनहल्ली दासनापुरा होब्ली, नेलमन्गला तालुक, बैंगलूर जिला, 1 एकड़ 37 गुनटे ।

दस्तावेज न० 1799/74-75 ता० 3-8-1974

सीमा :

पूर्व : गिरियप्पा की जमीन

पश्चिम : रोड

उत्तर : जमीन सर्वे नं 8/2 बी और 7/3 बी-श्रीमती अम्रित खीर को बेची गयी

दक्षिण : मैसूर स्पन सिमेन्ट कानक्रीट पैप फ्याकटरी

आर० क्रिष्णमूर्ति,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बैंगलूर

तारीख : 14-4-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 14-4-75

निदेश सं० सर्वे नं० 62/2857/74-75—यतः मुझे, आर० क्रिष्णमूर्ति आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 8/2 बी और 7/3 बी है, जो मादनायकनहल्ली, दासनापुर होब्ली नलमनगल्ला तालुक, बैंगलूर जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नेलमनगल्ला दस्तावेज नं० 1800/74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-8-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री धनराज सपुत्र फतेहचन्द बोलाराम, हैदराबाद ए० पी० (अन्तरक)

(2) श्रीमती अम्रित कौर खीर 206, काजी सैयद स्ट्रीट, बम्बई-3 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं 8/2 बी और 7/3 बी, मादनायकनहल्ली दासनापुर होब्ली, नलमनगला तालुक, बैंगलूर जिला। 1 एकड़ 37 गुनटे

पूर्व : गोविनदप्पा की जमीन

पश्चिम : रोड

उत्तर : हनुमनतय्या अश्वथय्या आदि की जमीन

दक्षिण : जमीन सर्वे नं० 8/2 बी और 7/3 बी का एक भाग जो इकबाल सिन्ग खीर को बेचा गया।

दस्तावेज नं० 1800/74-75 ता० 3-8-74

आर० क्रिष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बैंगलूर

तारीख : 14-4-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 5-4-1975

निदेश स० सि० आर० 62/ 2898 / 74-75— यत: मुझे, आर० क्रिष्णमूर्ति आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रिक्त भूमि न० 54, जो II मैन रोड, हनुमन्तापुरा, लक्ष्मीपुरम बैंगलूर -21 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्रीरामपुरम, बैंगलूर दस्तावेज न० 2061 / 74-75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1909 का 16) के अधीन, तारीख 28-8-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) (1) श्री के० वासुदेव (2) श्रीमती गौरम्मा (3) के० द्वारकनाथ, 1302 श्रीरामपुरम, बैंगलूर-21 (अन्तरक)

(2) श्री सी० अरुनाचलम भागीदार सन् रेंज इनडसट्रियलस, 5 मैन रोड, श्रीरामपुरम, बैंगलूर-21 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रिक्त भूमि न० 54, II मैन रोड, हनुमन्तपुरा श्रीरामपुरम, बैंगलूर -21

क्षेत्रफल $\frac{190'+120'}{2} \times \frac{394'+305'}{2} = 54172$ वर्गफीट

दस्तावेज नं० 2061/74-75 तारीख 28-8-74

आर० क्रिष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बैंगलूर

तारीख 5-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बैंगलूर

बैंगलूर, दिनांक 9 अप्रैल 1975

निदेश सं० सि० आर० 62/ 2947/ 74-75— यतः मुझे, आर० क्रिष्णमूर्ति, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सैट नं० 56/43 है, जो पुराना नं० 10 आर० 52 लाल बाग रोड, बैंगलूर-27 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवनगुडि, बैंगलूर दस्तावेज नं० 2550 / 74-75 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2- 9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री एस० सत्यनारायण (2) एम० राघवेन्द्र 56/42 , लाल बाग रोड, बैंगलूर-27 (अन्तरक)

(2) श्री वै० रामचन्द्र नायडु सपुत्र एल्लाप्पा नायडु 86, सैट एण्ड रोड, बसवनगुडि, बैंगलूर-4 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

रिक्त भूमि नं० 56/43 (पुराना नं० 10 और 52) (एक भाग) लालबाग रोड, बैंगलूर-27

क्षेत्रफल पू० प० 60' उ० द० 50' = 3000 वर्ग फीट

सीमा

पू: नं० 56/43 का बचा भाग

प०: लालबाग रोड

उ०: एम० ए० हाक की सम्पत्ति नं० 44/8

द०: 56/43 का बचा भाग

दस्तावेज नं० 2550 / 74-75 ता० 2-9-74

आर० क्रिष्णमूर्ति,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बैंगलूर

तारीख : 9-4-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बैंगलूर

बैंगलूर, दिनांक 9 अप्रैल 1975

निदेश सं० सि० आर० 62/3166/74-75— यतः, मुझे, आर० क्रिष्णमूर्ति आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रिक्त भूमि नं० 56/43 (पुराना नं० 10 और 52) है, जो लालबाग रोड, बैंगलूर-27 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवनगुडि, बैंगलूर-4 दस्तावेज नं० 2977/74-75 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-10-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. एम० सत्यनारायण, (2.) एम० राघवेन्द्र 56/42, लालबाग रोड, बैंगलूर-27 (अन्तरक)

(2) वै० रामचन्द्र नायडु, 86, सैंट एण्ड रोड, बसवनगुडि, बैंगलूर-4 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रिक्त भूमि नं० 56/43 (एक भाग) पुराना नं० 10 और 52) लालबाग रोड, बैंगलूर-27
क्षेत्रफल पू० प० 42½ उ० द० 50' 2156 वर्गफीट
सीमा :
पू : नं० 56/43 का बचा भाग
प० : अन्तरिती का बिका हुआ भाग
उ० : एम० ए० हक की सम्पत्ति नं० 44/8
द० : 56/43 का बचा हुआ भाग
दस्तावेज नं० 2977/74-75 ता० 4-10-1974

आर० क्रिष्णमूर्ति,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बैंगलूर

तारीख : 9-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बैंगलूर का

ता० 11 अप्रैल 1975

निदेश सं० सि० आर० 62/3114/ 74-75—यतः, मुझे, आर० क्रिष्णमूर्ति

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 8 है, जो गनगानडनहल्ली, एशवन्तपुर होब्ली बैंगलूर नार्त तालुका (4 एकर) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बैंगलूर नार्त तालुका दस्तावेज नं० 3525 / 74-75 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 18-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए सुकर बनाना ;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

(1) श्री एस० एम० रामक्रिष्णराव मुख्तारनामी सज्जन आर० राव 'लक्ष्मी निवास' फोर्ट, बैंगलूर सिटी (अन्तरक)

(2) श्री मुनियप्पा उर्फ अप्पण्णा सपुत्र लेट होड्डे गौडा अट्टिकुप्पा, मैसूर रोड, बैंगलूर सिटी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं० 8, गनगानडनहल्ली गाँव, एशवन्तपुर होब्ली, बैंगलूर नार्त तालुक।

पूर्व : डा० वस्तूर की सम्पत्ति और रोड को छोड़ी गई जमीन

पश्चिम : जमीन सर्वे नं० 8 का एक भाग

उत्तर : रोड और जमीन सर्वे नं० 8

दक्षिण : जमीन सर्वे नं० 8

दस्तावेज नं० 3525 / 74-75 ता० 19-8-1974

आर० क्रिष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बैंगलूर

तारीख : 11-4-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बैंगलूर

बैंगलूर, दिनांक 11 अप्रैल 1975

निदेश नं० सी० आर० 62/ 3115/ 74- 75–; यत: मुझे, आर० क्रिष्णमूर्ति आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जमीन सर्वे नं० 8 है, जो गनगानडनहल्ली गांव, यशवन्तपुर होब्ली बैंगलूर में नार्थ तालुक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बैंगलूर नार्थ तालुक दस्तावेज नं० 3526/74-75 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-9-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था छिपाने में सुविधा के लिए,

अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:-

(1) श्री एस० एम० रामक्रिष्णराव मुख्यतारनामी, सज्जन आर० राव, लक्ष्मी निवास, फोर्ट, बैंगलूर सिटी (अन्तरक)

(2) श्री मुनिबैरप्पा उर्फ पापन्ना सपुत्र मुनियप्पा उर्फ अप्पन्ना, अत्तिकुप्पे, मैसूर रोड, बैंगलूर सिटी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं० 8, गनगानडनहल्ली, यशवन्तपुर होब्ली बैंगलूर नार्थ तालुक। (चार एकड़)

सीमा :

पूर्व : अप्पन्ना को बिका हुआ भाग

पश्चिम : जमीन सर्वे नं० 8

उत्तर : रोड सर्वे नं० 8 और केमपापुर अग्रहारा

दक्षिण: सर्वे नं० 10, गनगानडन हल्ली

दस्तावेज नं० 3526/74-75 तारीख 18-9-74

आर० क्रिष्णमूर्ति,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बैंगलूर

तारीख : 11-4-1975

मोहर :

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE JOINT CHIEF COTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

Madras-1, the 31st March 1975

ORDER OF CANCELLATION

Sub: Cancellation of Customs copy of Import licence No. P/E/0210018/c/ xx/48/M/37.38 dated 5-7-73 issued to M/S. Photo Emporium, Madras.2.

No. ITC/Dup. Copy/9/AM/75/EI/797.—M/S Photo, Emporium, No. 11, Mount Road, Madras 2, were granted a licence No. P/E/0210018/c/xx/48/M/37.38 dated 5-7-73 for Rs. 1250/- (Rupees one thousand two hudred and fifty only) by this office for import of Hearing Aid batteries S. No. 46 A (c)/II for the period of April 73-March 74.

The firm have now applied for grant of duplicate copy of the Customs copy of the above licence on the ground that the original has been misplaced by the Customs authorities and is not traceable. In support of their contention they have produced a letter of the Asst. Collector of Customs, Postar Appraising department, Madras-1.

I am satisfied that the orginal copy of the Customs copy of the licence has been misplaced and I directed that a duplicate copy of the Customs copy of the licence should be issued to the applicant firm. The original of the Customs copy of the licence is hereby cancelled to the extent of its full value (i.e. Rs. 1250/-)

This is reported for your information.

M. F. R. BIJILI
Deputy Chief Controller of Imports and Exports
for Jt. Chief Controller of Imports and Exports.

MINISTRIES OF SUPPLY & REH. AND FOOD & AGRICULTURE

OFFICE OF THE CHIEF PAY & ACCOUNTS OFFICER

New Delhi, the 5th April 1975

No. Admn(CDN)/5.—On attaining the age of superannuation, Shri S. D. Gupta an officiating Pay & Accounts Officer in the Office of the Chief Pay & Accounts Officer, Department of Rehabilitation, New Delhi retired from service with effect from the Afternoon of 31-3-75.

P. P. GANGADHARAN
Chief Pay & Accounts Officer

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

DEPARTMENT OF SUPPLY

New Delhi, the 29th March 1975

No. A-17011(38)/72-A.6.—Shri R. K. Misra, permanent Examiner of Stores and officiating Assistant Inspecting Officer (Tex.) in the N.I. Circle of Dte General of Supplies & Disposals retired from Govt. service with effect from 28-2-75 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

The 9th April 1975

No. A-17011/1/71-A.6.—The Director General of Supplies & Disposals hereby appoints Shri R. M. Roy Chowdhury, Examiner of stores (Textiles) in N.I. circle to officiate as Assistant Inspecting Officer (Textiles) in the office of Director of Inspection N.I. Circle, New Delhi with effect from the forenoon of the 25-3-75 until further orders.

The 10th April 1975

No. A-17011/87/75-A.6.—The Director General of Supplies & Disposals has appointed Shri P.M.R. Namboodiri, Assistant Director (Progress) (Grade II) in the DS&D Bombay, to officiate as Asstt. Inspecting Officer (Engg.) in the Calcutta Inspection Circle with effect from the forenoon of the 1-3-75. until further orders.

Shri Namboodiri, relinquished the charge of the post of Assistant Director of Progress (Grade II) in the DS&D, Bombay, on the forenoon of 1-2-75 and assumed charge of the post of Assistant Inspecting Officer (Engg.) in the Calcatta Inspection Circle on 1-3-75 (F.N.).

K. L. KOHLI
Deputy Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF STEEL AND MINES

DEPARTMENT OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 24th March 1975

No. A 19011 (38)/70-Estt.A.—On the expiry of the deputation period with the Afghanistan Government, Shri B. C. Mishra has reverted back to the Indian Bureau of Mines and assumed charge of the post of Deputy Controller of Mines with effect from the forenoon of 24th February, 1975.

The 5th April 1975

No. A 19011 (30)/75-Estt. A.—On his deputation to the Pyrites, Phosphates & Chemicals Limited. as Ore Dressing Engineer, Shri D V. Kulkarni, permanent Deputy Ore Dressing Officer, India Bureau of Mines has relinquished the charge of the post of Deputy Ore Dressing Officer with effect from the afternoon of 31-3-1975.

A. K. RAGHAVACHARY
Sr. Administrative Officer
for Controller

Nagpur, the 14th January 1975

No. T-31013/3/CBM/72—For general information of the mineowners in India, I hereby notify the respective Territorial Jurisdictions of Regional and Sub-regional offices of Indian Bureau of Mines, as follows :—

I. *Calcutta Region* :

Address : Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, P-21, Mission Row Extension, Calcutta-13 (Telephone No. 235440).

State	*District*
Manipur	All districts
Mizoram	,,
Tripura	,,
Meghalaya	,,
Nagaland	,,
Arunachal Pradesh	
Assam	,,
West Bengal	,,
Orissa	,,
Bihar	Singhbhum

II. *Hazaribagh Region*

Address : Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Zulu Park, Hazaribagh, Bihar. (Telephone No. 491)

Bihar	All districts except Singhbhum.

III. *Ajmer Region*

Address : Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, 158/X, Civil Lines, Ajmer, Rajasthan. (Telephone No. 21074 & 20639)

Rajasthan	All districts except Udaipur, Chittorgarh, Dungarpur and Banswara districts.

IV. *Nagpur Region*

Address : Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, "Pushparaj", Ravi Shankar Road, Civil Lines, Nagpur-440001, Maharashtra. (Telephone No. 26496).

Madhya Pradesh	Bastar	Raipur	Raigarh
	Surguja	Bilaspur	Durg
	Balaghat	Seoni	Betul
	Chhindwara	Hoshangabad	Raisen
	Vidisha	Bhopal	Rajgarh
	Shahjapur	Mandasor	Ratlam
	Ujjain	Jhabua	Dhar
	Indore	Dewas	Khandwa
	Khargaon		
Maharashtra	Rajura	Chandrapur	Bhandara
	Nagpur	Wardha	Yavatmal
	Amravati	Akola	Parbhani
	Buldana	Jalgaon	Aurangabad
	Bir	Ahmednagar	Dhule
	Thana	Kolaba	Nasik

V. *Hyderabad Region*

Address : Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, 3-6-170, Hyderguda, P. O. Himayat Nagar, Hyderabad-500029. (Telephone No. 37004).

Andhra Pradesh	All districts except Nellore, Cuddapah and Chittor districts.		
Maharashtra	Nanded	Osmanabad	
Karnataka	Bidar	Gulbarga	Raichur

VI. *Goa Region*

Address : Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Fatima Building, Bernardo Da Costa Road, Margao, Goa. (Telephone No. 2559).

Goa	All districts		
Maharashtra	Ratnagiri	Kolhapur	Sangli
	Sholapur	Satara	Pune
Karnataka	North Kanara	Dharwar	
	Belgaum	Bijapur	

VII. *Bangalore Region*

Address : Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, 17, Kumara Park East, Vimala Prabha, Bangalore-560001 (Telephone No. 26176).

Karnataka	Bellary	Chitradurga	Shimoga
	South Kanara	Chikmagalur	Tumkur
	Hassan	Coorg	Mysore
	Bangalore	Mandya	Kolar

State	*District*
Tamil Nadu	All districts.
Kerala	All districts.

VIII. *Udaipur Sub-Region*

Address : Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, 10, Polo Ground, New Fatehpura, Udaipur, Rajasthan.

Rajasthan	Udaipur	Chittorgarh	Dungarpur
	Banswara		
Gujarat	All districts.		

IX. *Dehra Dun Sub-Region*

Address : Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, H. No. 17-D, Race Course, Dehra Dun, U.P.

Jammu Kashmir . . .	All districts
Himachal Pradesh . . .	-do-
Punjab	-do-
Haryana	-do-
Delhi	Delhi
Uttar Pradesh	All districts except Jhansi, Hamirpur, Banda, Allahabad and Mirzapur districts.

X. *Nellore Sub-Region*

Address : Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, 19/543, Janda Street, Nellore-524001, A.P.

Andhra Pradesh	Nellore	Cuddapah	Chittoor

XI. *Jabalpur Sub-Region*

Address : Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, 735, Napier, Town, Jabalpur, M.P. (Telephone No. 3599).

Madhya Pradesh	Mandla	Shahdol	Sidhi
	Rewa	Satna	Jabalpur
	Narsimhapur	Damoh	Panna
	Chhatarpur	Tikamgarh	Sagar
	Guna	Shivpuri	Datia
	Bhind	Norena	Gwalior
Uttar Pradesh	Jhansi	Hamirpur	Banda
	Allahabad	Mirzapur	

These orders shall come into force with immediate effect.

ORDER

1. Ordered that these Territorial Jurisdictions of the Regional/Sub-Regional Offices of the Indian Bureau of Mines be published in the Gazette of India for general information of the Mineowners.
2. Ordered also that a copy of the Territorial Jurisdiction of the Regional and Sub-Regional offices of the Indian Bureau of Mines be communicated to all mineowners under the jurisdiction of the this Department.

D. N. BHARGAVA,
Controller,
Indian Bureau of Mines

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-13, the 4th February 1975

No. 2222 (ABS)/19A.—Shri Ajai Behari Srivastava is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740— 35—810— EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 7-1-1975, until further orders.

The 2nd April 1975

No. 2222 (TPU)/19A.—Dr. Tarakeshwar Prasad Upadhaya is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 9-12-1974, until further orders.

No. 2222 (PK)/19A.—Shri Prem Kumar is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650 per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 31-1-1975, until further orders.

No. 2222 (AKS)/19A.—Shri Ashok Kumar Sood is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650 per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 27-1-1975, until further orders.

The 3rd April 1975

No. 2222 (BD)/19A.—Shri Bhabesh Datta is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650 per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 1-2-1975, until further orders.

The 7th April 1975

No. 2251(GPS)/19B.—Shri G. P. Shah received charge of the post of Driller in the Geological Survey of India on reversion from the Mineral Exploration Corporation Ltd., in the same capacity from the forenoon of the 11th November, 1974.

The 10th April 1975

No. 2222 (GS)/19A.—Shri Goutam Sarkar is appointed as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650 per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 19-2-1975, until further orders.

C. KARUNAKARAN
Director General

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

INDIAN MUSEUM

Calcutta-13, the 25th February 1975

No. 4-102/74-Estt.—The Director, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri Nishtala Venkata Kameswara Rao to a post of Assistant Anthropologist (Cultural) at South India Station of this Survey, Mysore, on a temporary basis, with effect from the forenoon of 12th February, 1975, until further orders.

C. T. THOMAS
Senior Administrative Officer.

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY NATIONAL ATLAS ORGANISATION

Calcutta-19, the 9th April 1975

No. 29-12/75/Estt.—In continuation of Notification No. 29-12/72/Estt. Dt. 27-1-75 the appointment of Shri S. K. Biswas as a Scientific Officer in the National Atlas Organisation on a purely temporary and *ad hoc* basis, is extended with effect from 16th April, 1975 for a further period not exceeding 3 months.

S. P. DAS GUPTA
Director

DEPARTMENT OF EXPLOSIVES

Nagpur, the 9th April 1975

No. E. 11(7).—In this Department's Notification No. E. 11(7) dated the 11th July, 1969, under Class 2—NITRATE MIXTURE,

(i) in the entry "PRM-12", for the figures "1975" the figures "1976" shall be substituted; and

(ii) for the words and figures "PRM-12 and PRM-21" the words and figures "PERMAFLO-1 and PERMAFLO-3" shall be substituted.

I. N. MURTY
Chief Controller of Explosives

DIRECTORATE GENERAL: ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 7th April 1975

No. A-3314/8/70-SVI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri R. D. Misra, Assistant Station Engineer, High Power Transmitter, All India Radio, Kingsway, Delhi in a quasi-permanent capacity in the post of Assistant Engineer with effect from 13-8-1968.

SHANTI LAL
Deputy Director of Administration
for Director General.

(Civil Construction Wing)

New Delhi-1, the 5th April 1975

No. A-12023/2/74-CW.I/16-19—The Director General, All India Radio is pleased to appoint the following persons as Assistant Engineer (Civil), in the Civil Construction Wing of All India Radio, in an officiating capacity, until further orders, with effect from the date shown against each:—

S. No.	Name	Date from which appointed	Office where posted
1.	Shri R. Krishnaswamy	18/3/75 (FN)	Sub-Divl. Office (Civil), C.C.W. A.I.R. Jullundur.
2.	Shri V. Radhakrishnan	10/3/75 (FN)	Sub-Divl. Office (Civil), CCW/AIR, Patna.

K.G. KRISHNAMURTHY,
Engineer Officer to C.E. (Civil),
for Director General

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

DIRECTORATE OF FILM FESTIVALS

New Delhi-11, the 5th March 1975

PUBLIC NOTICE

NATIONAL AWARDS FOR FILMS

No. 1/2/75-FFD-I.—In pursuance of rules 3 and 6 of the Rules concerning National Awards for Films Notified in the Resolution of the Government of India Directorate of Film Festivals, Ministry of Information and Broadcasting, No. 1/2/75-FFD dated the 5th March, 1975 entries for the National Awards for Films are hereby invited in respect of the following categories of Indian films certified for public exhibition during the calendar year 1974 :—

I. *FILMS AS ART*

1. Best Feature Film of the year.
2. Best Feature Film on National Integration.
3. Best Children's Film of the year.

II. *FILMS AS COMMUNICATION*

4. Best Information Film (documentary).
5. Best Educational/Instructional Film.
6. Best Social Documentation Film (dealing with an objective analysis and presentation of a contemporary social problem).
7. Best Commercial Promotional Film (Advertisement)
8. Best Promotional Film (Non-commercial).

III. *SPECIAL SHORT FILMS CATEGORY*

9. Best Experimental Film.
10. Best Animation Film.

2. The entries in respect of feature films as mentioned above as well as in other categories may be made by the producer(s) or any other person(s) duly authorised by him (them) in this behalf, upto 5th April, 1975. The entries should be made in duplicate in the form prescribed in the schedule annexed to the Rules referred to above. The entry forms in respect of feature films and short films shall be accompanied by a treasury chalan of Rs. 100 in the case of films exceeding 1000 metres in length in 35 mm and 400 metres in 16 mm and of Rs. 50 in the case of films shorter in length than the above mentioned limit respectively. The above amount should be credited to Central Government Account under the Major Head "L. II-Miscellaneous". "085 Information and Publicity—Receipts from Films."

3. Entries in respect of the various categories of films should be addressed to the Director, Directorate of Film Festivals, Ministry of Information and Broadcasting, Vigyan Bhavan Annexe (Room No. 392), New Delhi.

The prints will be delivered at such place as and when advised by the Directorate of Film Festivals.

4. All entries will be accompanied by 50 copies each of the synopsis complete with cast together with 5 copies of the script in the language of the film, together with 5 copies of English or Hindi rendering thereof; and 30 copies of the songs, if any, in the language of film, together with their 30 copies of free translation in English or Hindi and 6 stills with the relevant publicity material in addition to the print at the cost of the entrant. The print should be sent duly addressed to the Technical Officer, Films Division Auditorium, No. 1, Mahadev Road, New Delhi and should reach here latest by 19th April, 1975.

5. Copies of Rules for National Film Awards and Entry Forms can be had from the following :—

1. Directorate of Film Festivals,
   Ministry of Information & Broadcasting,
   Room No. 392, Vigyan Bhavan Annexe, New Delhi.
2. The Regional Officer,
   Central Board of Film Censors,
   91-Walkeshwar Road, Bombay-6.
3. The Regional Officer,
   Central Board of Film Censors,
   35-Haddows Road, Nungambakkam, Madras-6.
4. The Regional Officer,
   Central Board of Film Censors,
   8, Esplanade East, 3rd Floor, Calcutta-1.

6. The maximum length of a children's film for the purpose of entry for the award shall be 3,400 metres in 35 mm or 1,360 metres in 16 mm. The maximum length of a film to be entered under the broad cotegories "Film as Communication" and "Special Short Films Category" shall be 1000 metres in 35 mm or 400 metres in 16 mm except in the case of Information Film (Documentary). A film entered as a children's film will not be eligible for entry as a feature film or vice-versa.

RESOLUTION

No. 1/2/75-FFD.—The following Rules are notified for regulating the National Awards for Films for 1974 : —

1. These Rules shall be called Rules for the National Awards for Films, 1974.

2. The object of these awards is to encourage the production of films of high aesthetic and technical standard and of social, education and cultural values.

3. The following categories of awards will be available under these rules.

(a) FILMS AS ART

(i) *Award for the National Best Feature Film.*—President's Gold Medal for the National best feature film of the year and a cash prize of Rs. 40,000/- to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 15,000/- to the Director.

(ii) *Award for the second National Best Feature Films*—Silver Medal and a cash prize of Rs. 15,000/- to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000-/ to the Director.

(iii) *Special Award for the Best Feature Film on National Integration.*—Silver Medal and a Cash prize of Rs. 30,000/- to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director.

(iv) *Special Award for Feature Film with mass appeal, wholesome entertainment and aesthetic value.*—A Gold Medal to the producer and a Silver Medal to the Director.

(v) *Award for the Best Feature Film in each regional language.*—Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the director of the best feature film in each language viz.,

Hindi (including Urdu, Hindustani and connected dialects like Bhojpuri, Rajasthani and Maithili); Marathi (including Konkani); Gujarati; Punjabi; Kashmiri; Sindhi and English.

—Bengali, Assamese, Oriya and Manipuri.

—Tamil, Telugu, Kanada and Malayalam.

(b) *Award for Excellence in Direction.*—Silver Medal and a cash prize of Rs. 20.000/- to the best director of the year.

(c) *Award for Excellence in Cinematography (Black and White).*—Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the best Cameraman of a black & white film.

(d) *Award for Excellence in Cinematography (Colour).*—Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the best Cameraman of a colour film.

(e) *Best Actor of the Year Award.*—"BHARAT AWARD" in the form of a figurine to the best actor.

(f) *Best Actress of the Year Award.*—"URVASHI AWARD" in the form of a figurine to the best actress.

(g) *Best Child Actor/Actress of the Year Award.*—Silver Medal to the best child actor or actress who is not more than 16 years in age.

(h) *Best Male-Play-Back Singer of the Year Award.*—Silver Medal to the best male play-back singer.

(i) *Best Female Play-Back Singer of the Year Award.*—Silver Medal to the best female play-back singer.

(j) *Best Music Director of the Year Award.—(An award to recognise Originality of Score).*—Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the best music director.

(k) *Best Screenplay of the year Award.*—Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the best script writer.

(l) *Best Story of the Year Award.*—Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the best story writer.

(m) *Best Lyric of the Year Award.*—Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the author of the best film song on the theme of national integration.

(n) *Best Children's Film of the Year Award* :—Gold Medal and a cash prize of Rs. 15,000/- to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the director.

II *Film as Communication*

(a) *Best Information Film (Documentary).*—Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 4,000/- to the director.

(b) *Best Educational/Instructional Film.*—Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 4,000/- to the director.

(c) *Best Social Documentation Film*.—(Dealing with an objective analysis and presentation of a contemporary social problem) Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 4,000/- to the director.

(d) *Best Commercial Promotional Film (Advertisement)*.—A Silver Medal each to the producer and the director.

(e) *Best Promotional Film (Non-Commercial*.—For the best promotional film on Subjects of national importance e.g. National Integration, social justice, co-operation; savings; Dynamics of Development including agricultural practices, etc.)

A Silver Medal each to the producer and the director.

III—*Special Short Films Category*

(a) *Best Experimental Film*.—Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000/ to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 4,000/- to the director.

(b) *Best Animation Film*.—Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 4,000/- to the director.

IV—*Dadasaheb Phalke Award*

(Special award for outstanding contribution to the cause of Indian cinema).

Gold Medal, a cash prize of Rs. 20,000/- and a shawl.

Explanation

The term, 'Producer', 'director', 'cameraman', "actor", 'actress', 'child actor/actress', 'play-back singer', 'music director', 'screen-play writer'/'script writer', 'story writer', and 'lyric writer' used in these rules will be construed as referring to the 'producer', director', 'Cameraman', 'actor', 'actress', 'child actor/actress', 'play-back-singer', 'music director', 'screen-play writer'/'script writer', 'story writer' and 'lyric writer', as the case may be, as given in the credit titles of the film entered in the competition duly certified by the Central Board of Film Censors.

4. (a) No award will be given to the producer or director of a film in a category for which the number of entries received is less than two.

(b) Government may, at its discretion, give the cash prize in the form of National Savings Certificate or any other similar certificate issued by the Government of India.

(c) The producer of a feature film produced in a language other than Hindi which wins an award under category 1(a) of Rule 3 will be granted by the Central Government an additional sum of Rs. 3,000/- on his getting that film sub-titled in Hindi.

5. All Indian films certified for public exhibition by the Central Board of Film Censors in the preceeding calendar year will be eligible for entry. A declaration to that effect shall be made by the producer or any other duly authorised person is the form contained in the Schedule hereto annexed.

A film will be entered for awards only in one of the categories mentioned under Rule 3 viz., best feature film, the best national integration film, the best social documentation film, the best children's film, the best information film, the best educational/Instructional film, the best promotional film, the best experimental film and the best animation film.

6. (a) Entries for the awards will be invited every year by a date to be specified by the Central Government in a notification to be published in the Gazette of India.

(b) Every application for entry shall be made on the form contained in the Schedule to these Rules and be accompanied by an entry fee Rs. 100/- in the case of films exceeding 1000 metres in length in 35 mm and 400 metres in 16mm and Rs. 50/- in the case of films shorter in length than the above mentioned limit. This fee shall not be refundable.

(c) Each entrant will submit, at his cost, to the Director, Directorate of Film Festivals, Ministry of Information and Broadcasting, Vigyan Bhavan Annexe, Room No. 392, New Delhi or to any other authority as may be specified :—

(i) a print of the film as certified by the Central Board of Film Censors at the time and place indicated by such Regional Officer or authority;

(ii) 50 copies each of the synopsis and 5 copies of the script in the language of the film together with 5 copies of English or Hindi rendering thereof; and 30 copies of the songs, if any, in the language of the film, together with their 50 copies of free translation in English or Hindi and 6 stills with the relevant publicity material.

(d) The decision of the Government of India whether a film is eligible to be entered for the awards and whether any film is a feature film, national integration film, children's film, information film, educational/instructional film, experimental film social documentation film, promotional film, animation film for the purpose of entry for the awards, will be final.

(e) A film which is dubbed version, retake or an adaptation of a film, which has already been entered into a State/national film Award Competition, instituted by the Central Government will not be eligible for consideration for award in any of the categories under Rule 3.1 (a) (i) to (iv); 3.1 (k), (l) and (n) but would be eligible for award under categories pertaining to excellence in direction, cinematography, acting, play-black singing music direction and lyrics i.e., 3.1 (b) to (j) and (m).

(f) Only one of the versions of a film, which is made in several languages, can be entered for award.

(g) The maximum length of a children's film for the purpose of entry for the award shall be 3,400 metres in 35mm or 1,360 metres in 16 mm. The maximum length of a film to be entered under categories II and III of Rule 3 shall be 1000 metres in 35 mm and or 400 metres in 16 mm except in the case of information film (documentary).

(h) The last date of entry may be relaxed at the discretion of the Government of India in exceptional cases.

(i) No film which has not been entered for the National Awards will be considered eligible for these awards.

7. All transport costs on the consignment and return of the film and publicity material will be payable by the entrant.

(8) All films will be submitted at the owner's risk and while the Government will take every reasonable care of the film submitted, it cannot accept responsibility for any loss or damage to the film while in its possession.

9. The awards will be decided by the Government on the recommendations of the National Jury for Feature Films and the National Jury for Short Films appointed by the Government. These Juries was make their recommendations to the Government.

10. The composition of the National Jury for Feature Film will be as follows :—

(a) A Chairman nominated by the Government; and

(b) not more than 24 persons, distinguished in the field of arts and humanities including film and qualified to judge the thematic and artistic merits of films including presentation, direction and technical values, nominated by the Government.

11. A panel of not more than 3 persons shall be constituted by the Chairman out of the members of the National Jury for Feature Films to examine films in each language. No separate panel shall, however, be constituted for a particular language if the number of entries in that language is less than three. The film(s), in that event, shall be grouped with another language of the region concerned having greater affinity with that language.

12. Each panel will recommend to the aforesaid National Jury for Feature Films not more than three films considered suitable for awards without indicating order of merit. If, however, in the opinion of the panel a particular film excells over other films examined by it meriting consideration of awards meant for individual achievements under Rule 3.1 (b) to (m), the particular category in that event may be specified along with the title of the film.

13. A special panel of not more than five members out of the members nominated on the aforesaid National Jury for Feature Films will be constituted by the Chairman for examination of films entered for Children's Film Award under Rule 3.I (n) and recommend to the aforesaid National Jury not more than three films, without indicating order of merit.

14. The National Jury for Feature Films will thereafter view all the films recommended by the various language panel and the panel for the Children's films and recommend films for various categories of awards under Rule 3.I.

15. NATIONAL JURY FOR SHORT FILMS :

The National Jury for Short Films consisting of 5 members, including the Chairman, will be bonstituted by the Government for examination of entries under the categories of information films (documentary), educational/ instructional films, social documentation films, promotional films, (commercial and non-commercial), experimental and animation films. The Jury shall make its recommendation to the Government direct.

16. Notwithstanding anything contained in rules 10 and 15 of these Rules, the Government may nominated on any of the two National Juries such number of additional members not exceeding 5 as may be considered necessary to ensure adequate representation of members, knowing each language in which films are adjudged or having specialised background.

17. Both the National Juries may determine their own procedure for the examination of films.

18. The quorum of the two National Juries shall not be less than half of the number of members nominated or presented voting.

19. The members of the two National Juries in addition to the travelling and daily allowance as admissible under the rules, shall also be entitled to receive consultancy fee @ Rs. 50/- per day for attending the meetings/previews of films in connection with the National Films Award competition.

20. The Award for outstanding contribution to the cause of Indian Cinema under rule 3, IV of these Rules shall be decided by Government of India whose decision in the matter shall be final.

21. Nothing contained herein shall be construed as restricting the discretion of the National Jury for Feature Films and the National Jury for Short Films making a recommendation that none of the films in a particular language or category or that none of the Screen-play Writer, Story Writer, Director, Cameraman, Actor, Actress, Child Actor, Play-back Singer, Music Director and Lyric Writer of the feature films examined by them is of a standard adequate for an award.

22. Government shall be entitled to retain one print of the film entered for the Awards and which receives an award. The cost of the print viz. the cost of raw material and processing charges, will be reimbursed to the producer, reimbursement being made only if a brand new print is made available.

23. If a person winning an Award for Excellence in Direction also happens to be the director of a film winning award for the National Best Feature film or the Second best feature film or the Best Feature film on National Integration as also for the Regional Awards, he will receive award only in one capacity, carrying a higher cash prize.

24. If the producer and the director of an award-winning film happens to be the same person and eligible for award in both capacities, he will be given an Award either as a producer or a director and not both.

25. The producer of the film entered for the Award shall have no objection to the screening of the film for the National Juries or for any of their panels, in public shows or for any other special screening that the Government may organise. The proceeds, if any, shall be credited to the Government revenues.

26. The members of both the National Juries shall treat the deliberations and recommendations of the Jury as confidential.

27. Canvassing in any form in respect of an entry will render that entry liable to be disqualified. Any member of the two National Juries found canvassing for a particular film is liable to be disqualified for membership of the Jury.

28. The decisions of the Government of India in respect of the Awards and of interpretation of these rules shall be final and no appeal shall lie against them.

29. The Awards will be made annually at a function for the presentation of the Awards which will be held at such place and on such dates as Government may determine.

30. A person who participates in the National Awards for Films under these Rules shall be deemed to have accepted these Rules.

SCHEDULE TO THE NATIONAL AWARDS FOR FILMS RULES

To

The Director,
Directorate of Films Festivals,
Vigyan Bhavan Annexe (Room No. 392),
Maulana Azad Road, NEW DELHI-11.

ENTRY FORM FOR NATIONAL AWARDS FOR FILMS

1. I wish to enter the follwing film for the National Awards for Films for the year 1974:—

(*i*) Title of the film . . . . ________

(*ii*) *Classification* :
Feature/Children's/documentary/Educational/Instructional/Social documentation/Promotional (Advertisement/Promotional (non-commercial)/Experimental/ Animation film . . . . . . ________

(*iii*) Language of the film . . . . ________

(*iv*) Length, gauge and running time of the film . . . ________

(*v*) Number of reels . . . . ________

(*vi*) Black & White/Colour . . . . ________

(*vii*) Classification of the film in the Censor Certificate : whether 'A' OR 'U' . . . . ________

(*viii*) Name and full address of the Producer (with telephone number and telegraphic address, if any) . . . ____________________

(*ix*) Name and full address of the Director . . . ____________________

(*x*) Name and full adress of the story writer . . . ____________________

(*xi*) Name and full address of the screen-play writer' script writter . . . . ____________________

(*xii*) (a) Name and full address of the leading male and female artist . . . . ____________________

(b) Name and ful address of the child artist (if any) of an age not exceeding 16 years . . . . ____________________

(*xiii*) Name & full address of the play back singer :

(a) Male singer . . . . . . ____________________

(b) Female singer . . . . . . ____________________

(*xiv*) Name and full adress of the cameraman . . . ____________________

(*xiv*) Name and full address of the music director . . ____________________

(*xvi*) Name and full address of the lyric writer . . ____________________

(*xvii*) Number and date of certificate of exhibition issued by the Central Board of Film Censors . . . . ____________________

(*xviii*) Date of release . . . . ______________________

(*xix*) If the film is a dubbed version an adaptation or a retake of another film particulars of the film of which it is a dubbed version, adaptation or retake . . . ______________________

____

____

____

____

2. I have read the rules governing these awards and agree to abide by the same.

3. I declare that I have been duly authorised by the producer of the film to make this entry (to be made in case the person making) the entry is not the producer).

4. I certify that the film is not a dubbed version, a retake or an adaptation of a film which has already been entered earlier for a State/National Award and the print which is being submitted as entry is exactly in the form in which it has been certified by the Central Board of Film Censors.

5. I further certify that the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature ______________________

Address______________________

Date ______________________ ______________________

Place ______________________ ______________________

____

____

NOTE :—The information should be the same as given in the credit title of the film. The title of the film and names of producers, directors and technicians etc. should be given in English as well as in Hindi.

The 3rd April, 1975

NATIONAL AWARDS FOR FILMS

F. No. 1/8/73-FFD.—In supersession of the Public Notice of the Government of India, Ministry of Information and Broadcasting, No. F. 1/8/73-FFC, dated the 19th July, 1973 entries of films are invited for the following two special Awards instituted by the Government of India for *ONE YEAR* as a part of programme to celebrate the 25th Anniversary of India's Independence :—

AWARDS

(i) *Best Feature Film.*—Cash prize of Rs. 30,000 and a Silver Medal to the producer and a cash prize of Rs. 10,000 and a Silver Model to the director.

(ii) *Best Documentary/Short Film.*—Cash prize of Rs. 5,000 and a Silver Medal to the producer and a cash prize of Rs. 4,000 and a Silver Medal to the director.

THEMES OF FILMS FOR 25TH ANNIVERSARY AWARDS

(i) Nation's re-dedication to the achievements of the ideals instilled by the Father of the Nation and also enshrined in the Preamble to the Constitution of India and our determination to pursue the noble ideals which inspired the founding Fathers;

(ii) Homage to our freedom fighters and martyrs by depicting episodes and distinctive features of their unique struggle against a mighty foreign imperialism; thus correctly interpreting the Indian freedom struggle in the moral and idealistic environment in which it was conducted;

(iii) Unity in diversity;

(iv) National Internation and the preservation and further growth of the unity of the nation;

(v) Encouragement to the nation-builders at every level, high or low, tracing the mighty endeavour towards the forging of a new nation;

(vi) Achievements in different fields during the past 25 years highlighting the problems solved; (vii) Propagation of ideas of self-reliance and efforts to achieve self-sufficiency in various productive activities;

(viii) March towards social justice, economic prosperity and promotion of social welfare;

(ix) Achievement of the ideal of the assertion of the individuals' right to freedom in expression and action.

ELIGIBILITY

(i) The films on the themes of 25th Anniversary awards completed during 1972, 1973 or 1974 and which have been duly certified by the Central Board of Film Censors for public exhibition during any of these calendar years will be eligible for entry in the competition. *The last date for receipt of entries is April 30th, 1975.* Entries in respect of films should be addressed to the Director, Directorate of Film Festivals, Ministry of Information and Broadcasting, Vigyan Bhavan Annexe, (Room No. 392), Maulana Azad Road, New Delhi, so as to reach him on or before this date.

(ii) The films already entered for this special award in response to the Public Notice No. F. 1/8/73-FFC, dated the 19th July, 1973 will be considered to have been entered under this Public Notice and no fresh entry form will be required to be submitted in respect of such films.

PUBLICITY MATERIAL AND PRINTS

(i) The prints will be delivered at such place as and when advised by the Directorate of Film Festivals.

(ii) All entries in respect of feature films will be accompanied by 50 copies each of the synopsis complete with cast and the script in the language of the film, together with 5 copies of English or Hindi rendering thereof; 30 copies of the songs, if any, in the language of the film together with their 30 copies of free translation in English or Hindi and 6 stills with the relevant publicity material in addition to the print, at the cost of the entrant.

All entries in respect of documentary/short films will be accompanied by 5 copies each of the synopsis and the commentary text in the language of the film together with 10 copies of English or Hindi rendering thereof and 6 stills with relevant publicity material in addition to the print, at the cost of the entrant.

AVAILABILITY OF ENTRY FORMS

Entry form and other relevant information can be had from the following :—

1. Directorate of Film Festivals,
Ministry of Information and Broadcasting,
Room No 392, Vigyan Bhavan Annexe,
Maulana Azad Road, New Delhi.

2. The Regional Officer,
Central Board of Film Censors,
91-Walkeshwar Road,
Bombay-6.

3. The Regional Officer,
Central Board of Film Censors,
35 Haddows Road, Nungambakkam,
Madras-6.

4. The Regional Officer,
Central Board of Film Censors,
8 Esplanade East, 1st Floor,
Calcutta-1.

JAGAT MURARI,
DIRECTOR
DIRECTORATE OF FILMS FESTIVALS

To

The Director,
Directorate of Film Festivals,
Ministry of Information and Broadcasting,
Room No. 392, Vigyan Bhavan Annexe,
New Delhi.

ENTRY FOR SPECIAL AWARD FOR 25TH ANNIVERSARY OF INDIA'S INDEPENDENCE

I wish to enter the following film for the special award instituted to celebrate the 25th Anniversary of Independence in terms of Ministry of Information and Broadcasting Public Notice No. 1/8/73-FFD, dated the 3rd April, 1975.

(i) Title of film :

(ii) Theme :

(iii) Language of the film :

(iv) Length, gauge and running time of the film .

(v) Number of reels :

(vi) Black & White/Colour :

(vii) Classification of the Film in the Censor Certificate : Whether 'A' or 'U' :

(viii) Name and full address of the producer with telephone number and telegraphic address, if any :

(ix) Name and full address of the Director '

(x) Name and full address of the screenplay writer/script writer

(xi) (a) Name and full address of the leading male and female artist :

(b) Name and full address of the child artist (if any) of an age not exceeding 16 years :

(xii) Name and full address of the play back singer :

(a) Male singer .

(b) Female singer :

(xiii) Name and full address of the cameraman :

(xiv) Name and full address of the music director :

(xv) Name and full address of the lyric writer '

(xvi) Number and date of certificate of exhibition issued by the Central Board of Film Censors :

(xvii) Date of release :

(xviii) If the film is a dubbed version an adaptation or a retake of another film particulars of the film of which it is dubbed version, adaptation or retake :

2. I have read the rules governing these awards and agree to abide by the same.

3. I declare that I have been duly authorised by the producer of the film to make this entry (to be made in case the person making the entry is not the producer).

4. I certify that the film is not a dubbed version, a retake or an adaptation of a film which has already been entered earlier for a State/National Award and the print which is being submitted as entry is exactly in the form in which it has been certified by the Central Board of Film Censors.

5. I further certify that the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.

6. I hereby agree to the Government retaining the print of th film in the event of its receiving an award in the form of a medal and/or cash.

7. I have no objection to the special screening of the film for the general public in the national festival of films that Government may organise after the National Awards have been announced. I also understand that the proceeds of tickets for these screenings will be credited to the Government revenue.

Date : .... Signature : ....

Place : .... Address : ....
....
....

NOTE : The information should be the same as given in the credit titles of the film. The title of the film and names of producers, directors and technicians etc. should be given in English as well as in Hindi.

Bombay-400026, 31st March, 1975

No. A-12026/2/73-Est.I.—Shri N. F. Dewani, Accounts Officer of the office of the Accountant General Central Revenues, New Delhi, who was on deputation to the Films Division, New Delhi, repatriated to his parent office with effect from the forenoon of the 1st March 1975. On being relieved from the Films Division, New Delhi, he was allowed to proceed on Earned Leave for 61 days from 1-3-1975 to 30-4-1975.

M. K. JAIN, Asstt. Admn. Officer.
for Chief Producer

DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 26th March, 1975

No. 9/53/60-Est.I.—The Director of Advertising & Visual Publicity hereby appoints Shri B. B. Banerjee, a permanent Senior Artist in this Directorate to officiate as Chief Modeller on a purely *ad-hoc* basis with effect from the 17th March, 1975 until further orders *vice* Shri C. B. Parganiha appointed as Officiating Art Executive (Visualiser).

R. L. JAIN, Dy. Dir. (Admn.)
for Director of Advertising & Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi the 1st April 1975

No. 10-4/75-Admn.I.—The President is pleased to appoint Smt. Gitasri Mukherjee to the post of Junior Chemist for Pesticides Residue Analysis in the Central Food Laboratory, Calcutta, with effect from the forenoon of the 18th January, 1975, on an *ad-hoc* basis and until further orders.

The 4th April 1975

No. 1-21/73-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri S Subba Rao in a substantive capacity to the permanent post of Associate Professor of Environmental Sanitation at the All India Institute of Hygiene and Public Health. General of Health Services for the above period.

The 7th April 1975

No. 1-8/72-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri G. C. Basu, Administrative Officer at the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, retired from service with effect from the afternoon of the 31st December, 1974.

No. 11-3/74-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri G. Panchapakesan, a permanent officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service to officiate in Grade I of the C.S.S. from the forenoon of the 28th January, 1975 to the afternoon of 31st March, 1975.

The President is also pleased to appoint Shri G. Panchapakesan as Deputy Director Administration in the Directorate General of Health Services for the above period.

The 11th April 1975

No. 1-6/74-Admn.I.—The President is pleased to appoint Kumari Vadlamani Subhadra to the post of Assistant Professor of Midwifery Nursing in the All India Institute of Hygiene & Public Health, Calcutta, with effect from the forenoon of the 20th March, 1975, in a temporary capacity, and until further orders.

The 14th April 1975

No. 1-17/69-Admn.I.—On attaining the age of superannuation Dr. G. C. Karmakar, Assistant Professor of Biophysics at the All India Institute of Hygiene & Public Health, Calcutta retired from service with effect from the afternoon of the 31st January, 1975.

The 16th April 1975

No. 33 4/75-Admn I.—The President is pleased to appoint Shri N. S. Kalra, a retired Section Officer, as Public Relations Officer, Safdarjang Hospital, New Delhi in an honorary capacity, with effect from the forenoon of the 3rd March, 1975, and until further orders.

No. 17-7-/75 Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri V. R. Mainkar, Senior Scientific Assistant, Directorate General of Health Services, New Delhi, in the post of Technical Officer in the same Directorate with effect from the forenoon of the 1st January, 1975 vice Shri K. C Gangal, on leave upto the 28th February, 1975.

S. P. JINDAL,
Dy. Dir. Admn.

New Delhi, the 8th April 1975

No. 16-17/74-SI.—On retirement from Govt. Service, Shri Gurmukh Singh, Deputy Assistant Director General (Medical Stores) in the Medical Stores Organisation relinquished the charge of his post with effect from the afternoon of 31st March 1975.

SANGAT SINGH,
D.D.A. (ST).

New Delhi-110011, the 10th April 1975

No. 35-9/74-CHS.I.—Consequent on her transfer Dr (Mrs.) Madhur Grover relinquished charge of the post of Junior Medical Officer (on ad hoc basis) under the Central Govt. Health Scheme, Delhi on the afternoon of the 12th Feb. 1975 and assumed charge of the post of Junior Medical Officer at Safdarjang Hospital, New Delhi on the 13th Feb., 1975 (F.N.) on the existing terms and conditions.

The 11th April 1975

No. 13-2/75-CHS.I.—On transfer, Dr. A. K. Sarkar, an Officer of G.D.O. Grade I of the C.H.S. relinquished charge of the post of Medical Officer in the Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, Andrewsganj, New Delhi on the forenoon of the 20th March, 1975 and assumed charge of the post of Deputy Assistant Director (Public Health) in the C.H.E.B., Directorate General of Health Services, New Delhi, on the same day.

On transfer, Dr. (Mrs.) R Chawla, an Officer of G.D.O. Grade I of the C.H.S. relinquished charge of Medical Officer in the Rural Health Training Centre, Najafgarh, on the afternoon of the 19th March, 1975 and assumed charge of the post of Medical Officer in the Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, Andrewsganj, New Delhi in the forenoon of the 20th March, 1975.

No. 34-46/74-CHS.I.—Consequent on his transfer Dr. Ravi Shanker relinquished charge of the post of Junior Medical Officer on ad hoc basis under the Central Government Health Scheme, Delhi on the forenoon of the 25th November, 1974, and assumed charge in the same capacity and on the existing terms and conditions in the Willingdon Hospital, New Delhi, on the forenoon of 25th November, 1974 until further orders.

R. N. TEWARI,
Dy. Dir. Admn (CHS)

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

DIRECTORATE OF EXTENSION

New Delhi-1, the 22nd March 1975

No. 5(4)/74-Estt.(I).—Consequent upon his selection of Shri S. P. Chhibbar, Officer-in-chrage, W.C.C.S., Directorate of Extension to the post of Controller, Class II (Non-CSS) in the Import & Export, Trade Control Organisation he has relinquished the charge of his post in this Dte. w.e.f. 10-3-75 (F.N.).

The 2nd April 1975

No. F.12(9)/70-Estt.(I).—The following Superintendents (Grade I) of the Directorate of Extension are appointed substantively to the permanent post of Superintendent (Gr. I) G-C-S Class II (Gazetted) (Ministerial) in the pay scale of Rs. 700—30—760—35—900 w.e.f. 23-8-1973.

1. Shri K. L. Issar.

2. Shri K. P. Srinivasan

The 3rd April 1975

No F 2(7)/70-Estt.(I).—Shri H. S. Gautam will continue to officiate as Superintendent (Gr. I), Class II (Gazetted) (Ministerial) in the scale of Rs. 700—30—760—35—900 in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) on ad-hoc basis beyond 28th February, 1975 to 31st May, 1975.

N. K. DUTTA,
Dir. of Admn.

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION

Nagpur, the 2nd April 1975

No. F.2/8/75-DN.II.—In partial modification of Notifications as No. 3(TL)2|65-D.II, No. 3(44)|9|72-D.II, No. F. 5|11|69 D.II & No. F 2|8|70-DN.II and published in the Gazette of India, Part III, Section I dated 21-7-73 (Pages 1840 to 1843) the name of Shri S. K. Sabharwal, Assistant Marketing Officer wherever occuring in the said notifications may be treated as cancelled.

No. F.2/8/75-DN.II.—For the purpose of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 125, 126, 127 Dt 15.9 1962, No. 1131, 1132 Dt. 7 8 1965, No. 448 Dt. 14.3 1964, No. 1133, 1134, 1135 Dt.

7.8.1965 published in the Gazette of India, I hereby authorise Shri K. Suryanarayana, Assistant Marketing Officer, to issue Certificate of Grading from the date of issue of this notification in respect of Black Pepper, Cardamom, Chillies, Ginger, Turmeric, Table Potatoes, Onion, Garlic and Pulses, which have been graded in accordance with the provisions of the Grading and Marketing Rules of the respective commodities and formulated under Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937).

No. F.2/8/75-DN.II.—For the purpose of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 125, 126, 127 Dt 15.9.1962, No. 1131, 1132, Dt. 7.8.1965 and published in the Gazette of India, I hereby authorise Shri E. S. Paulose, Assistant Marketing Officer, to issue Certificate of Grading from the date of issue of this notification in respect of Black Pepper, Cardamom, Chillies, Ginger and Turmeric, which have been graded in accordance with the provisions of the Grading and Marking Rules of the respective commodities and formulated under Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937).

No. F.5/11/69-D.II.—For the purpose of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Notifications GSR-1133, 1134, 1135 Dt 7.8.1965, GSR-448 Dt 14.3.1964, No. 124 Dt. 15.9.1962 GSR-1421 Dt. 31.8.1963, No. 12 Dt. 9.6.1945, No. 1 camp Dt 5.1.1946, No. 6 Dt. 5.2.1949, No. 64 Dt. 17.6.1961 & No. 1130 Dt. 7.8.1965 published in the Gazette of India I hereby authorise Shri B. S. Dhardwaj, Assistant Marketing Officer to issue Certificate of Grading from the date of issue of the notification in respect of Onion, Garlic, Pulses, Table Potatoes, Myrobalans, Tobacco and Tendu Leaves which have been graded in accordance with the provisions of the Onion, Garlic, Pulses, Table Potatoes, Myrobalans, Tobacco and Tendu Leaves Grading and Marking Rules, as amended from time to time and formulated under Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, (1 of 1937).

The 11th April 1975

No. F.4-6(84)/75-A.I.—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri N. B. Warhade has been appointed as Assistant Marketing Officer, Group III, on officiating basis in the Directorate of Marketing and Inspection at Nagpur with effect from 25-2-75 (F.N.), until further orders.

N. K. MURALIDHARA RAO,
Agricultural Marketing Adviser.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(ATOMIC MINERALS DIVISION)

Hyderabad-500016, the 4th April 1975

No. AMD|1|3|75-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division hereby appoints the following permanent Scientific Assistant (Physics) Grade 'B' and officiating Scientic Assistant (Physics) Grade 'C' in the Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy, as Scientific Officer (Physics) Grade SB, in an officiating capacity in the same Division with effect from the forenoon of 1st February, 1975 until further orders :—

1. Shri Ravi Shankar,
2. Shri N. B. Mathur,
3. Shri A. Vishwanathan,
4. Shri M. V. Karthikeyan,
5. Shri K. Sivaraman.

The 9th April 1975

No. AMD|1|3|75|Adm.—The Director, Atomic Minerals Division hereby appoints the following Quasi permanent/officiating Scientific Assistants (Physics) Grade 'A' in the Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy, as Scientific Officers (Physics) Grade SB, in an officiating capacity in the same Division with effect from the forenoon of 1st February, 1975 until further orders :—

1. Shri Bhishma Kumar.
2. Shri Shankar Mishra.

S. RANGANATHAN,
Sr. Administrative and Accounts Officer,
for Director.

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500040, the 22nd March 1975

No. NFC|Adm|22|12|422.—Officer-on-Special Duty, Nuclear Fuel Complex, appoints Shri Anath Bandhu Guha, as Station Officer in a temporary capacity in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad, with effect from February 15, 1975 (FN), until further orders.

S. P. MHATRE,
Senior Administraitve Officer.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 22nd March 1975

No. A.38012/1/75-EC:—On attaining the age of superannuation, the fallowing officials retired from Government service on the 28th February, 1975 (A.N.):

S. No. Name, designation and station of posting.

1. Shri A. K. Mitra, Controller of Communication, Calcutta Airport, Dum Dum-52.
2. Shri B. D. Rao, Senior Technical Officer, Radio Construction & Development Units, Safdarjung Airport, New Delhi.

The 24th March 1975

No. A.38013/1/74-EC.—Shri A.D.H. Carvalho, Assistant Communication Officer in the office of the Officer-in-Charge, Aeronautical Communication Station, Bhavnagar relinquished charge of his office on 27-1-75 (After-noon) on retirement from Government service in terms of F.R.56(K) (This Department Notification No. A.38013/1/74-EC. dated 26-2-1974 is hereby cancelled.

The 25th March 1975

No. A.32013/1/74-EC.—The President is pleased to appoint Shri V. S. Iyyar, Assistant Communication Officer at A.C.S., Madras to officiate as Communication Officer at A.C.S., Trivandrum with effect from the 19-9-1974 (F.N.) on a purely ad-hoc basis vide Shri N. Sundaram, Communication Officer, A.C.S., Trivandrum granted leave.

No. A.32013/1/74-EC.—The President is pleased to appointment Shri D. S. Shrivastava, A.T.O., A.C.S., New Delhi to officiate as Technical, Officer in the Central Radio Stores Depot, New Delhi with effect from the 12th December, 1974 on purely ad-hoc basis vice Shri K.P.B. Nair, Technical Officer granted leave.

No. A.32013/1/74-EC.—The President is pleased to appoint Shri N. C. Nath, Assistant Director of Communication to officiate as Deputy Director of Communication in the Civil Aviation Department, New Delhi (Headquarters) with effect from the 17th May, 1974(F.N.) on purely ad-hoc basis vice Shri V. Chandrasekharan, Deputy Director (Communication) granted leave.

No. A.32013/1/74-EC:—The President is pleased to appoint Shri R. S. Goela, Senior Technical Officer to officiate as Assistant Director (Communication) in the Civil Aviation Department, New Delhi (Headquarters) with effect from the 29th May, 1974 until further orders.

No. A.32013/1/74-EC:—The President is pleased to appoint Shri I. P. Samuel, Assistant Technical Officer to officiate as Technical Officer at the A.C.S., Bombay with effect from the 30th September, 1974 A N. on a purely ad-hoc basis vice Shri M N. Adur, Technical Officer, A.C.S., Bombay granted leave.

New Delhi, the 29th March 1975

No. A. 32013/9/73-EC—The President is pleased to appoint the undermentioned officers in the Civil Aviation Department to the post and with effect from the date shown against each on a purely ad-hoc basis until further orders :—

S. No.	Name and designation	Post to which appointed	Date from which appointed	Station to which posted
1.	Shri K. Ramalingam, Technical Officer,	Senior Technical Officer	20-1-1975	A.C.S. Calcutta.
2.	Shri S. K. Gupta, Communication Officer	Senior Communication Officer	2-5-1974	A.C.S., Calcutta.
3.	Shri R. P. Sharma, Communication Officer	Senior Communication Officer	7-5-1974	A.C.S., Calcutta.

The 1st April 1975

No. A.38013/1/75-EC.—Shri I. Lal Raura, Assistant Communication, Officer in the office of the Controller of Communication, Aeronautical Communication Station, Calcutta relinquished charge of his office of the 31st January, 1975 (A.N.) on retirement from Government service on attaining the age of superannuation.

The 5th April 1975

No. A.32014-1/74-EC.—The President is pleased to appoint the following Technical Assistants in the Civil Aviation Department as Assistant Technical Officers on a purely **ad-hoc** basis with effect from the date shown against each and until until further orders:—

S. No., Name, Date from which appointed, Aeronautical Communication Stn. to which posted:

1. Shri Mukhtiar Singh, 1-3-1975—A.C.S., Calcutta.
2. Shri M. K. Chatterjee, 10-1-1975—A.C.S., Imphal.
3. Shri Piara Singh, 3-1-1975—A.C.S., Calcutta.
4. Shri C. N. Mahadev, 14-3-1975—A.C.S., Palam.
5. Shri T. R. Manon, 4-1-1975—A.C.S.,Calcutta.
6. Shri M. D. Ranganathan 2-1-1975—A.C.S., Madras.
7. Shri Y. P. Bhatia, 22-1-1975—A.C.S., Barapani, Shillong.
8. Shri B. R. Rao, 10-1-1975—A.C.S., Bombay.
9. Shri M. Appa Rao, 7-1-1975—A.C.S., Madras.

The 14th April 1975

CORRIGENDUM

No. A.32013/5/73-EC.—In the Directorate General of Civil Aviation's notification No. A.32013/5/73-EC dated the 27th February, 1975, the name of "Shri S. K. Swamy Aiyar" may please be amended to read as "Shri S. Krishnaswamy".

H. L. KOHLI,
Dy. Director (Administration)
for Director General of Civil Aviation

New Delhi, the 29 March 1975

No. A. 12025/1/74-ES—The President is pleased to appoint the following Assistant Aircraft Inspectors as Aircraft Inspectors from the date shown against each, in an officiating capacity and until further orders.

S. No.	Name	Date of appointment	Station of posting
1.	Shri U. P. Satpathy	12-2-1975	Office of the Controller of Aeronautical Inspection, Calcutta.
2.	Shri J. I. S. Bedi	15-2-75	Office of the Controller of Aeronautical Inspection, New Delhi.

H. L. KOHLI
Deputy Director of Administration,

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 29th March 1975

No. E(1)06562.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri S. N. Kathuria, Professional Assistant, Office of the Dy. Director General of Observatories (Instruments), New Delhi as Assistant Meteorologist in the officiating capacity with effect from the forenoon of the 1st March, 1975 and until further orders.

Shri S. N. Kathuria, Offg Assistant Meteorologist remains posted in the office of the Dy. Director General of Observatories (Instruments), New Delhi.

The 31st March 1975

No. E(1)05102.—The Director General of Observatories hereby approves the proforma promotion of Shri G. Varadha Rajan, Professional Assistant and presently on deputation as Technical Officer in W.M.O. Headquarters, Geneva, to the post of Assistant Meteorologist in the Indian Meteorological Service, Class II (Central Service, Class II) in this Department with effect from the 9th December, 1974 and until further orders.

NOOTAN DAS
Meteorologist
for Director General of Observatories,

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 7th April 1975

No. 1/251/75-EST—Shri M. M. Sharma, permanent Assistant Supervisor, New Delhi Branch, is appointed as Supervisors, in an officiating capacity at the Calcutta Branch with effect from the forenoon of the 13th March, 1975, and until further orders.

P. G. DAMLE
Director General

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE

Baroda, the 20th January 1975

No. 1 of 1975.—Shri M. M. Antani, Permanent Chief Accounts Officer, Central Excise, Class-II, Baroda has retired on Superannuation pension with effect from the afternoon of 30-9-1974. His birth date is 6-9-1916.

N. B. SANJANA
Collector,
Central Excise, Baroda.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th April 1975

Ref. No. ASR/Phg/AP-10/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Khalwara Road, Phagwara, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Phagwara in August on 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Manohar Lal s/o Shri Sant Lal GA of Shri Krishan Lal alias Kishan Lal s/o Sant Lal Calcutta Mating House, Loha Mandi Road, Phagwara. (Transferor)

(2) Shri Harbhajan Singh s/o Shri Sadhu Singh s/o Shri Dassondha Singh r/o V. Manak Teh. Phagwara. (Transferee)

*(3) As at . No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

*(4) Any person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registering Deed No. 1094 of August, 1974 of the Registering Authority, Phagwara.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Amritsar.

Date : 10-4-1975.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTION ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 10th April 1975

Ref. No. ASR/TTN/AP-11/75-76.—Whereas, I V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property situated at 1/61MC 168/237 & 198/274, Rodupura Tarn Taran. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Taran Taran in August & November on 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Dharam Singh s/o Atma Singh s/o Labho Singh, Nehru Gate, Amritsar Road, Taran Taran. Shri Kartar Singh s/o Atma Singh r/o Amritsar Road, Tarn Taran now 206 Sector 15-A Chandigarh.

(2) Shri Paramjit Singh Ahuja s/o Shri Sunder Singh c/o M/s Sunder Singh Inder Singh, Atta Chaki Wala, Amritsar Road, Taran Taran.

*(3) As at S. No. 2 above and persons occupying the property.

(Person in occupation of the property).

*(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registered Deeds Nos. 3504 of August, 1974 & 4266 of November, 1974 of the Registering Authority, Taran Taran.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Amritsar.

Date :10-4-75.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing, Municipal House No. 10, Pinjra Bakhal, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 30-8-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Devkaranbai W/o Shri Brijlal, 65 Hariganj, Khandwa.

(Transferor)

(2) 1. Shrimati Surajbai W/o Shri Babulal Rathore,
2. Shri Rameshchand Rathore, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Municipal House No. 10, Pinjra Bakhal, Indore.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 11-4-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 1560/0.05 alongwith building, Gajrat Khana No. 10/326 Riwa, Teh. Hujur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rewa on 5-8-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate procedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Bandhvesh Maharaja Sahab Bahadur Marathand Singh Ju Dev Tanay Ex-Maharaja Sir Gulabsingh, R/o Khila Rewa, Teh. Hujur, Distt. Rewa. 2. Shri Achuthanand Mishra alias Swamiji Tanay Surajdin Mishra, R/o Amhiya, Teh. Hujur, Distt. Rewa.

(Transferor)

(2) 1. Shri Ramandas Tanay Chothram 2, Jawaharlal Tanay Ramandas, R/o Dhodhar Rewas. Teh., Hujur. Distt. Rewa

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1560/0.05 alongwith building, Gujarat Khana No. 10/326, Riwa, Teh, Hujur.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 11-4-1975.

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I M. F. Munshi,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of house bearing M. No. 6/15 Kalidas Marg, Madhav Nagar, Ujjain situated at Ujjain,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Ujjain on 26-8-1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liablity of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Champalal S/o Badaji Gorama, Contractor, Kalidas Marg, Madhav Nagar, Ujjain.
(Transferor)

(2) Shri Jankilal S/o Shri Chaganlal Trivedi, Chief Welfare Officer, Gwalior Rayon Silk Mfg. (Wvg.) Co, Birlagram Nagada.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of House bearing M. No. 6/15 Kalidas Marg, Madhav Nagar, Ujjain.

M. F. MUNSHI.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range
Bhopal.

Date : 11-4-1975,
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I M. F. Munshi, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House and shop in Mandi Committee, Block No. 96, M. House No. 47/4 Jiwaji Ganj, Morena. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Morena on 29-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Thakur Das S/o Jaisaran Khatri Punjabi R/o Datpura, Morena & Kashi Ram Verma S/o Thakur Das (Goldsmith) R/o Old Gadi Ada, Morena.

(Transferor)

(2) Shri Lal Jeet Singh Ram Dayal Singh S/o Megh Singh Rajput R/o village Khandali Tehsil Jawra, Distt. Morena now R/o Block No. 96, M. House No. 47-74, Jiwaji Ganj, Morena.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House and shop in Mandi Committee, Block No. 96, M. House No. 47/4 Jiwaji Ganj, Morena.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of IncomeTax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975.
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE. BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Khasra No. 296, Portion of it, Area 1.15 at Village, Tikarapara, Raipur situated at Raipur, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Raipur on 8-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269-D of the said Act to the following persons, namely :

(1) Shri Krishnaprakash Pujari S/o Shrigopal Pujari, R/o Sadar Bazar, Raipur,
(Transferor)

(2) Shri Maniklal Chandulal Somani, Raipur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Khasra No. 296, Portion of it area 1.15 at Village, Tikarapara, Raipur.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 11-4-1975.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I M. F. Munshi, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Village Shahpur, Teh. Burhanpur area 6.13 acres situated at Burhanpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Burhanpur on 22-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market vlaue of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kisan Kakira Choudhary, R/o Village, Rawer, Taluka Rawer (Burhanpur.

(Transferor)

(2) Shri Pyarelal Atharram Gohar, R/o Village, Shahpur, Teh. Burhanpur, West Nimad).

(Transferor)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

(b) by any of the person interested in the said Immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Village Shahpur, Teh. Burhanpur—Area 6.13 acres.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 11-4-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I M. F. Munshi, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land situated at Mahalgaon, Gwalior, situated at Gwalior, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gwalior on 30-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Amritsar Carpet & Rugs Manufacturing Co., Lashkar, Gwalior.

(Transferor)

(2) M/s Hariom Trading Co., Inderganj, Lashkar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette for a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at Mahalgaon, Gwalior.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range.
Bhopal.

Date : 11-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. ICA/ACQ/BPL/74-75.—Whereas, I M. F. Munshi, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. a half western side plot situated at zwabit lines, near Lily Talkies Bhopal situated at Bhopal, (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on 12-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Smt. Nirmala Gupta W/o Shri Vinod Chander Gupta R/o Sultania Road, Bhopal.

(Transferor)

(2) Sant Nirankari Mandal Delhi-9 through Ram Sarandas S/o Sardar Nihalsing Secretary Sant Nirankari Madanlal, Delhi-9.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A half western side plot situated at Zwabit lines, Near Lily Talkies, Bhopal.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 11-4-1975.

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. in Mohalla Masan Ganj, sheet No. 24, Plot No. 5/1 at Bilaspur situated at Bilaspur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bilaspur on 23-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the the following persons, namely :—

(1) Shri Ashok Rao S/o Ragavendra Rao R/o Gadpara, Teh. & Distt. Bilaspur.

(Transferor)

(2) Shri Badrisingh S/o Chhavilalsingh Thakur R/o Chata. 2. Shri Balaramsingh R/o Para, Bilaspur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Sheet No. 24, Plot No. 5/1 situated at Masan Ganj, Bilaspur.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,

Date : 11-4-1975.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable propery, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House No. 145 Phabbara Chouk, Ujjain situated at Ujjain, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain on 5-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Vimalaben Wd/o Manilal Shah,
2. Shri Vipinkumar,
3. Nareshkumar,
4. Prafulkumar
all sons of Late Shri Manilal Shah.
5. Arunaben d/o Manilal Shah, R/o Bahadurganj, Ujjain,
6. Pramilaben d/o Manilal Shah, R/o Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shri Jagdishrai S/o Shri Mathuradasji Juneja, R/o Phabbara Chouk, Ujjain.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 145, Phabbara Chouk, Ujjain.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 11-4-1975.
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House No. 15 Bada Sarafa, Indore Area 1057 sq. ft.
situated at Indore,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Indore on 26-8-1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arssing from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act) to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Anandilal S/o Shri Badrinarayan,
2. Shri Nathulal S/o Shri Kewalram,
3. Shri Balmukund Harinarayan Caste Chithoda, R/o 1st, 2nd Campel and 3 Bagli, Dewas.

(Transferor)

(2) Shrimati Lilabai W/o Shri Surajmalji Jain, R/o 21/1, Racecourse Road, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 15, Bada Sarafa, Indore Area 1057 sq. ft.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Total land area 17.09 acres at Village Karapgaon Teh. Gadarwara situated at Narsinhpur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
at Narasinhpur on 7-8-74,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to betwen the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Chamchal,
2. Shri Umashankar,
3. Shri Ambikacharan, Karapgaon, Teh. Gadarwara, Distt. Narsinhpur.

(Transferor)

(2) Smt. Halkibai W/o Shri Shankarsingh Rajput, R/o Village Karapgon, Teh. Gadarwara, Distt. Narsinhpur

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Totl land area 17.09 acres at Village Karapgaon Teh. Gadarwara, Narsinhpur.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. House constructed on Plot No. 26, Vengatesh Market, Indore, situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at
Indore on 24-8-1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been
truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the
Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act) to the following persons namely :—

(1) Shri Gulabchand S/o Shri Ramcharanji R/o 122 Palsikar Colony, Indore.
(Transferor)

(2) Shri Minocha S/o Shri Kantilalji Rawal, R/o Nayapara No. 1, House No. 4, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House constructed on Plot No. 26, Vengatesh Market, Indore.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I. M. F. Munshi, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House Pukka and Katcha No. 903/1031 No. 4 and 16 new—House No. 48/1031 Kotwali Road, Satna situated at Satna, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Satna on 8-8-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Balmukund S/o Baldevprasad,
2. Smt. Devrathi W/o Shri Baldevprasad,
3. Smt. Munibai Daughter of Shri Baldevprasad, Satna

(Transferor)

(2) Shri Madhavdas S/o Shri Aratmal,
2. Smt. Laxmibai W/o Shri Dharamdas.
3. Shri Hiranand S/o Shri Shobhraj Panjwani R/o ward no 15, Satna.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Pukka and Katcha No. 903/1031 No. 4 and 16 new—House No. 48/1031 Kotwali Road, Satna.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 11-4-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE.
BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPI/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act,) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. a house bearing Municipal No. 98(old No. 317) at Jawahar Marg, Khachraud Distt. Ujjain situated at Ujjain, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain on 30-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereb yinitiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Hiralal s/o Pratapchandji Nandecha, Jawahar Marg, Khachraud.

(Transferor)

(2) Shri Sureshkumar S/o Hiralalji Nandecha, Jawahar Marg, Khachraud.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of he aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house bearing Municipal No. 98 (old No. 317) at Jawahar Marg, Khachraud, Distt. Ujjain.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACv/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Property No. 317, 318 Gole Bazar Ward, Jabalpur situated at Jabalpur. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Jabalpur on 8-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Khilonabai W/o Shri Bhagwandas Jain Through Shri Bhupendrakumar Jain S/o Shri Rishabhdas Jain Gole Bazar Ward, Satna Building, Jabalpur. (Transferor)

(2) 1. Shri Anilkumar, 2. Shri Sunilkumar 3. Shri Sanjaykumar, all sons of Shri Rajarm Singhai through Mother Smt. Banarsibai Azadrani Singhai W/o Shri Rajaram Singhai, R/o 664 Sarafa Ward, Jabalpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. 317 and 318 Gole Bazar Ward, Jabalpur.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 11-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated in Ward No. 4, Ashok Nagar, Distt. Guna situated at Ashok Nagar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ashok Nagar on 1-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Sureshchand,
2. Shri Nareshchand,
3. Shri Chandesh Kumar S/o Dalchand Jain R/o Village, Piprai, Pargana Mugawali, Ashok Nagar M.P. Distt. Guna.

(Transferor)

(2) Shri Pradeep Kumar S/o Sumerchandji Minor through Guardian Father Shri Sumerchandjee R/o Ashok Nagar, Guna.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House situated in Ward No. 4, Ashok Nagar, Distt. Guna.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 11-4-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. MUNSHI, being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing single storey house on Plot No. 12 in Jayashree Syndicate Colony, Indore situated at Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferrerd under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Visakhapatnam on Indore on 8-8-74 tor an aappearent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such, apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nandkishoro S/o Shri Komramjee Sharma, R/o Raojee Bazar, Main Road, House No. 53, Indore.

(Transferor)

(2) 1. Shri Vishindas S/o Shri Daulatram.
2. Shri Daulatramji S/o Shri Dharamdasji, R/o 12, Jail Road, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storey house on plot No. 12 in Jayashree Syndicate Colony, Indore.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975
Seal :

Form I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. MUNSHI, being the competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 8/6 of Mahesh Nagar Colony, Indore situated at Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 29-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Harihasnath Sharma, 40, Rajmohalla, Indore.

(Transferor)

(2) 1. Shri Jamnadar Mohta,
2. Shri Brijballabhdar Mohta,
3. Shri Haridar Mohta,
4. Shri Narayanwar Mohta,
All sons of Shri Kishanchand Mohta, 11/3 North Rajmohalla, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 8/6 of Mahesh Nagar Colony, Indore.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. MUNSHI,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House portion Municipal No. 2.989 situated at Ambaprasad Tiwari Marg, Sakhipura Marg, Ujjain
situated at Ujjain
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Ujjain on 5-8-74
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Subashchandra S/o Kailashchandraji Caste Mhajan,
2. Shri Santhoshchand,
3. Attulkumar (Minors)
through guardian Mother Azadkumari,
R/o Laxmibai Marg, Ujjain.
(Transferor)

(2) Smt. Vimalabai W/o Shri Rajendrakumar Jain, Caste Mahajan,
R/o Lakharvadi, Bambakhana, Distt. Ujjain.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House portion Municipal No. 2.989 situated at Ambaprasad Tiwari Marg, Sakhipura Marg, Ujjain.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. MUNSHI, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing House constructed on plot No. 49, T.T. Nagar Shopping Centre, Bhopal situated at Bhopal (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bhopal on 8-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Sheela Gupta Wd/o Late Mokatlal Gupta, R/o 49 Shopping Centre, New Market, T.T. Nagar, Bhopal.

(Transferor)

(2) Smt. Kapoori Devi Gupta W/o Shri Jagdishchand Gupta, R/o Shopping Centre, T.T. Nagar, Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House constructed on plot No. 49, T.T. Nagar, Shopping Centre, Bhopal.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. MUNSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot and superstructure of Rice Mill at Bhatapara, Baloda Bazar, Raipur situated at Raipur , (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatapara on 12-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the said parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranchodbai S/o Virjibhai Waghar,
Gujrati Chhatri,
Gujrat Chhatri,
P/o Ex-firm M/s Ranchhodbhai Virji,
C/o Gujarat Rice Mills, Bhatapara, Tehfl Baloda Bzar, Distt. Raipur.

(Transferor)

(2) 1. Shri Lakhiram S/o Kedarnath Agrawal, P/o M/s Sureshchand Santoshkumar of Bhatapara, Teh. Baloda Bazar,
2. Smt. Ramkalibai W/o Harkeshdas Agrawal Bhatapara.
3. Smt. Gitadevi W/o Satyanarayan Agrawal,
4. Smt. Manbhavatidevi W/o Madanlal Agrawal,
5. Smt. Santoshbai W/o Gyaniram Agrawal,
All R/o Vidya Upnagar, Bilaspur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot and Superstructure of Rice Mill at Bhatapara, Baloda Bazar, Raipur.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 11th April 1975

No. C.R. 62/3115/74-75/Acq.B.—Whereas, I, R. Krishnamoorthy, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. The property being dry agricultural land measuring 4 acres out of Survey No. 8 situated at Gangandanhalli village, Yeshvantpur Hobli, Bangalore North Taluk, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Bangalore North Taluk, Document No. 3526/74-75 on 18-9-1974. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri S. M. Ramakrishna Rao, Power of Attorney holder on behalf of Shri Sajjan R. Rao, 'Lakshmi Nivas', Fort, Bangalore city.

(Transferor)

(2) Shri Muni Byrappa alias Papanna, S/O Muniyappa alias Appiahnna, Atthikuppa, Mysore Road, Bangalore city.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being dry agricultural land measuring *Four acres* out of survey No. 8 of Gangandanhalli village, Yeshvantpur Hobli, Bangalore North Taluk.

Boundaries :

E—Portion sold to Sri Appayanna.
W—Portion of land bearing S. No. 8.
N—Road+Same S. No. land and Kempapura Agrahara.
S—Land belonging to Gangandanhalli S. No. 10.
Document No. 3526/74-75 dated 18-9-1974.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 11-4-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. MUNSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot and supertructure of Rice Mill at Bhatapara, Baloda Bazar, Raipur. siuated at Bhatapara, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Bhatapara on 12-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranchhodbai S/o Virjibhai Wagher, Gujrati Chhatri, P/o Ex-firm M/s Ranchhodbhai Virji, C/o Gujarat Rice Mills, Bhatapara, Teh. Baloda Bazar, Distt. Raipur.
(Transferor)

(2) 1. Shri Lakhiram S/o Kedarnath Agrawal, P/o M/s Suresh Chand Santoshkumar of Bhatapara, Teh. Baloda Bazar,
2. Smt. Ramkalibai W/o Harkeshdas Agrawal Bhatapara.
3. Smt. Sitadevi W/o Satyanarayan Agrawal,
4. Smt. Manbhavatidevi W/o Madanlal Agrawal,
5. Smt. Santoshbai W/o Gyaniram Agrawal,
All R/o Vidya Upnagar, Bilaspur.
(Transferee)

Obections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot and Superstructure of Rice Mill at Bhatapara, Baloda Bazar, Raipur.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. MUNSHI, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1971) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. property bearing Khasra No. 281/1 and 281/2 on plot No. 7, 8 and 9 (Khasra Nos. 282 and 284) situated at Bhatapara, Teh. Baloda Bazar, Distt. Raipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatapara on 12-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the said parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ranchhodbai S/o Virjibhai Wagher Gujarati Chhatri, P/o Ex-firm M/s Ranchhodbhai Virji, C/o Gujarat Rice Mills, Bhatapara, Teh. Baloda Bazar, Distt. Raipur.

(Transferor)

(2) 1. Shri Kakhiram S/o Kedarnath Agrawal, P/o M/s Sureshchand Santoshkumar of Bhatapara, Teh. Baloda Bazar.

2. Smt. Ramkalibai W/o Harkeshdas Agrawal Bhatapara.

3. Smt. Gitadevi W/o Satyanarayan Agarwal,

4. Smt. Manbhavatidevi W/o Madanlal Agrawal,

5. Smt. Santoshbhai W/o Gyaniram Agrawal. All r/o Vidya Upnagar, Bilaspur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot and Superstructure of Rice Mill at Bhatapara, Baloda Bazar, Raipur.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. MUNSHI, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Part of property situated at 23, Palasia, Main Road, Indore situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Indore on 26-9-74
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Ramesh S/o Dattatraya Dighe, C-6, Shri Yeswant Society, M. G. Road, Chatkopar, Bombay-77.
2. Shri Sharad S/o Dattatraya Dighe, 36, Satparvati Housing Cooperative Society, Coaldongri Lane, Andheri East, Bombay.

(Transferor)

(2) Shri Rameshchandra S/o Babulalji Baheti, 68, Narsingh Bajar, Indore.

(Transferee)

(3) Shri Daulat Ram Sarana, 23, Palasia, Main Road, Indore.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of property situated at 23, Palasia, Main Road, Indore. Area 8960 sq. ft.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. MUNSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of the porperty situated at 23, Palasia Main Road, Indore —Area 7900 sq. ft. situated at Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 26-8-74. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties, has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object ot :—

(a) facliiating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C. of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Ramesh S/o Dattatraya Dighe, C-6, Shri Yeswant Society, M. G. Road, Ghatkopar, Bombay-77.

(Transferor)

2. Shri Sharad S/o Dattatraya Dighe, 36, Satparvati Housing Cooperative Society, Coaldongri Lane, Andheri East, Bombay.

(Transferor)

(2) Shri Rameshchandra S/o Babulalji Baheti, 68, Narsingh Bajar, Indore.

(Transferee)

(3) Shri Daulat Ram Sarana, 23, Palasia, Main Road, Indore.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of the property situated at 23, Palasia, Main Road, Indore. Area 7900 sq. ft.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975
Seal :

Form I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. MUNSHI, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Municipal House No. 2 : 1026 in Daulatganj, Ujjain situated at Ujjain (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer at Ujjain on 30-8-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act, I hereby initiate procedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Radhakishan S/o Kanhaivalal
2. Shri Rameshchand,
3. Brijesh S/o Radhakishan (Mahajen), R/o Daulatganj, Ujjain.

(Transferor)

(2) Shri Ashokkumar S/o Suganchand (Mahajen), R/o Badanagar, Distt. Ujjain.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Municipal House No. 2:1026 Daulatganj, Ujjain.

M. F. MUNSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 11th April 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Municipal House No. 6, three storeyed Opp. Sabji Mandi Nandlalpura, Indore situated at Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain on 30-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Mangilal S/o Babulalji Kalal R/o 6 Nandlalpura, Indore.

(Transferor)

(2) Smt. Jamunabai W/o Shri Mayaramji Dave, R/o 34, Yashwant Road, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Municipal House No. 6, three storeyed Opp. Sabji Mandi Nandlalpura, Indore.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 11-4-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 15th March 1975

Ref. No. Acq.File No. 177 J. No. I(102)/VSP/74-75.—Whereas, I K. Subbarao, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and Block No. 7 Asst. No. 22492 situated at Waltair uplands Visakhapatnam, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Visakhapatnam on 15-8-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) D. N. Dhody, Project Manager, Humphreys & Glasgow consultants (P) Ltd., Gammon House, Savankar Marg, Prabhadevi, Bombay-400025.
(Transferor)

(2) Smt. Goda Rukmini, G-8, Section-2, RURKELA-6 (Orissa).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Visakhapatnam District Visakhapatnam Sub-Registrar Visakhapatnam Municipality Asst. No. 22492 Layout Plot No. 30 Block No. 7 Waltair ward 600 Sq. Yds.

BOUNDRIES

East.—30 ft. Road as per layout plan.
South : Plot No. 29 as per layout plan.
West : Compound wall of Virginia House.
North : Plot No. 31 of the layout plan.

K. SUBBARAO,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range,
Kakinada.

Date : 15-3-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 14th March 1975

Ref. No. Acq. File. No. 176 J. No. I(109 & 110)/VSP/74-75.—Whereas, I, K. Subbarao, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 28-10-7 situated at Suryabagh Visakhapatnam. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Visakhapatnam on 15-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri B. Chinayya, Contractor Visakhapatnam.

(Transferor)

(2) 1. Kolluru Sitaram Being minor by guardian father Kolluru Krishnamurthy, Vizag-2.

2. Kolluru Gopal, Being minor by guardian father K. Bulli Nookaiah setty, Vizag-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Visakhapatnam District Visakhapatnam Sub-Registrar Visakhapatnam Municipality Allipuram ward Surya Bagh Block No. 47 T.S. No. 1678—Plot No. 28 Door No. 28-10-7 A.C. Sheets house 169 Dq Yds extent.

BOUNDRIES

East : Compound wall of this property and house of Neelam Setty's family.

South : Compound wall of estate of God.

West : Road.

North : Property belongs to this door number.

K. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Kakinada.

Date : 14-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 14th March 1975

Ref. No. Acq. File J. No. 1(99)/VSP/74-75.—Whereas, I, K. Subbarao, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. 43-8-5 situated at Subbalaxminagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Visakhapatnam on 15-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

(1) Shri Vankayala Nookaraju,
C.B.M. High School,
Visakhapatnam.

(Transferor)

(2) Shri Puvvada Chendramouli,
General and Fancy Stores,
Visakhapatnam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property, may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Visakhapatnam District—Visakhapatnam Sub-Registrar—Visakhapatnam Municipality—Visakhapatnam Town—Allipuram ward—Subbalaxminagar—Block No. 20-21—T.S. No. 321-322 and 323—Plot No. 121—Door No. 43-8-5 Building with site—600 Sq. Yds.

BOUNDRIES

East : Tiled House of Uppada Tata.
South : Site of Bodda Appalanarasaiah.
West : Municipal Road.
North : Daba house of Sri Satyanarayan.

K. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 14-3-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVRENMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 14th March 1975

Ref. No. Acq. File No. 174 J. No 1(230)/KR/74-75.—Whereas, I, K. Subbarao, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing, No. 11-24-74 situated at Bhavannarayana St. Vijayawada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijawada on 15-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) for facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to following persons namely ;—

S/Shri

(1) 1. Anisetty Madhavarao, Agent, Andhra Bank, Amaravat.
2. A. Saibabaxxq, S/o A—Madhvarao, Andhra Bank, Amravati.
3. A. Eswara Chandra Vidya Sagar S/o Madhavarao, Amaravati.
4. A. Anjaneyulu. Dy. Superintendent of Police, Narasapur.
5. A. Bhavani Prasad being minor by guardian father Anjaneyulu.
6. A. Swarajyam, W/o Late Venkateswararae, Begampeta, Hyderabad.
7. Anisetty Usha.
8. Anisetty Geeta.
9. Anisetty Kanaka Durga 7,8,9 being minors by guardian mother Swarajyam.
10. A. Satyanarayanarao, S.B. Asst. A.C.B.(Sakeen Hyderabad.
11. A Sivarao alias Naguriah, Provident fund dept. C/o Sawaswati Talkies, Baburajendraprasad road, Vijayawada.
12. A. Chandramouli, I.T. Dept. Nizamabad.
13. A. Girija Prasad.
14. A. Yasodar 13 & 14 minors represented by father Chendramouli.

(Transferor)

(2) 1. Jonnalagadda Venkateswarlu, Vijaynwada
2. J. Srinivasa Kumar Being minor represented by father Venkateswarlu.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Krishna District—Vijayawada Sub-Registrar—Vijayawada Town—Vijayawada Municipality—Rev. Ward No. 7—Block No. 1—N.T.S. No. 4 Municipal Ward No. 11—Door No. 11-24-74—Bhavannarayana Street—Vijayawada.

BOUNDRIES

East: Bhavannarayana Street 10.6 ft.
South: Building of Gondesi Family 60 ft.
West: Site of K. Radhakrishna murthy 30.6 ft.
North: Building of K. Bhavannarayana 60 ft.

K SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date: 14-3-1975

Seal;

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 22nd March 1975

Ref. No. Acq. File No. 181 J. No. I(359)/GTR/74-75.—Whereas, I, K. Subbarao, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Door No. 11-4-30 situated at Rajavari Thota Guntur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guntur on 15-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Pillri Govindaraj, S/o Rannaiah Nayadu.
2. P.G. Prabakar S/o Govindraj, Madras-17.

(Transferor)

(2) Shri Syed Salahuddin,
S/o Mohiyuddin, Guntur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Guntur District—Guntur Taluk—Guntur Town—Kothapeta Station Road—Municipal Old ward 5-New ward No. 20—Block No. 8—old T.S. No. 649—New T.S. No. 1300—Asst. No. 9255—Door No. 11-4-30 4182-6-0 Sq. Yds. Building situated in it.

BOUNDRIES

East Railway Station Road.
South : Kusuma Haranath Timber depot site.
West : Municipal Road and
North : Municipal Road and properties of Narla Panchaiah & Madasu Rangaiah.

K. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 22-3-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. A.P.788/Phillaur/74-75.—Whereas I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in August 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lachman Singh, Gurbachan Singh s/o Banta Singh alias Joginder Singh R.O. Rurkakhurd, Teh. Phillaur.

(Transferor)

(2) mt Parkash Kaur through Nama Ram Masandpur, Mohulla Bara Pind, Teh. Phillaur,

(Transferee)

(3) as per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) any person interested in the property. [Person Whom undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 Kanal situated at Rurka Khurd, Teh. Phillaur as mentioned in Registered Deed No. 6004 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 31-3-1975,
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No A.P./Phillaur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Lachaman Singh, Sh. Gurbachan Singh s/o Sh. Banta Singh alias Joginder Singh Rurka Khurd, Teh. Phillaur.

(Transferor)

(2) Shri Ram Partap s/o Sh. Nama Ram, r/o Masandpur, Bara Pind, Teh. Phillaur.

(Transferee)

(3) as per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 Kanal in Rurka Khurd as mentioned in Registered Deed No. 6005 of August, 1974 of Registering Authority, Phillaur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. A.P./790/Nawanshahar/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at as per schedule.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Nawanshahar in August, 1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any Income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sutlej Land Finance P. Ltd., Jullundur.
(Transferor)

(2) Charan Kanwal, Kashmir Singh ss/o Shri Ram, Nawanshahar.
(Transferee)

(3) as per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 kanal 60 sq. ft. in Nawanshahar as mentioned in Registered Deed No. 2530 of August, 1974 of Registering Authority, Nawan Shahar.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 31-3-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. A.P./791-Nawashar/74-75.—Whereas I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nawanshahar in August 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Darshan Singh s/o Manakchand etc. Nawanshahar Tehsil Banga.
(Transferor)

(2) Shri Darshan Singh s/o Ishar Singh, Norawali Teh. Garshankar.
(Transferee)

(3) as per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) any person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 10 marlas including 2 storeys bldg. as mentioned in registered deed No. 2943 of August, 1974, of Registering Authority, Nawanshahar.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. A.P./792/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market vaule of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Tarlok Singh Sachher r/o 481, L, Modeltown, Jullundur.
(Transferor)

(2) Chaudhry Housing Organisation, Jullundur.
(Transferee)

(3) as per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) any person interested in the property. [Person Whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 4 kanals 14 marlas at ingra Khurd, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 6719 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP./793/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per scheduled situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Harbhajan Singh s/o Tarlok Singh, Jullundur. (Transferor)

(2) Choudhry Housing Organisation of Jullundur. (Transferee)

(3) as per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) any person interested in the property. [Person Whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 6 kanals 8 marlas situated in Kagra as per registered deed No. 5716 of August, 1974, of Registered Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Jullundur.

Date : 31-3-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/794/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act)' have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. as per schedule situated at as per schedule, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment or any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurcharan Singh s/o Tarlok Singh, R.O. 481-L, Model Town, Jullundur.
(2) Choudhry House Organisation, Jullundur.
(3) as per S No. 2 above. [Person in occupation of the property].
(4) any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 6 kanals at Kingla Khurd as mentioned In Registered Deed No. 5720 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. A.P./Julludur/74-75/795|—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at as per schedule.
(and more fully
described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August 1974
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Swaran Lata w/o Banarsi Dass, Jullundur. (Transferor)

(2) Shri Mukesh Chander c/o Shadi Ram Banarsi Dass Tanda Road, Jullundur. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 4 kanals 15 marlas at village Noru, Tanda Road as mentioned in Registered Deed No. 5733 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. A.P./Jullundur/74-75/796.—Whereas, I Ravinder Kumar,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at as per schedule.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur in August. 1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ruplal Agarwal s/o Charanda., Jullundur. (Transferor)

(2) Shri Kranti Kumar. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share of three shops. Session Court Road, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5665 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. A.P./Jullundur/74-75/797.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohinder Singh s/o S. Bela Singh s/o Narain Singh of Basti Danishmandan, Jullundur.
(Transferee)

(2) Shri Mehar Singh s/o S. Diwan Singh s/o Ram Singh of Basti Sheikh, Jullundur.
(Transferor)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) Any person interested in the porperty. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 5 kanals 11 marlas in Basti Sheikh, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5654 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. A.P./Jullundur/74-75/798.—Whereas, I, Ravinder Kumar,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1971) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 169D of the said Act, the following persons, namely :—

(1) Shri Raghbir Singh s/o Jawala Singh, c/o Fancy Watch Co., Rainak Bazar, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shrimati Santosh Kumari w/o Askaran Lal, H. No. 9, New Sauraj Ganj, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) be any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 10 marlas near Dyalpur Khalsa Hr. School, Nakodar Road, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5600 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 31-3-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/799/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority, under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5582 situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ruplal Agarwal s/o Charandas, etc. of 471, Mota Singh Nagar, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Kranti Kumar etc. of 176. Bawa Building, G.T. Road, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share of three shop near Session Courts, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5582 of August 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. A.P./Jullundur/800/74-75.—Whereas, I Ravinder Kumar,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5575

situated at Jullundur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohinder Singh s/o Bela Singh s/o Narainsingh, of Basti Danishmandah. Teh. Jullundur.
(Transferor)

(2) Vijay Engineering Works, Basti Sheikhan, Jullundur City, through Kanwaljit Singh, Partner.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land in basti Sheikh, Jullundur measuring 8 kanals 7 Marlas as mentioned in Registered Deed No. 5575 of Aug. 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. A.P./801/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269D of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5572 situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in August, 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of in any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shrimati Tara wd/o Raj s/o Sunder, of Chak Hasana, Lama Pind, Teh. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Pawankumar Gupta s/o Amarnath 77, Arjan Nagar, Jullundur City.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 kanal 6½ marlas at Chak Hasana Lamapind as mentioned in registered deed No. 5572 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date: 31-3-1975.
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. A.P./802/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5571 situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smimati Tara wd/o Raj s/o Sunder, Chak Hasana Lama Pind, Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Avinash Kumar s/o Amarnath s/o Puranchand, 227, Arjan Nagar, Jullundur.

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1 K 6¼ marlas land at Chack Hasana Lamapind as mentioned in registered deed No. 5571 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP.803/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule, situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sham Kumar S/o Pt. Sat Pal, etc. of Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Dharam Chand Bhadari S/o Desraj
Smt. Lalit Bhandari,
Allahabad Bank, Civil Lines, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land 1 kanal 17 marlas 198 sq. ft. at Amar Garden Extension, Byepass, Jullundur as per Registered Deed No. 5402 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition
Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP.804/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act)' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule, situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Gurcharan Singh Johal.
342, Lajpat Nagar, Jullundur.

(Transferor)

(2) Harwinder Kumar etc. S/o Harbhagwan Dass, S/o Santlal c/o
M/s. Ram Sarup & Co., Mandi Fentonganj, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share of Kothi No. 342 at Lajpat Nagar, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5395 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition
Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP 805/Jullundur/74-75.—whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule, situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer Jullundur in August, 1974 for an apparent for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursurance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Bimla Devi alias Bimlawati, W/o Ram Parshad S/o Suraj Lal, of Jullundur. (Transferor)

(2) Shri Mangat Rai S/o Amarnath of Jullundur. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 11 marlas as mentioned in Registered Deed No 5382 of August, 1974 of Registering Authority Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition
Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP. 806/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule, situated at as per schedule
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974
Jullundur in August, 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kirpal Singh Jandu, S/o Melasingh V & P. I. Noormalahal, Teh. Phillaur. (Transferor)

(2) Smt. Kanjeet Kaur d/o Banta Singh, Ghasitpura, Teh. Tarantaran, Dist. Amritsar. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 16 marlas 48 sq. ft. at Mahal Road, Near Radio Station, Jullundur as per Registered Deed No. 5293 of August, 1974 of Registering Authority Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition
Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP.807/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule, situated at as per schedule (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property of the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kanta Aggarwal, w/o Shri Rooplal Aggarwal 270, Central Town, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Kantikumar, Santosh Kumar, etc. 176, Basti Bawakhel, G.T. Road, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as per Registered Deed No. 5062 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition
Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP.808/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule, situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-setcion (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Karamsingh Modi S/o Shri Basant Singh etc. of Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Gurdevsingh S/o Shri Daulatsingh R/o Kukadpind, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land equal 1/3 of Shop No. 10, Dilkusha Market, Jullundur of Registered Deed No. 5192 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition
Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP.809/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule, situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mukshwar Singh, Balbir Singh S/o Nand Singh Basti Bawakhel, Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Ved Parkash S/o Shri Desraj R/o Jullundur City.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 7 kanals 5 marlas mentioned in Registered Deed No. 5175 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition
Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP.810/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule, situated at as per schedule (and more fully described in he Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property a aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Giani Shanker Singh S/o Bal Singh, etc. of Jullundur.

(Transferor)

(2) Smt. Swaran Kaur W/o Gurdev Singh, Kukad pind, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3 or Shop No. 10, Dilkusha market, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5162 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition
Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/811/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing and situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Mukathwar Singh, of Basti Bawakhel, Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Manoharlal s/o Nandlal of Jullundur City.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Measuring 5 kanals 17 marlas 56 sq. ft. at Basti Bawakhel, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5074 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.

Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/812/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Jullundur in August, 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kanta Agarwal w/o Rooplal Agarwal, 270, Central Town, Jullundur. etc.

(Transferor)

(2) Shri Kranti Kumar and Santosh Kumar, 176, Basti Bawa Khel, Jullundur.

(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

*(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested to the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A shop mentioned in Rgistered deed No. 5021 of August, 74 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/813/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated is the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Swaransingh Johal s/o Labhsingh, Civil Lines, Jullundur & others.

(Transferor)

(2) Shri Gurdial Singh s/o Gurdev Singh, Kukadpind, Teh, Jullundur.

(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.

[Person(s) in occupation of the property].

*(4) Any person interested in the property.

[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act; shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd portion of Shop No. 10, Dilkhusha Market, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5024 of Aug., 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistan Commissioner of Incometax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/814/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25-000/- and bearing No. As per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been trtansferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or their assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Kishanlal s/o Bhagwan Das, & Birbaldass s/o Choudhry Ram c/o Rastriya Bartan Bhandar, Chowk Soodan, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Gobind Ram s/o Bhagwan Dass, of Jullundur.
(Transferee)

"(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

"(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days form the date of the publication of this nontice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 1 Kanal 17 marlas 63 sq. ft. as mentioned in Registered Deed No. 5001 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/815/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the competent authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule
situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Alipore Jullundur in August, 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Saraswati Wd/o Shri Ramlal of Jullundur.
(Transferor)

(2) Bhatia Co-operative House Bldg. Society, Jullundur.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

*(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2 kanals 6 marlas as mentioned in Registered Deed No. 5027 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/816/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the competent authority under section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule
situated at as per schedule
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at
Jullundur in August, 1974
1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lakhbir Singh s/o Shri Kapur Singh, 186, Session Road, Jullundur.

(Transferor)

(2) Smt. Gurmit Kaur w/o Harbans Singh, V. Randhawa, Kapurthala.

(Transferee)

"(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

"(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(b) by any other person interested in the said of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 7 marlas at Police Line Road, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5258 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/817/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Raghbir Singh etc. of Village Dakoha, Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) Smt. Kartar Kaur w/o Bachhan Singh etc. of V. Dakota Khurd, Jullundur.

(Transferee)

"(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

'(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as give in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land backside factory of M/s| India Metal Works, Hoshiarpur Road, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5312 of Aug, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/818/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule
situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, at
Jullundur in August, 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instruments of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Parkash s/o Ramlal Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Bhatia Co-operative House Building Society, Jullundur.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

*(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 3 kanals 5 marlas as mentioned in Registered Deed No. 5039 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/819/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the competent authority under Section 269D of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule
situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Jullundur in August, 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from and transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act on the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Lakhbir Singh s/o Kapur Singh, 186, Session Court Road, Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Manjit Singh Randhawa s/o Harban Singh Randhawa, Vill. Randhawa, Kapurthala.

(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

*(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 5½ marlas at Police Line Road, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5126 of Aug., 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/820/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the competent authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason
to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-, and bearing No.
As per schedule
situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at
Jullundur in August, 1974
apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Raghbir Singh s/o Udham Singh, etc. of R.O. Dakoha Tehsil, Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Mohinder Singh s/o Mangal Singh of Glamour India, Jullundur c/o India Wood and Metal Works, Hoshiarpur Road, Jullundur.

(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.

[Person(s) in occupation of the property].

*(4) Any person interested in the property.

[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land at the back of factory of Shri Yash Parkash at Hoshiarpur Road, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5216 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/821/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at
As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974
Jullundur in August, 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Lakhbir Singh s/o Kapur Singh, 186, Session Court Road, Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Ajit Singh Randhawa s/o Harbans Singh Randhawa, in Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any pieson interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 5¼ marlas situated at Police Lines Road, Jullundur as mentioned in Registered Deed No. 5125 of Aug., 1974 of Registered Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/822/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair-market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(2) Amar Singh s/o Duthoo of Village Gopalpur alias Birdipur, Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Randhir Munjal s/o Ram Narayan, Kot No. 393, New Jawahar Nagar, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 1 kanals 14 marlas 69 sq. ft. as mentioned in registered deed no. 5109 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/823/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(2) Amar Singh s/o Diltar Village Gopalpur alias Bidipur Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri R. K. Mahajan and Co., Basti Road, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 kanal 18 marlas 89 sq. ft. as mentioned in Registered Deed No. 5117 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/824/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Amarsingh of Village Gopalpur, Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) Smt. Sarojmahajan w/o Chander Mahajan, 19, Shakti Nagar, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.

[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 6 kanals 14 marlas 115 sq. ft. as mentioned in Registered Deed No. 5118 of August, 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 31st March 1975

Ref. No. AP/825/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Amar Singh of Gopalpur alias Bidupur Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) Smt. Usha Mahajan w/o R. K. Mahajan, 21 Shakti Nagar, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 kanal 16 marlas 165 sq. ft. as mentioned in Registered Deed No. 5120 of August 1974 of Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 31-3-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/826/Hoshiarpur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2060 situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

(1) Manoharlal Lal son of Gokal Chand of R/o Dabbi Bazar, Hoshiarpur.

(Transferor)

(2) Shri Jai Kisan Cold Storage & Fruit Preejvi son Industries, Naloian, Hoshiarpur C/o Sh. Sat Paul, Managing Director.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.

[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 8 Kanals only at village Pargana as mentioned in the office of Registering Officer Hoshiarpur at Registration No. 2060 of August, 1974.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 21-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/827/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kishan Singh, Bishan Singh sons of Labh Singh, V. Boot, Teh & Distt. Jullundur.

(Transferor)

(2) Smt. Paro W/o Jagat Singh son of Bura Singh V. Mudh Teh. Nakodar.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3 Kanals 12 Marlas at Village Boot as mentioned in Registered Deed No. 4914 of August 1974 of Registering Officer, Jullundur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 21-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/828/Nakodar/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1313 situated at as per schedule (and more fully discribed in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nakodar in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Parkash Wati sd/o Hari Chand son of Gurditta Mal R/o Sehan Teh. Nakodar.

(Transferor)

(2) Shri Jasbir Singh, Tana Singh sons of Didar Singh son of Narain Singh R/o Sehan, Teh. Nakodar.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.

[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 37 Kanals 4 Marlas at V. Sandpur, Teh. Nakodar as mentioned in the office of Registering Officer, Nakodar at Registration No. 1313 dated August 1974.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 21-4-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/829/Hoshiarpur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2395 situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri S. Rajinder Singh Rtd. Session Judge son of Shri Avtar Singh son of Shri Jawahar Singh R/o Sutehri Khurad Teh. Hoshiarpur now at 78, Sect. 5, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Smt. Swaran Kaur D/o Hako Ram Teh. Dasuha Dist. Hoshiarpur.

(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

*(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall, have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 10 Kanals and 1 Marla in village Sutehri, Teh. Hoshiarpur as mentioned in Registeration No. 2395 of August, 1974 in the office of Registering Officer Hoshiarpur.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 21-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/830/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2424
As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nawanshehr in August, 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in
the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dalip Singh son of Shri Sher Singh V. Garhi Fateh Khan.

(Transferor)

(2) Shri Hari Singh Puran Singh son of Tej Singh, Prampur.

(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

*(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 48 kanals only at village Garih Fateh Khan as mentioned in registered No. 2124 of August, 1974 of Registering Officer, Nawanshehr.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 21-4-1975.

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/831/Nakodar/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nakodar in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Parkash Wati d/o Hari Chand Son of Sh. Gurditta Mal R/o Sehan Teh. Nakodar.

(Transferor)

(2) Shri Joga Singh, Behal Singh sons of Didar Singh son of Narain Singh R/o Sehan Nakodar.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.

[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 37 Kanals 3 Marlas at Village Sandpur as mentioned in the office of Registering Officer Nakodar at Registration No. 1290 dated August 1974.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 21-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/832/Hoshiarpur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hoshiarpur in August, 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Raj Inder Singh Rtd. Session Judge s/o S. Avtar Singh son of Jawahar Singh, Sutehri Khura and Hoshiarpur now at 78, Sector 5, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Gopal Singh son of Shri Kansha Singh alias Kanshi Ram son of Bura Ram V. Salimpur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.

[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 10 Kanals only at village Sukheri, Teh. Hoshiarpur as mentioned in the office of Registering Officer, Hoshiarpur at Registration No. 2378 dated August, 1974.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 21-4-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/833/Nawanshehr/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer, at Nawanshehr in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Dalip Singh son of Shamsher Singh son of Balwant Singh Garhi Fateh Khan P.O. Rahon.

(Transferor)

(2) Shri Hari Singh Puran Singh sons of Teja Singh son of Isher Singh Pragpur Teh. N. Shehr.

(Transferee)

(3) As pr S. No. 2 abov.

[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.

[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 42 Kanals 8 Marlas at V. Garhi Fateh Khan as mentioned in the office of Registering Officer Nawanshehr at Registration No. 2448 dated August, 1974.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 21-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/834/Nawanshehr/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961
(43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nawanshehr in August, 1974
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor
to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(2) Shri Dalip Singh son of Shamsher Singh Garhi Fateh Khem.

(Transferor)

(2) Shri Harbhagwan Singh, Gurbachan Singh and Baldev Singh sons of Dalip Singh V. Garhi Fateh Khan.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 67 Kanals 10 Marlas at Village Garhi Fateh Khan as mentioned in the office of Registering Officer, Nawanshehr, Registration No. 2733 dated August 1974.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 21-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/835/Nawanshehr/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269D of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Nawanshehr in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes, of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(2) Shri Dalip Singh son of Shamsher Singh Garhi Fateh Khan.

(Transferor)

(2) Shri Harbhajan Singh, Gurbachan Singh, Daldev Singh sons of Dalip Singh Garhi Fateh Khan.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 67 Kanals 11 Marlas at village Garhi Fateh Khan as mentioned in the Office of Registering Officer, Nawanshehr, Registration No. 2752 dated August, 1974.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date . 21-4-1975.

Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/836/Phillaur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phillaur in Aug., 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagat Singh S/o Kartar Singh V. Talwan.

(Transferor)

(2) Shri Harnek Singh, Harmel Singh V. Talwan, Teh. Phillaur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2above.

[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.

[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 30 Kanals 4 Marlas at V. Talwan as mentioned in the office of the Registering Office, Phillaur, Registration No. 2232/4032 dated August, 1974.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 21-4-1975,
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/837/Phillaur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Phillaur in Aug., 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagat Singh S/o Kartar Singh V. Talwan.

(Transferor)

(2) Shri Harnek Singh, Harmel Singh sons of Mehnga Singh V. Talwan.

(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.

[Person(s) in occupation of the property].

*(4) Any person interested in the property.

[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 32 kanals only as mentioned in the office of Registering Office, Phillaur, Registration No. 2102/3203 dated August, 1974.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 21-4-1975,

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR.

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/838/Phillaur/74-75.—Whereas, I Ravinder Kumar,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act',), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office on the Registering Officer at
Phillaur in Aug., 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating reduction or evasion of the liablility of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of the section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Jagat Singh son of Kartar Singh R/o V. Talwan, Teh. Phillaur, Distt. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Harnek Singh, Harmel Singh sons of Mehnga Singh V. Talwan, Teh. Phillaur.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

*(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 17 Kanals 13 Marlas at V. Talwan as mentioned in the office of Registering Officer, Phillaur at Registration No. 5048 dated August, 74.

RAVINDER KUMAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 21-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA.

Calcutta, the 18th April 1975

Ref. No. TR-204/C-203/Cal-1/74-75.—Whereas, I, S. K. Chakravarty, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 85, situated at Metcalfe Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at 5, Govt. Place North, Calcutta on 22-8-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Pulin Krishna Roy Estate (P) Ltd. (Transferor)

(2) Pritam Kaur and Harbhajan Singh. (Transferee)

(3) Shri Maniram Jadav and Zanab Md. Jowhit. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that lower roomed brick built dwelling house together with rent rendeemed land containing an area of two cottas 9 chataks and 33 sft. at No. 85, Metcalfe Street, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 18-4-75
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, 54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD, CALCUTA-16.

Calcutta, the 18th April 1975

Ref. No. TR-289/C-272/Cal-1/74-75.—Whereas, I, S. K. Chakravarty, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 11, situated at Mahendra Chatterjee Lane, Cal-46, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Govt. Place North, Cal on 8-8-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Profulla Kumar Roy.
(Transferor)

(2) M/s. Jeet Trading Co. (P) Ltd.
(Transferee)

*(3) M/s. Art. Tiles & Concrete Works (P) Ltd, Cal-46.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazettee.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Divided northern portion of No. 11 Mahendra Chatterjee Lane, Calcutta-46 with one storied Bunglow and tank with land covering 2 Bighas, 14 Cottas, 6 Ch., 35 sft.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 18-4-75

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA.

Calcutta, the 18th April 1975

Ref. No. TR-198/C-207/CAL-1/74-75.—Whereas, I, S. K. Chakravarty,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 42B (flat No. 72 & Car parking space), situated at Shakespeare Sarani,
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivajinagar, Bangalore, Document No. 1117/74-75 on 5, Govt. Place North, Calcutta on 28-8-74,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay under the said tax Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Topandas G. Mirapuri.

(Transferor)

(2) Shri Jogendra Kumar Seth & Ors.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 72, & car parking space in Shalimar Apartments at 42B, Shakespeare Sarani, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I
54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta, 16

Date : 18-4-75
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1975

Ref. No. TR-177/C-184/Cal-1/74-75.—Whereas, I, S. K. Chakravarty, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 83, situated at Metcalfe Street (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at No. 5, Govt. Place North, Cal on 7-8-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Pulin Krishna Roy Estate (P) Ltd. (Transferor)

(2) Shri Mohon Singh and Shri Harjit Singh. (Transferee)

"(3) Shri Ganesh Singh, (2) M/s. San Meao Coa., (3) Zinat Bibi (4) Matiar Rahaman.
(Persons in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that lower roomed brick built dwelling house, together with piece of rent redeemed land containing by estimation an area of two cottahs, nine chittacks 22 sft at 83, Metcalfe Street, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 18-4-75
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1975

Ref. No. TR-188/C-187/Cal-1/74-75.—Whereas, I, S. K. Chakravarty,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No 32, situated at Ezra Street,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
No. 5, Govt Place North, Calcutta on 9-8-74,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now. therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Todi Properties Ltd.

(Transferor)

(2) Shri Rampal Todi & Ors, Trustees of Bharat Charity Trust.

(Transferee)

*(3) Shri Gopal Das Mimani & Ors.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Room Nos. 9, 10, 12, 23, 24, 26, 38, 43, 53 & 54 measuring 999.05 sft. in the ground floor, together with related mazzenine floor at premises No. 32 Ezra St, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisiton Range-I
54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

Date : 18-4-75
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1975

Ref. No. TR-196/C-208/Cal-1/74-75.—Whereas, I, S. K. Chakravarty, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 19C, situated at Ripon Street, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at 5, Govt. Place North, Calcutta on 28-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) The Christan Co-operative Credit Union Ltd.

(Transferor)

(2) Credit Union Co-operative Housing Ltd.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land containing an area of 7 Cottahs, 12 Ch, 28 sft.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 18-4-75
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1975

Ref. No. TR-207/C-200/Cal-1/74-75.—Whereas, I, S. K. Chakravarty, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 32, situated at Ezra Street, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at No. 5, Govt. Place North, Calcutta on 20-8-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Todi Properties Ltd.

(Transferor)

(2) 1. Shrimati Saraswati Shaw. 2. Smt. Sabitra Shaw 3. Smt. Shyama Shaw and 4. Smt. Gita Shaw.

(Transferee)

*(3) Shrimati Shyama Debi.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Room Nos. 5 & 6 in the ground floor measuring 278.50 sft. with related Mazzanine and underground space at premises No. 32, Ezra Street, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 18-4-75
Seal :

Form ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA.

Calcutta, the 14th April 1975

Ref. No. AC-212/R-IV/Cal/75-76.—Whereas, I, S. Bhattacharyya, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 243/A, situated at Acharya Prafulla Ch. Rd. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 12-8-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the section 269D of the said Act, to the following persons namely .—

(1) Shri Maharaj Kumar Somendra Chandra Nandy, & Maharani Nelima Probha Nandy.

(Transferor)

(2) Shrimati Renuka Sadhukhan.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5 Cottas 2 Ch. 25 sq. ft. Bastee land being part of 243/A Acharya Prafulla Ch. Road, Calcutta-6 and structure thereon.

S. BHATTACHARYYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV, Calcutta.

Date : 14-4-1975.
Seal :

Form ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA.

Calcutta, the 14th April 1975

Ref. No. AC-211/R-IV/Cal/75-76.—Whereas, I, S. Bhattacharyya, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 65/1C, situated at Bagbazar St. Calcutta-3 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 28-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Nirmala Bala Ghose.

(Transferor)

(2) S/Shri Sankar Prasad Keshari, Bhola Prasad Keshari, Sambhu Prasad Keshari, Bejoy Prasad Keshari.

(Transferee)

(3) Shri Gopal Das Daw.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3 Cottah, 10 Ch. 35 sq. ft. at 65/IC Bagbazar St. Calcutta-3 and structure thereon.

S. BHATTACHARYYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax.
Acquisition Range-IV, Calcutta.

Date : 14-4-1975.
Seal :

Form ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA.

Kakinada, the 22nd March 1975

Ref. No. Acq. File No. 180 J. No. I(312)/EG/74-75. Whereas, I, K. Subbarao, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. 47-2-6 situated at Gandhipuram No. 1 Rajahmundry (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajahmundry on 15-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Dangeti Laxmanarao & Others, 2. Narayana Kumar, 3. Manikumar, 4. Nagaramesh—2 to 4 being minors represented by father Laxmanarao, Rajahmundry.
(Transferor)

(2) Shri Uppaluri Venkatarao, Kovvur, W.G. Dt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

East Godavari District, Rajahmundry Municipality—Gandhipuram No. 1 Municipal Ward No. 24, Door No. 47-2-6 Daba House.

Boundaries

East—Raja Veedhi 105 ft.

South—Compound wall of Dandanudi Venkataramarao.

West—Compound wall and site of E. Gopalarao.

North—Govt. Drainage and Road.

K. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 22-3-1975.
Seal :

Form ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA.

Kakinada, the 22nd March 1975

Ref. No. Acq. File No. 179 J. No. 1(201&251)KR/74-75. Whereas, I, Subbarao, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 14-1-109 situated at Sambamurthy Road, Hanumanpeta, Vijayawada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Vijayawada on 15-8-74 & 31-8-74 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

(1) Shri P. Bushaiah, Vijayawada

(Transferor)

(2) 1. Shri Sethu Narayanarao Minor by guardian Smt. Kannam Narayanamma W/o Venkaiah, Vijayawada, 2. Smt. Muppa Ankamma, W/o Naraiah, Hanumanpeta, Vijayawada.

(Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Krishna District, Vijayawada Sub-Registrar, Vijayawada Town Municipal Ward No. 18, Present Ward No. 17, Revenue Ward No. 8, Block No. 31 N.T.S. No 932, Old Asst. No. 8437, New Asst. No. 2816, Door No. 14-1-109.

Boundaries

East—Compound wall of Smt. Makani Banumathamma

South—Property of Smt. Muppa Akkamma

West—Road and

North—Compound wall of Batchu Sreeramulu.

S. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 22-3-1975.

Seal :

Form ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27.

Bangalore-27, the 14th April 1975

No. C.R. 62/2828/74-75/Acq. (B).—Whereas, I R. Krishnamoorthy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-560-027, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. The property being a converted land for residential houses measuring 3 acres and 34 guntas in Survey No. 30, situated at Gavipura village, Corporation Division No. 31, Bangalore city, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at Basavangudi, Bangalore-560-004 Document No. 2037/74-75 on 1-8-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri M. Kannappa, 2. Shri G. M. Vemanna, 3. Shri G. M. Govindaraju and 4. Shri G. M. Srinivasa, No. 1884, IV 'T' Block, Jayanagar, Bangalore-560-011.
(Transferor)

(2) M/s. Manjunatha House Building Co-operative Society, No. 137, 12th Main Road, Hanumanthanagar, Bangalore-560-019.
(Transferee)

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being a converted land for residential houses, measuring 2 acres and 34 guntas in Survey No. .30 Gavipura village, Corporation Division No. 31, Bangalore city.

(Document No. 2037/74-75 dated 1-8-1974).

R. KRISHNAMOORTHY
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 14-4-1975

Seal :

Form ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27.

Bangalore-27, the 14th April 1975

Ref. No. C.R. 62/2828/74-75/Acq. (B).—Whereas, I, Krishnamoorthy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-560-027, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. The property being a converted land for residential houses, measuring 2 acres and 20 guntas in Survey No. 30, situated at Gavipura village, Corporation Division No. 31, Bangalore city,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Basavangudi, Bangalore-560-004, Document No. 2038/74-75 on 1-8-1974

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in

the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri M. Kannappa, 2. Shri G. M. Vemanna, 3. Shri G. M. Govinda Raju and 4. Shri G. M. Srinivasa, No. 1884, IV 'T' Block, Jayanagar, Bangalore-560-011.

(Transferor

(2) M/s. Manjunatha House Building Co-operative Society, No. 137, 12th Main Road, Hanumanthanagar, Bangalore-560-019.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being a converted land for residential houses, measuring 2 acres and 20 guntas in Survey No. 30, Gavipura village Corporation Division No. 31, Bangalore city.

Gavipura village, Corporation Division No. 31, Bangalore city.

(Document No. 2038/74-75 dated 1-8-1974).

R. KRISHNAMOORTHY
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 14-4-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No. 5657, situated at Faridpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur in August, 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Tara Singh S/o Ganesha Singh Vil. Sattowali. (Transferor)

(2) Shri Teja Singh S/o Banta Singh, Baldev Singh S/o Khundrai Singh, Joginder Kaur W/o Gurbax Singh Village Dugri. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 5657 of August, 1974 of the Regitsering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 21-4-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur the 25th April 1975

Ref. No. AP/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. 5044 situated at V. Johal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor or top ay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri S. Amar Singh S/o Battan Singh V. Kukar Pind Teh. & Dist. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Sant Baba Gian Singh Chela Baba Basant Singh Chela Baba Harnam Singh Nimal Kutia, V. Johal.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 5044 of August, 1974 of the Registering Authority Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 25-4-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under section 269B of income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. 5692 situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Faqir Singh, Shri Garbax Singh Sons of Shri Shiv Singh R/o Adampur.
(Transferor)

(2) Shrimati Dalip Kaur W/o Shri Naranjan Singh R/o Bhet Teh. Kapurthala.
(Transferee)

(3) As above S. No. 2. (Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the underknows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land as mentioned in the Registered Deed of No. 5692 of August, 1974 of the Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 21-4-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 23rd April 1975

Ref. No. AP/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Jullundur, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the said Act to the following persons namely :

(1) Shri Tara Singh S/o Ganesha Singh R/o Sattowali. (Transferor)

(2) Shri Teja Singh S/o Banta ingh, Khundrai Singh & Joginder Kaur W/o Sr. Gurbax Singh R/o Dugri. (Transferee)

(3) As per s. No. 2 above. (Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed of August, 1974 of the Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 21-4-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5548 situated at Faridpur
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur in August, 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :

(1) Shri Tara Singh S/o Ganesha Singh Vil. Satowal. (Transferor)

(2) Shri Teja Singh, S. Banta Singh, Baldev Singh S/o Khudrai Singh, Gurbux Singh son of Magbar Singh (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in Registered Deed No. 5548 of August, 1974 of the Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 21-4-1975

Seal :

FROM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/Jullundur/74-75/4220.—Whereas, I, Ravinder Kumar,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per Schedule stuated at Faridpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, *namely* :—

(1) Shri Tara Singh S/o Shri Ganesha Singh Vll. Satowali, Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Teja Singh S/o Banta Singh, Baldev Singh S/o *Khudrai Singh & Joginder Kaur W/o Gurbax Singh* Village Dugri. Tehsil Jullundur.

(Transferee)

(3) Rs per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registed Deed No. 5577 of August, 1974 of the Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 21-4-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5686, situated at Faridpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tara Singh S/o Ganesha Singh Vil. Sattowali. Teh. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Teja Singh S/o Banta Singh, S/o Khudrai Singh, Joginder Kaur W/o Gurbax Singh.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 5686 of August, 1974 of the Registering Authority Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 21-4-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 21st April 1975

Ref. No. AP/Jullundur/74-75.—Whereas, I, Ravinder Kumar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5437 situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S. Hazur Singh S/o Bal Singh Nangal Manohar Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) S. Darshan Singh S/o Dayal Singh Nangal Manohar Teh. Jullundur.

(Transferee)

(3) As above S. No. 2 [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 5437 of August, 1974 of the Registering Authority, Jullundur.

RAVINDER KUMAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 21-4-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/MLT/AP-12/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Panniwala Phatta (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Malout in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Gulzar Singh s/o Hira Singh s/o Bhola Singh r/o V. Daulat Pura Teh. & District Ganga Nagar.
(Transferor)

(2) Shri Jasvinder Singh, Sukhjit Singh, Gurjeet Singh ss/o Sh. Karam Singh s/o Sh. Natha Singh, Sh. Ranpinder Singh, Papinder Singh s/o Gurpinder Singh s/o Karam Singh r/o Panniwala Phatta. Teh. Muktsar.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1575 of August, 1974 of the Registering Authority, Malout.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-1975.
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/MLT/AP-13/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Panniwala Phatta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Malout in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Dara Singh s/o Hira Singh s/o Bhola Singh r/o V. Daulat Pura Teh. & District Ganga Nagar.
(Transferor)

(2) Shri Jasvinder Singh, Sukhjit, Gurjeet Singh ss/o Sh. Karam Singh s/o Sh. Natha Singh and Sh. Ranpinder Singh, Papinder Singh ss/o Gurpinder Muktsar.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1573 of August, 1974 of the Registering Authority, Malout.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/MLT/AP-14/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Panniwala Phatta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Malout in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Dulla Singh s/o Phalla Singh s/o Rulia Singh r/o Daulat Pura Teh. & District Ganga Nagar.

(Transferor)

(2) Shri Jesvinder Singh, Sukhjit Singh, Gurjeet Singh ss/o Sh. Karam Singh s/o Sh. Natha Singh & Sh. Ranpinder Singh, Papinder Singh ss/o Gurpinder Singh s/o Karam Singh r/o v. Panniwala Phatta Teh. Muktsar.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1574 of August, 1974 of the Registering Authority, Malout.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-1975.

Seal :

Form I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/BTL/AP-15/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at V. Bhagowal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Batala in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sarwan Singh s/o Darshan Singh V. Bhagowal Teh. Batala.
(Transferor)

(2) Shri Ajaib Singh, Sawan Singh & Others ss/o Shri Sunder Singh V. Bhagowal Teh. Batala.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3535 of August, 1974 of the Registering Authority, Batala.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-1975.
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/MGA/AP-16/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop situated at Main Bazar Moga (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Moga in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax, Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Shobha Singh s/o Punjab Singh s/o Khazan Singh Moga. Mehla Singh.

(Transferor)

(2) S/Shri Ram Tirath, Sat Pal and Yoginder Pal ss/o Shri Mehar Chand c/o M/s. Mehar Chand & Sons, Moga.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop as mentioned in the Registered Deed No. 4652 of August, 1974 of the Registering Authority, Moga.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-1975.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/GDB/AP-17/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Gidderbaha. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gidderbaha in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Chhaju Ram, Chaman Lal, Pawan Kumar ss/o Shri Sarup Chand, Surinder Kanta, Raksha Rani Ds/o Sarup Chand, Vidya Devi w/o Shri Sarup Chand, Sriganganagar.
(Transferor)

(2) Shrimati Bachan Devi w/o Shri Pawan Kumar s/o Shri Pirthi Chand, Giddarbaha.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House as mentioned in the Registered Deed No. 505 of August, 1974 of the Registering Authority, Gidderbaha.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-1975.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/GDB/AP-18/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at V. Bhutiwala (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering office at Gidderbaha in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hakam Singh s/o Shri Phuman Singh, r/o Bhutiwala Teh. Mukatsar.

(Transferor)

(2) Shri Harnek Singh, Binder Singh, r/o V. Bhutiwala Teh. Mukatsar.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 515 of August, 1974 of the Registering Authority, Gidderbaha.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/ABR/AP-19/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at V. Bhangala (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957(27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of secton 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Bibi, Udhe Kaur Ds/o Shri Bhag Singh r/o V. Bhangala.
(Transferor)

(2) Shri Mithu Singh, Pila Singh, Balwinder Singh, Pritam Singh ss/o Shri Bhag Singh, V. Bhangala.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1405 of August, 1974 of the Registering Authority, Abohar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/MGA/AP-20/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Bagha Purana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at Moga in August 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurbachan Singh s/o Shri Kartar Singh r/o Bagha Purana.
(Transferor)

(2) Smt. Malkit Kaur w/o Shri Mukand Singh r/o Kesar Singh Wala Teh. Rampur Phul. & Amarjit w/o Shri Pritam Singh.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 4647 of August, 1974 of the Registering Authority, Moga.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/MNS/AP-21/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No 1/2 Shop No. 827 situated at Block No. 7 Gali No. 19 Mansa (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mansa in August on 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Banarsi Dass s/o Shri Kheta Mal, Hans Raj S/o Shri Benarsi Dass, Mansa. (Transferor)

(2) Dr, Santokh Singh s/o Shri Mani Singh Mansa. (Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 shop as mentioned in the Registered Deed No. 3192 of August, 1974 of the Registering Authority, Mansa.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/MNS/AP-22/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1971 (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/2 Shop No. 827 situated at Block No. 7 Gali No. 19 Mansa (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Mansa in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Banarsi Dass s/o Shri Kheta Mal, Hans Raj S/o Shri Benarsi Dass, Mansa.
(Transferor)

(2) Shri Santokh Singh s/o Shri Mani Singh, Mansa.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. [Person in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2Shop as mentioned in the Registered Deed No. 3193 of August, 1974 of the Registering Authority, Mansa.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/BTD/AP-23/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land, situated at Near Bhanamal Dharamsala, Bhatinda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings to the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Seth Bhana Mal Dharam Sala Trust Bhatinda through Shri Kesho Ram President and Shri Sohan Lal vice president ss/o Shri Bhana Mal. (Transferor)

(2) Ramesh Chander, Dharam Vir, Pavan Kumar Sunder Lal and Manohar Lal Gupta & Atma Ram c/o Bhanamal Dharamsala, Bhatinda. (Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same, meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 3536 of August, 1974 of the Registering Authority Bhatinda.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range,
Amritsar.

Date : 21-4-75.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/BTD/AP-234/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated near Bibiwala Road, Bhatinda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Banarsi Dass s/o Shri Surjas Ram s/o Sirian Mal, Bhatinda.
(Transferor)

(2) Shri Ujagar Singh s/o Shri Mohan Singh s/o Shri Kakarah Singh.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3494 of August, 1974 of the Registering Authority, Bhatinda.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-75.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/BTD/AP-25/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land situated near Bibiwala Road, Bhatinda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhatinda in August 1974
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration on such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Banarsi Dass s/o Shri Surjas Ram s/o Shri Sirian Mal, Bhatinda.
(Transferor)

(2) Shrimati Kamlesh Rani w/o Shri Ramesh Chand s/o Lala Hukam Chand, Bhatinda.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3493 of August, 1974 of the Registering Authority, Bhatinda.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range
Amritsar.

Date : 21-4-75.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/BTD/AP123/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of Land situated at Shanti Nagar, Civil Lines, Moga (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Moga in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohan Singh s/o Shri Sunder Singh s/o Shri Kaku Singh 1155 Ahata Badam Singh, Moga. (Transferor)

(2) Shri Surjit Singh s/o Shri Atma Singh, Civil Lines, Moga through Shri Chet Singh s/o Shri Gurbachan Singh Civil Lines, Moga. (Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 4573 of August, 1974 of the Registering Authority, Moga.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range,
Amritsar.

Date : 21-4-75.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/Abohar/AP-27/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land situated at V. Gadan Dob (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Bhagwan Kaur mother of Shri Sham Singh Wd/of Naunihal Singh V. & P.O. Gadan Dob.

(Transferor)

(2) Shrimati Mohinder Kaur wd/o Sham Singh s/o Naunihal Singh P.O. Gadan Dob.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1384 of August, 1974 of the Registering Authority Abohar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range,
Amritsar.

Date : 21-4-75.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/BTD/AP-28/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land situated at Bhatinda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda in August 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Amar Nath s/o Shri Munshi Ram r/o Bhatinda.
(Transferor)

(2) Shri Ganda Singh s/o Shri Hari Singh Shri Ranjeet Singh s/o Ajmer Singh r/o Jodhpur Ramana.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3586 of August, 1974 of the Registering Authority, Bhatinda.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range
Amritsar.

Date : 21-4-75.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/BTD/AP-29/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR being the Competent Authority under section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. Land situated at Bhatinda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Sat Paul s/o Shri Jagan Nath r/o Bhatinda. (Transferor)

(2) Shri Ranjeet Singh s/o Shri Ajmer Singh, Shri Ganda Singh s/o Shri Hari Singh & Smt. Balbir Kaur w/o Shri Ganda Singh r/o Jodhpur Ramana. (Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3585 of August, 1974 of the Registering Authority, Bhatinda.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range,
Amritsar.

Date : 21-4-75.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/BTD/AP-30/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated Bhatinda. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda in August on 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for he acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Nath s/o Shri Munshi Ram R/o Bhatinda (Transferor)

(2) Shri Ranjit Singh s/o Ajmer Singh, Smt. Balbir Kaur w/o Shri Ganda Singh r/o Jodhpur Ramana. (Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3587 of August, 1974 of the Registering Authority, Bhatinda.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range,
Amritsar.

Date : 21-4-75.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/GDB/AP-31/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-Tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land situated at V. Bhoti Wala Teh. Mukatsar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gidderbaha in August on 1974
tor an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269-C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Hakam Chand s/o Shri Phuman Singh, Bhotlwala Teh. Mukatsar.

(Transferor)

(2) Shri Sant Singh s/o Shri Phuman Singh, Baljinder Singh s/o Harnek Singh r/o Bhotiwala Teh. Mukatsar.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 514 of August, 1974 of the Registering Authority, Gidderbaha.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range,
Amritsar.

Date : 21-4-75.
Seal :
*(Strike off where not applicable)

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/FDK/AP-32/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Kot Kapura (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot in August on 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent o fsuch apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohinder Singh, Joginder Singh, Barjinder Singh ss/o Mangal Singh, Kot Kapura Surgapuri Near Railway Station.
(Transferor)

(2) Shri Gurdev Singh and Darshan Singh s/o Ram Singh, Kot Kapura Near New Cinema.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2147 of August, 1974 of the Registering Authority, Faridkot.

V. R. SAGAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range,
Amritsar.

Date : 21-4-75.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/Abohar/AP-33/75-76.—Whereas, I. V. R. Sagar,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) *(hereinafter referred to* as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land situated at V. Khuban
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Abohar in August on 1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in
the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Vidya Wati d/o Shri Ladhu Ram s/o Ghanya Ram w/o Shri Om Parkash s/o Shri Mehtab Rai r/o Morjanda Teh. Hanumangarh.

(Transferor)

(2) Om Parkash, Ramesh Kumar ss/o Shri Ladhu Ram r/o Hanumangarh.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above (Person in occuptation of the property).

(4) Any person interested in the property. (Person whome the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1387 of August, 1974 of the Registration Authority , Abohar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-75
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/Abohar/AP-4/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at V. Khuban (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Abohar in August on 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been fully stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Parkash Devi d/o Shri Ladhu Ram s/o Shri Ghanya Ram w/o Shri Diwan Chand s/o Ishar Dass r/o Tahli Wala.

(Transferor)

(2) Shri Om Parkash, Ramesh Kumar ss/o Shri Ladhu Ram s/o Ghanya Ram r/o Hanumangarh, Town Distt. Ganganagar.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1386 of August, 1974 of the Registering Authority, Abohar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-75
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/Abohar/AP-35/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at V. Khuban (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar in August in 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

1) Smt. Saroj Kumari d/o Shri Ladhu Ram s/o Ghanaya Ram & w/o Shri Babu Lal s/o Shri Lakhu Ram r/o Mandi Abohar Teh. Fazilka.

(Transferor)

(2) Om Parkash, Ramesh Kumar ss/o Shri Ladhu Ram s/o Ghanya Ram r/o Hanumangarh Town District Ganganagar.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1385 of August, 1974 of the Registering Authority, Abohar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-75.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/FDK/AP-36/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property situated at Basti Manjit Inderpura Faridkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Pritam Kaur wd/o Bhai Gurkirpal Singh r/o Faridkot.

(Transferor)

(2) Shrimati Tej Kaur w/o Shri Partap Singh V. Sedha P.O. Jaitu Mandi Teh. & District Faridkot.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registered Deed No. 2110 of August, 1974 of the Registering Authority, Faridkot.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-75.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/FDK/AP-37/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property situated at Basti Manjit Inderpura, Faridkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Pritam Kaur wd/o Bhai Gurkirpal Singh, r/o Faridkot.
(Transferor)

(2) Smt. Harjit Kaur wd/o Shri Iqbal Singh, Kothi No. 12, Block No. XII Harinder Nagar, Kot Kapura Road, Faridkot.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registered Deed No. 2109 of August, 1974 of the Registering Authority, Faridkot.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range, Amritsar.

Date : 21-4-75.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE. AMRITSAR.

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/FDK/AP-38/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property situated at Basti Manjit Inderpura, Faridkot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Faridkot in August, 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Pritam Kaur Wd/o Bhai Gurkirpal Singh r/o Faridkot.
(Transferor)

(2) Shri Surinder Iqbal Singh S/o Shri Iqbal Singh r/o Faridkot.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Persons in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property.
[Person who in the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registered Deed No. 2108 of August, 1974 of the Registering Authority, Faridkot.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Amritsar.

Date :21-4-75.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR.

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/FZR/AP-39/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at V. Choghata Wala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ferozepur in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acuisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons namely :—

(1) Shri Atma Ram s/o Shri Panna Mal,
through Shri Mangat Ram, Hakikat Aai, GA
R/o V. Choghata Wala, Teh. & District Ferozepur.
(Transferor)

(2) Shri Ramesh Kumar S/o
Shri Diwan Chand
6, Mall Road, Ferozepur City.
(Transferee)

*(3) As at S. No. 2 above.
[Persons in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2450 of August, 1974 of the Registering Authority, Ferozepur.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range,
Amritsar.

Date :21-4-75.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR.

Amritsar, the 21st April 1975

Ref. No. ASR/FZR/AP-40/75-76.—Whereas, I V. R. SAGAR being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at V. Choghata Wala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ferozepur in August 1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the 'Said Act', I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Atma Ram s/o Shri Panna Mal, through Shri Mangat Ram, Hakikat Rai, GA R/o V. Choghata Wala, Teh. & District Ferozepur. (Transferor)

(2) Shri Mool Chand s/o Shri Behari Lal, C/o Raja Talkies, Ferozepur City. (Transferee)

*(3) As at S. No. 2 above. [Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property. (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2449 of August, 1974 of the Registering Authority, Ferozepur.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range,
Amritsar.

Date : 21-4-75.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE BANGALORE-27

Bangalore-27, Dated 3-4-1975

No. C.R.62/2830/74-75/Acq. (B).—Whereas, I. R, Krishnamoorthy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-560027 being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Northern half portion of premises No. 16/1, situated at 4th Cross Road, New Kalasipalyam Layout, Bangalore-city (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Basavangudi, Bangalore-4 Document No. 2078/74-75 on 3-8-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri C. N. Rudra Murthy
No. 40, Hospital Road,
Bangalore-1
(Transferor)

(2) Shri S. Mohammed Aslam,
S/o Shri M. A. Sattar,
No. 22, New Bamboo Bazar,
Bangalore-2.
(Transferee)

(3) M/S Goel Road Ways.
(Person(s) in occcpation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Northern half portion of premises No. 16/1, 4th Cross Road, New Kalasipalyam Layout, Bangalore city (Division No. 39).

Site area measuring :—

E W : 40'
N S : 20' } 800 Sq. ft.

Boundaries :

E = Building No. 88
W = IV Cross
N = Godown on site No. 77
S = Portion sold to Shri Syed Hussain.
(Document No. 2078/74-75 dated 3-8-1974)

R. KRISHNAMOORTHY
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range, Bangalore

Date : 3-4-1975
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 3rd April 1975

Ref. No. C.R.62/2831/74-75/Acq.(B).—Whereas, I, R. Krishnamoorthy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-560027. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No Southern half portion of premises No. 16/1 situated at 4th Cross Road, New Kalasipalyam Luyout, Bangalore city, (and more fully described in the Schedule anexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Basavangudi, Bangalore-4 Document No. 2080/74-75 on 3-8-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri C. N. Rudra Murthy, No. 40, Hospital Road, Bangalore-1.
(Transferor)

(2) Shri Syed Hussain S/O Shri B. Sqed Azmatulla, Minor by guardian, Mother, Smt. Shakira Begum, No. 21, Bamboo Bazaar, Bangalore-2. (Transferee).

*(3) M/S Goel Road Ways.
[Person(s) occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Southern half portion of premises No. 16/1, 4th Cross Road, New Kalasipalyam Layout, Bangalore city (Division No. 39)

Site area measuring—
E—C : 40'
N—S : 20'
=800 sq. ft.
Boundaries :—
E : Building on site 88
W : IV Cross
N : half portion of same No. sold to S. Mohd. Aslam.
S : Property of Pramila Bai.
(Document No. 2080/74-75 dated 3-8-1974.)

R. KRISHNAMOORTHY
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range, Bangalore.

Date : 3-4-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27.

Bangalore-27, the 18th April 1975

No. C.R.62/2853/74-75/ACQ(B).—Whereas, I, R. Krishnamoorthy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. The property being a vacant land bearing present Municipal No. 5/17 (old No. 91) Doddigunta) Milton Street, Cooke Town, situated at Bangalore-5 (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Shivajinagar, Bangalore, Doc. No. 1540/74-75 on 8-8-1974. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) The Madras Diocesan Trust Association, by its duly constituted Agent, Rev. J (Jr.) Mullins, Madras. (Transferor).

(2) (1) Mrs. S. Vettath, (2) J. Paulen Vettath and (3) Mrs. Elizabeth Eapen No. 8 Hayes Road Cross, Bangalore-25. (Transferee).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being a vacant land bearing present Municipal No. 5/17 (old No. 91 Doddigunta) Milton Street, Cooke Town, Bangalore-5 Total Site area—Measuring about 12,340 Sq. ft.
Doc. No. 1540 *dated* 8-8-1974

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Income-tax, Acquisition Range, Bangalore.
Income-tax, Acquisition Range, Bangalore).

Date : 18-4-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 14th April 1975

No. C.R.62/2856/74-75/ACQ(B).—Whereas, I, R. Krishnamoorthy Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-27, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1971) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. The property being converted land measuring 1 acre and 37 guntas in S. Nos. 7/3B and 8/2B situated at Madanayakahahalli, Dasanapura Hobli, Nelmangala Taluk, Bangalore-District, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nelmangala Doc. No. 1799/74-75 on 3-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Dhanaraj, S/o Fathechand, Bolaram, Hyderabad (A.P.)

(Transferor)

(2) Shri Iqbal Sing Keer S/o Jasavantha singh Keer, No. 206, Kazai Syed Street, Bombay-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being converted land, measuring 1 acre and 37 guntas in S. No. 7/3B and 8/2B (A—Gs / 1 / 0—27) situated at Madanayahalli, Dasanapura Hobli, Nelmangala Taluk, Bangalore District.

Boundries :

E=Giriyappa Land

W=By Approach road

N=by Portions of S. No. 8/2B and 7/3B sold this day in favour of Smt. Amrit Kaur Keer

S=by Mysore Spun cement concrette Pipe Factory.

Doc. No. 1799/74-75 dated 3-8-74

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 14-4-1975.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 14th April 1975

No. C.R. 62/2857/74-75/ACQ(B).—Whereas, I, R. Krishnamoorthy Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-27, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. The property being converted land measuring 1 acre and 37 guntas in S. Nos. 8/2B and 7/3B situated at Madanayakanahalli, Dasannapura Hobli, Nelmangala Taluka, Bangalore Dist., (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nelamangala Doc. No. 1800/74-75 on 3-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Dhanaraj, S/o Fathechand, Bolaram, Hyderabad. (A.P.).

(Transferor)

(2) Shrimati Amrith Kaur Keer No. 206, Kazai Syed Street, Bombay-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being converted land, measuring 1 acre and 37 guntas, in S Nos. 8/2B and 7/3B (A.Gs)

0
0—27

Situated at Madanayakanahalli, Dasanapura Hobli, Nelamangala Taluk, Banaglore-Dist.

East=Giryappa Land

West=by approach Road

North=Hanumanthiah Aswathaiah and others lands

South=by Portions of S. No. 8/2B and 7/3B sold this day the same vendor in favour of Shri Iqbalsingh Keer.

Doc. No. 1800/74-75 dated 3-8-74.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 14-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27.

Bangalore-27, the 5th April 1975

No. C.R. 62/2898/74-75/Acq. (B).—Whereas, I, R. Krishnamoorthy Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-27, being the Competent Authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. The property being a vacant site bearing Municipal No. 54, 2nd Main Road (measuring 54, 172 sq. ft.) situated at Hanumanthapuram, Srirampuram, Bangalore-560021, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Srirampuram, Bangalore 560021 Document No. 2061/74-75 on 28-8-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri K. Vasudev, 2. Smt. Gowramma, 3. Shri K. Dwarakanath, No. 1302, Sriramapuram, Bangalore-21.

(Transferor)

(2) Shri C. Arunachalam, Partner on behalf of The Sun Rise Industrials, V Main Road, Sriramapuram, Bangalore-560021.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being a vacant site bearing Municipal No. 54, 2nd Main Road, Hanumanthapuram, Sriramapuram, Bangalore-560021.

Site Area : $\frac{190'+120'}{2} \times \frac{394'+305'}{2} = 54,172$ sq. ft. or 6,019 sq. Yards.

Document No. 2061/74-75 dated 28-8-1974.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 5-4-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27.

Bangalore-27, the 9th April 1975

Ref. No. C.R. 62/2947/74-75/Acq. (B).—Whereas, I, R. Krishnamoorthy Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore-27, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. The property being a vacant site of remaining portion of New No. 56/43 (Old No. 10 and 52), situated at Lalbagh Road, Bangalore-560027, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Besavangudi, Bangalore-50004 Document No. 2550/74-75 on 2-9-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of the section 269D of the said act to the following persons namely :—

(1) Shri M. Satyanaiayana, and Shri M. Raghavendra No. 56/42, Lalbagh Road, Bangalore-560027.

(Transferor)

(2) Shri Y. Ramachandia Naidu, S/o Shri Yellappa Naidu, No. 86, South End Road, Basavangudi, Bangalore-560004.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property being a vacant site of remaining portion of New No. 56/43 (Old No. 10 and 52), Lalbagh Road, Bangalore-27.

Site measuring—E—W : 60'
N—S : 50' = 3,000 Sq. ft.

Boundaries—
E : Remaining portion of 56/43
W : Lalbagh Road.
N : Property No. 44/8 of M.A. Haque.
S : Remaining portion of 56/43.

Document No. 2550/74-75 dated 2-9-1974.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 9-4-1975
Seal :